महानगर नई दिल्ली मंगलवार 18 फरवरी, 2020, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

निर्भया मामला

तीन मार्च को चारों दोषियों को फांसी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

अदालत ने तीसरी बार जारी किया मृत्यु वारंट
कोर्ट दो बार पहले जारी कर चुका है मृत्यु वारंट

निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में तीसरी बार सोमवार को दोषियों के खिलाफ नया मृत्यु वारंट जारी किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया मामले के चार दोषियों को फांसी देने लिए तीन मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। सभी को सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी। पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को फांसी देने के लिए नए मृत्यु वारंट जारी किए हैं।

दिल्ली की अदालत दोषियों के लिए मौत के नए फरमान जारी करने की मांग करने वाली दिल्ली सरकार और निर्भया के माता-पिता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को यह स्वतंत्रता दी थी कि वे दोषियों को फांसी देने के लिए नए मृत्यु वारंट जारी करने के लिए निचली अदालत से गुहार लगा सकते हैं।

सबसे पहले फांसी देने की तारीख 22 जनवरी तय की गई थी। लेकिन 17 जनवरी के अदालत के आदेश के बाद इसे टालकर एक फरवरी सुबह छह बजे किया बाकी पेज 8 पर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि तीन महीने के भीतर सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए। | *ऐतिहासिक* फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि सैन्य बलों में लैंगिक दुराग्रह खत्म करने के लिए सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी।

सेना में महिला अधिकारियों के कमान संभालने का रास्ता साफ

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

सैन्य बलों में लैंगिक भेदभाव खत्म करने पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना में महिला अधिकारियों के कमान संभालने का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केंद्र को निर्देश दिया कि तीन महीने के भीतर सारी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए।

न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाले पीठ ने सरकार की इस दलील को विचलित करने वाला और समता के सिद्धांत के विपरीत बताया जिसमें कहा गया था कि शारीरिक सीमाओं और बाकी पेज 8 पर

इन विभागों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन

सैन्य एडवोकेट जनरल, सेना शिक्षा कोर, सिग्नल इंजीनियर, सैन्य उड्डयन, सैन्य वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, सर्विस कोर, ऑर्डिनेंस कोर और खुफिया शाखा।

क्या होंगे बदलाव

महिला सैन्य अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर पाएगी। शार्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में नौकरी कर रही महिला अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन चुनने का विकल्प दिया जाएगा। महिला अधिकारी पेंशन पाने की हकदार हो जाएंगी।

मैं सशस्त्र बलों में महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अदालत के फैसले का दिल से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के विचार का समर्थन किया है।
-राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री (ट्वीट)

केजरीवाल की तारीफ करने पर मिलिंद देवड़ा पर धावा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई में आम आदमी पार्टी (आप) की शानदार जीत और कांग्रेस पार्टी का लगातारा दूसरी बार सूपड़ा साफ होने को लेकर कांग्रेस में घमासान जारी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने दिल्ली में पिछले पांच साल में राजस्व दोगुना होने को लेकर बाकी पेज 8 पर

अजय माकन, अलका लांबा ने देवड़ा की निंदा की

आम रास्ता रोकना ठीक नहीं : कोर्ट

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने का लोगों के पास मूल अधिकार है लेकिन सड़कों को अवरुद्ध किया जाना चिंता का विषय है और अवश्य ही एक संतुलन रखना होगा।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शनों के कारण सड़कें अवरुद्ध होने को लेकर दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ के पीठ ने कहा कि न्यायालय को इस बात की चिंता है कि यदि लोग सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या होगा।

न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति पर चलता है लेकिन इसके लिए भी सीमाएं हैं। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और वकील साधना रामचंद्रन को प्रदर्शनकारियों से बात करने और उन्हें ऐसे वैकल्पिक स्थान पर जाने के लिए मनाने को कहा, जहां कोई सार्वजनिक स्थल अवरुद्ध नहीं हो। बहरहाल, न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 फरवरी तय की।

पीठ ने कहा कि लोगों को प्रदर्शन करने का मूल अधिकार है लेकिन जो चीज हमें परेशान कर रही है, वह सार्वजनिक सड़कों का अवरुद्ध होना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शाहीन बाग प्रदर्शन से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हर संस्था इस मुद्दे पर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश कर रही है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि कुछ नहीं हो पाया, तो हम स्थिति से निपटना अधिकारियों पर छोड़ देंगे।

सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के कारण पिछले वर्ष 15 दिसंबर से कालिंदी कुंज-शाहीन बाग और ओखला अंडरपास बंद है। शीर्ष न्यायालय ने इससे पूर्व कहा था कि दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं और अन्य लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वकील अमित साहनी द्वारा दायर एक अपील की सुनवाई कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और वकील साधना रामचंद्रन को प्रदर्शनकारियों से बात करने और उन्हें ऐसे वैकल्पिक स्थान पर जाने के लिए राजी करने को कहा, जहां कोई सार्वजनिक स्थल अवरुद्ध न हो।

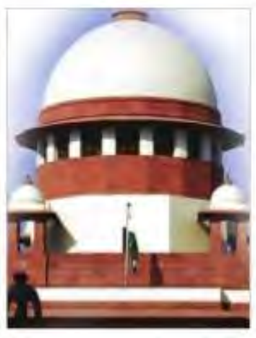

न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति पर चलता है लेकिन इसके लिए भी सीमाएं हैं।

'सुप्रीम कोर्ट का सम्मान लेकिन सरकार करे बात'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

शाहीन बाग में दो महीनों से चल रहे प्रदर्शन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि वे इसको का सम्मान करती हैं पर प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार को कोई प्रतिनिधि मिलकर बातचीत नहीं कर लेता।

महिलाओं ने कहा कि वे केंद्रीय गृहमंत्री से मिलने के लिए रविवार को जाना चाहती थीं लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और अनुमति नहीं होने की बात कही। प्रदर्शन में शामिल बाकी पेज 8 पर

लुधियाना में दिनदहाड़े 30 किलो सोना ले उड़े लुटेरे

लुधियाना, 17 फरवरी (जनसत्ता)।

शहर में गिल रोड स्थित इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड (आइआइएफएल) के दफ्तर से पांच लुटेरों ने हथियार दिखाकर 30 किलो सोने के जेवरात और तीन लाख रुपए नकद लूटे और फरार हो गए। सोमवार को लूटे हुए आभूषणों की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। जिस भवन में यह कार्यालय चल रहा था, उसके बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में चार लुटेरों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। पांचवा युवक बाहर कार में बैठा हुआ था। इससे पहले 29 जनवरी को शहर की घूमर मंडी में वीके ज्वेलर्स की दुकान से चार हथियार बंद युवकों ने दो किलो सोना लूट लिया था। उस मामले में पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

आभूषण गिरवी रखकर कर्ज देने वाली कंपनी के दफ्तर में हथियार दिखा कर लूटपाट।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह 10 बजे गिल रोड स्थित आइएफएल के गोल्ड लोन शाखा कार्यालय में डकैती पड़ी। डकैतों में से एक के हाथ में पिस्तौल और बाकी तीनों के हाथ में तेज धारवाले हथियार थे। लुटेरों ने पिस्तौल की नोंक पर प्रबंधक हरप्रीत सिंह से लॉकर की चाबियां मांगी और वहां रखे सोने के जेवरात और तीन लाख रुपए नकद लूट लिए। लुटेरों ने सारा सोना चार थैलों में भरा और कार में भाग गए, जहां पर पांचवां आरोपी कार में उनका इंतजार कर रहा था। भागने से पहले उन्होंने कार्यालय के बाहर बाकी पेज 8 पर

ब्रिटिश सांसद को दिल्ली में हवाईअड्डे पर रोका गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

कश्मीर मुद्दे पर पर एक संसदीय दल का नेतृत्व कर रही एक ब्रिटिश सांसद ने सोमवार को दावा किया कि यहां हवाईअड्डे पर उतरने के बाद उनके पास वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने दिया गया। हालांकि, भारत सरकार ने उनके इस आरोप बाकी पेज 8 पर

कश्मीर नीति की आलोचक रही सांसद का ई-वीजा रद्द, दुबई प्रत्यर्पित।

ब्रिटिश सांसद को समुचित ढंग से सूचना दे दी गई थी कि उनका वीजा रद्द कर दिया गया है और इस बात की जानकारी होने के बावजूद वह दिल्ली आईं- गृह मंत्रालय।

पाक ने श्री कटासराज यात्रा के लिए दिया 200 तीर्थयात्रियों को वीजा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग ने सोमवार को कहा कि उसने हिंदू तीर्थयात्रियों के एक समूह को पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में श्री कटासराज मंदिर जाने के लिए वीजा जारी किया है। 200 तीर्थयात्रियों का यह समूह 19 से 25 फरवरी के बीच श्री कटासराज मंदिर की यात्रा करेगा। इसे किला कटास या कटास मंदिरों का परिसर के नाम से भी जाना जाता है।

भारत के लारा लक्षित हमले के बाद पाकिस्तान ने इस धार्मिक यात्रा पर रोक लगा दी थी। छह साल में पाकिस्तान ने तीसरी बार श्री कटासराज मंदिर बाकी पेज 8 पर

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक परंपराओं की न्यायिक समीक्षा सुनवाई में कहा

धार्मिक चढ़ावा हो सकता है नियंत्रित

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट के नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को टिप्पणी की कि धार्मिक स्थलों पर चढ़ावा चढ़ाना धार्मिक परंपरा हो सकती है किंतु यदि इसका उपयोग आतंकवाद या कैसीनो चलाने के लिए किया जा रहा हो तो इसके इस धनराशि को कानून के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि 'मानव बलि देना' और 'सती' जैसी प्राचीन प्रथा कानून के तहत हत्या है और आवश्यक धार्मिक परपंरा के आधार पर इसे बचाया नहीं जा सकता है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले संविधान पीठ ने धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित मुद्दों के साथ ही अलग-अलग धार्मिक पंथों की 'आवश्यक धार्मिक परंपराओं' की न्यायिक समीक्षा पर सोमवार को सुनवाई शुरू की।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौदर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं। कोर्ट इस मुद्दे पर भी विचार कर रहा है कि क्या कोई व्यक्ति किसी आस्था विशेष से संबंधित बाकी पेज 8 पर

क्या कहा अदालत ने

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक चढ़ावे का इस्तेमाल अगर आतंकवाद या कैसीनो चलाने के लिए किया जा रहा हो तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि 'मानव बलि देना' और 'सती' जैसी प्राचीन प्रथा कानून के तहत हत्या है और आवश्यक धार्मिक परपंरा के आधार पर इसे बचाया नहीं जा सकता है।

पांच जगहों पर सेना के तीनों अंगों की होगी एक कमान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को ऐलान किया कि भारत में पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए दो से पांच 'थिएटर कमान' बनाई जाएंगी। यह कमान 2022 तक प्रभाव में आ जाएंगी।

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के लिए एक विशेष थियेटर कमान गठित की जा रही है। ये कमान थल, वायु और नौसेना की शक्तियों से लैस होंगे। हर बाकी पेज 8 पर

जनरल रावत ने सैन्य सुधारों के बड़े एजंडे की घोषणा की

थिएटर कमान के पास तीनों सेनाओं की ताकत होगी और हर कमान का एक प्रमुख होगा। इनके गठन, संचालन व नियंत्रण आदि मुद्दों को अभी तय किया जाना है। तीन साल में इस प्रक्रिया के पूरी होने की उम्मीद है। *-जनरल बिपिन रावत प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस)*

दरअसल

आस्था की रेल भगवान शिव के लिए एक सीट आरक्षित की गई ताकि इस नई ट्रेन की सफलता के लिए उनका आशीर्वाद लिया जा सके -आइआरसीटीसी

काशी-महाकाल एक्सप्रेस में भगवान शिव विराजमान

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

आइआरसीटीसी ने सोमवार को कहा कि काशी-महाकाल एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा के दौरान इसमें भगवान शिव के लिए एक सीट आरक्षित की गई है, ताकि इस नई परियोजना की सफलता के लिए उनका आशीर्वाद लिया जा सके। हालांकि, इस कदम पर सवाल भी उठाए गए हैं।

भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) ने एक बयान में कहा कि ट्रेन कर्मचारियों ने काशी-महाकाल एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा के दौरान रविवार को पूजा करने के लिए ऊपर की एक सीट पर श्री महाकाल का फोटो कुछ समय के लिए रखा था। वहीं, एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस कदम पर सवाल उठाया और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को टैग करते हुए संविधान की प्रस्तावना की एक तस्वीर ट्वीट की। रेलवे ने तीन ज्योतिर्लिंगों ओंकारेश्वर (इंदौर के पास स्थित), महाकालेश्वर (उज्जैन) और काशी विश्वनाथ (वाराणसी) को जोड़ने वाली ट्रेन के डिब्बे बी5 में सीट नंबर 64 भगवान शिव के लिए आरक्षित की थी। ट्रेन का पहला वाणिज्यिक परिचालन 20 फरवरी को होना है। आइआरसीटीसी ने बयान में कहा, 'नई काशी-महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन के कर्मचारियों ने ऊपरी बर्थ पर अस्थायी रूप से भगवान शिव का फोटो रखा, ताकि नई परियोजना (नई ट्रेन और नई रैक) की सफलता के लिए उनका आशीर्वाद लिया जा सके। यह सिर्फ उद्घाटन परिचालन के लिए ही था।'

बयान में कहा गया है, 'उद्घाटन परिचालन यात्रियों के लिए नहीं था। 20 फरवरी 2020 से शुरू हो रही इस ट्रेन की वाणिज्यिक यात्रा के दौरान इस उद्देश्य के लिए इस तरह की कोई आरक्षित या सर्मिपत सीट नहीं रखी जाने वाली है।'

भारतीय रेल की अनुषंगी आइआरसीटीसी द्वारा संचालित यह तीसरी ट्रेन होगी। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को वाराणसी जंक्शन पर हरी झंडी दिखा कर रवाना किया था।

आइआरसीटीसी ने बयान में कहा, 'नई काशी-महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन के कर्मचारियों ने ऊपरी बर्थ पर अस्थायी रूप से भगवान शिव का फोटो रखा, ताकि नई परियोजना (नई ट्रेन और नई रैक) की सफलता के लिए उनका आशीर्वाद लिया जा सके। यह सिर्फ उद्घाटन परिचालन के लिए ही था।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Ajay S/o Shree Krishan Aggarwal R/o D-9E, First Floor Front Side Flat, Gali No-5, Raja Puri, Kh No-104/15/16, D Block, Uttam Nagar, Delhi-110059 Have Changed My Name to Ajay Aggarwal. 0070698861-1

It is notified that I, Deepanshu Malasi S/O Shri.Dinesh Malasi R/O-H.No.1335 Laxmibai-Nagar New Delhi-110023 inform that my father name has been wrongly written as D.C.Malasi in my Bachelor of Technology in Mechanical-Engineering Certificates.The actual name of my father is Dinesh Malasi. Which may be amended accordingly. 0040532434-10

I,Shama Khurana W/O Kamal Nagpal R/O-4/437, Galino.11, Maniram Mandir Road, Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi-110032.Changed my Name to Shama Nagpal. 0040532425-2

I, hitherto known as Bhola Shankar S/o Shyam Lal employed in I.T.B.Police, Govt.of India, residing at-F-547, Sector-5, Dr.Ambedkar-Nagar, Dakshinpuri, New Delhi-110062 have changed my name and shall hereafter be known as Bhole Shanker Puhar. 0040532434-7

I, Vinay Kumar Pandey S/O Narbdeshwar Pandey H.No-C-240-241, Pandeav Nagar Delhi-110092. Changed My Name To Vinay Pandey. 0040532434-2

I, Sunita Rana D/o Sabbal Singh Rana R/o-RZ 25M/1, Indra Park Palam Colony New Delhi-45.changed my name to Sunita Devi. 0040532423-9

I, Sunil Kapoor S/o Kasturi Lal R/o 279, 1st Floor, Bhai Parmanand Colony, Delhi-110009 have changed my minor daughter's name from Chehak Kapoor to Charvi Kapoor for all future purposes. 0040532419-1

I, Sukhdeep Singh Sahni S/o Ranbir Singh Sahni R/o E-9, Model Town-II, Delhi-110009 have changed my name to Sukhdeep Singh. 0040532364-1

I, Sobhagya Vati W/o S. Surendra Mohan R/o 17/84, Than Singh Nagar, Lane No-1, Anand Parvat, Delhi-110005 Have Changed My Name to Sobhagyawati. 0070698879-1

I, Pankaj Jain S/o Jagdish Prasad Jain R/o C-701, Apex Acacia Valley, Sector-3, Vaishali, Ghaziabad-201010 Have Changed My Name to Pankaj Kumar Jain. 0070698878-1

I, Shamail Khan S/o Sajid Khan R/o 3296, Bazar Delhi Gate, Darya Ganj, New Delhi-110002 have changed my name to Shumail Khan for all purposes. 0040532368-1

I, Shaleen S/o Sanjeev Singh R/o Flat-403, Tower-12, NRI-City GH-1, Omega-2, Greater Noida, G.B.Nagar, have changed my name Shaleen Singh. 0040532425-10

I, Savneet Kaur d/o Dr. Gurvinder Singh R/o Flat No.902, Jasminium Apartments, GH-4, Sec 45, Gurgaon confirm that Savneet Kaur and Savneet Kaur Banga are one and same person's name 0040532412-1

I, Sarabjeet Singh R/O-L-2, UGF, Rajouri Garden N.Delhi-110027, Have Changed My Minor Son's Name Arshdeep Singh To Arshdeep Singh Sahni. 0040532423-7

I, Sanya Aggarwal d/o Sushil Aggarwal w/o Barinder Singh r/o 15A/12, East Patel Nagar, Delhi-110008 have changed my name to SANYA KAUR. 0040532373-2

I, Santosh Kumar Ojha S/o Badri Narayan Ojha R/o #103, First Floor, Anand Bhawan Apartment, Street No.16, Rangpuri, Mahipalpur (Delhi) have changed my name to Santosh Ojha. 0020402806-1

I, Sanjeev Singh F/o Abeer R/o Flat-403, Tower-12, NRI-City GH-1, Omega-2, Greater-Noida, G.B.Nagar have changed minor son name Abeer Singh 0040532434-3

I, Sanjeev Kumar Hari S/o Raj Kumar Hari R/o-A-120, Lok-Vihar, Delhi-110034, have changed my name to Sanjeev Hari. 0040532425-8

I, Renu W/o Manoj Jindal R/o-B-228, Ramprastha Colony, Ghaziabad, U.P.-201011 have changed my name to Renu Jindal. 0040532425-9

I Abishek Arora S/O, Suresh Arora R/o C-34 Gulmohar Park, New Delhi have changed my name to Abhishek Arora for all purposes. 0040532378-1

I , Partap Sehgal S/o Jagan Nath Sehgal R/o 101 , Block-F , Rajouri Garden , New Delhi - 110027 inform that Partap Sehgal and Paratap Sehgal both name are same person . 0040532404-1

I, Anand Singh S/o. Hoshiyar SinghR/o. Village Lowa-Khurd, P.O.Nuna-MajraTehsil Bahadurgarh,Distt. Jhajjar Haryana. My Minor son's correct name speling isDHAIRYA Instead of Dhariya. 0040532414-1

व्यक्तिगत

I, Rakesh, S/o-Om Prakash,R/o-823 Akbarpur-Barota, Sonipat,Haryana-131103, in form that in my EPFO & ESIC-Documents,my name & my date-of-birth has wrongly-mentioned as Rajesh-D.O.B.-01.07.1990,instead of Rakesh Date-of-Birth-01.01.1984. 0040532443-1

I, Rajvinder Kaur W/O Manminder Singh R/O-WZ-43A, Gali No-7, Guru Nanak Nagar Delhi-110018. Have Changed My Name To Rajwinder Kaur. 0040532423-6

I, Rajender Singh S/O Jugal Kishore Sharma R/O 189A, Dhakka-Village, GTB Nagar, Delhi Changed Name To Rajendra Sharma. 0040532423-1

I, Pravin Singh S/o Jagat Narayan Singh R/o-81/5, Moti-Colony, Vill-Sehatpur, Faridabad, Haryana-121001 have changed my name to Pravin Kumar Singh. 0040532425-6

I, Parveen Bansal S/o Satya Narain R/o H.No-927 C, Gali No-3, Nearheera Mandir, Old Faridabad, Bhood Colony, Kheri Kalan, Faridabad, Haryana-121002 Have Changed My Name to Praveen Kumar Bansal. 0070698867-1

I, Pandev Thakur, S/o Sh.Ram Dahin,R/o-RZ-643/313, Gali.No.6, Gitanjali-Park,West Sagarpur,New Delhi-110046, have changed my name to Pundeo Thakur, for all future purposes. 0040532443-2

I, Nitu Rastogi W/o Anjali Kumar Rastogi, R/o-RZO-19A, Nanda-Block,Mahavir-Enclave,Part-I, New Delhi-110045,have changed my name to Natasha Rastogi after-marriage,for future purposes. 0040532443-3

I, Mohd Mizam S/o Abdul Bari R/o A-705 FF, J J Colony, Pankha Road, Uttam Nagar, Delhi-110059 Have Changed My Name to Mohammad Moajjam. 0070698875-1

I, NAMIT CHOPRA S/o Shri. VINAY CHOPRA R/o EG-68, FIRST FLOOR, INDERPURI, NEW DELHI confirm that NAMIT CHOPRA and NEESON NAMIT CHOPRA are one and same person's name 0040532411-1

I, Minakshi Jha W/O Shivendra Kumar Jha R/O-Flat No-703, V3s Indralok Apartment, Nyaykhand-1, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.201014, Changed My Name To Minakshi. 0040532425-7

I, Mahender S/o Kishori Lal R/o 456-B, Nyaykhand-2, Indirapuram, Ghaziabad, have changed my name to Mahender Arya. 0040532434-4

I, Kamlesh W/o Sahdev Sharma R/o RZ-54/703 K-Block, Gopal Nagar, Najafgarh, Delhi-110043, have changed my name to Kamlesh Devi. 0040532423-3

I, KM Sandhya Bhardwaj D/o Tejveer Bhardwaj R/o 180/28 Sector-16 Vasundhra Ghaziabad-201012 U.P. have changed my name to Sandhya Bhardwaj. 0040532365-1

I, Jayshree Khatri W/o Vinay Sadana R/o H.No-2211, First Floor, Housing Board Colony, Sector-28, Faridabad, Haryana-121002 Have Changed My Name to Jaishree Khatri. 0070698877-1

I, Jaspinder Singh S/o Udham Singh Oberoi R/o-WZ-101, G-Block, Hari-Nagar, New Delhi. have changed my name to Jaspinder Singh Oberoi. 0040532423-10

I, Israr Ahmed S/o Chotey Lal R/o E-79. Gali no-3, Chand Bagh, Karawal Nagar, Delhi-110094 Have Changed My Name to Israr. 0070698857-1

I, Hitherto Known As S.Tanvier Hasan W/O Syed Mohammed Nadeem Hasan, Residing At-H.No.96-A, Zakir-Bagh, Maulana Mohammad Ali Marg, New Friends Colony, New Delhi-110025, Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Sayyeda Tanvier Hasan. 0040532434-9

I, Hitherto Known As S.M. Nadeem Hasan Alias Syed Mohd.Nadeem Hasan S/O Syed Mohammad Zahid Hasan, Residing At- H.No.96-A, Zakir-Bagh, Maulana-Mohammad Ali Marg, New Friends Colony, New Delhi-110025, Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Syed Mohammed Nadeem Hasan. 0040532434-8

I, Hanus Sharma W/O Rajendra Sharma alias Rajender Sharma R/O 189-A, Dhakka-Village, GTB Nagar, Delhi. Changed Name To Hansa Sharma. 0040532423-2

I, Fareed Akbar S/o Rais Ahmad R/o 143, Veer-Abdul Hamid-Colony, Sector-12, Vijai-Nagar, Ghaziabad have changed my name to Akbar Ali. 0040532434-5

I Musleem Ahemed S/O Naseeb Ali R/O-15/4 Sarojini Naidu Park Shashtri Nagar Delhi-31. Have Changed My Name To Muslim Ahmed. 0040532434-6

I Mohd Saleem S/o Abdul Khalik R/o-H.No.39 Noor-Nagar Jamia Nagar ND-25 have changed my name Mohd Salim for all purpose. 0040532423-4

I Jaspreet Kaur W/O, Naresh Kumar Gupta R/o Gh-5&7 Flat No.842, meera Bagh Paschim Vihar have changed my name to Jaspreet Kaur Gupta for all purposes. 0040532380-1

मैं, विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र एस.एस. बुबना निवासी 4322, गली भैरों वाली, जोगीवाड़ा, नई सड़क, चांदनी चौक, दिल्ली जी.पी.ओ., उत्तरी दिल्ली-110006 एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने अपना नाम विनोद कुमार अग्रवाल से बदल कर भविष्य में सभी कार्यों हेतु विनोद बुबना रख लिया है।

I, Ekta Rani W/o Pankaj Gulati R/o 191, 2nd Floor, Pkt-9, Sector-21, Rohini, Delhi-110086 have changed my name to Ekta Gulati for all purposes. 0040532361-1

I, Dinesh Kumar R/o House No 235/10 Devilal Colony, basai Road, Gurugram, HR-122001 have changed my minor daughter's name from Neetu Kumari to Neetu for all purposes. 0040532376-1

I, Deepakshi D/o Raj Kumar Pahwa R/o WZ-3530 Raja Park Shakurpur Basti Delhi-110034. changed my name to Deepakshi Pahwa. 0040532425-5

I, Bhawna W/O Neeraj Kumar Rathore R/O 102, Engineers Enclave, Pitampura, Delhi-110034. Have Changed My Name To Bhawna Rathore. 0040532425-1

I, Ashok R/o P-27, Chander Shekhar Azad Colony Sarai Rohilla. North Delhi, Delhi 110007 have changed my name to Ashok Kumar 0070698881-1

I, Archana Devi spouse of No. 7779834Y Rank NK (MP) Uday Pratap Pandey S/o Shri Om Prakash Pandey R/o Unit-4, Rapid Provst unit Allahabad C/o 56 APO have changed my name from Archana Devi to Archana Pandey vide affidavit dt. 15.02.2020 before Civil Court Lucknow. 0060072982-2

I, Animesh Dubey S/o Anil Dubey r/o Q-382 Jalvayu Vihar, Sector-21, Noida, Uttar Pradesh-201301 have changed my name from Animesh Dubey to Animesh Anil Dubey. 0070698855-1

I, Anil Kumar S/O Balwan Singh Hooda R/O-C-41, Rama Vihar, Mohammadpur Majri, Karala, Delhi-110081.Changed my Name to Anil Kumar Hooda. 0040532425-3

I, Anil Verma S/o Rama Shankar R/o-H.No.-2092, Street No.4/5, Chuna-Mandi, Swami Ram Tirth-Nagar, Delhi-110055 have changed my name to Anil Rajput 0040532443-6

I, Ajeet Singh S/o Surjeet Singh R/o A-545 A-Block J.J.Colony Raghubir Nagar Delhi-110027, Changed My Name To Ajeet Singh Makkar. 0040532434-1

I, Aftaf S/o Mohammad Moajjam R/o A-705 FF, J J Colony, Pankha Road, Uttam Nagar, Delhi-110059 Have Changed My Name to Aftab Khan. 0070698871-1

I, Amit Gupta F/o Om Gupta R/o-A-612, Tower-2, Ashiana-Upvan, Indirapuram, Ghaziabad, have changed minor son name Omansh Gupta. 0040532443-7

I want to change my name in son's school record from Bhajendra C. Rajwar to Bhajendra Chand Rajwar. 0060072973-2

I Shubham S/o Hardev Singh R/o-A1/163A, Street No.-8, Om-Vihar, Phase-5, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Shubham Sandhu. 0040532423-8

I Sajjan Singh S/O Chiraji Lal H.No-368, Gali No-9 Lakhpat-Colony- I Meethapur-Extn Badarpur N.Delhi-110044, Changed my Name To Sajjan Singh Baghel. 0040532425-4

I Ruchika W/O, Ankush Khare R/o B-227/10 Ashok Nagar Gali No.7, Shahdara, Delhi-110093 have changed my name to Ruchika Saxena for all purposes. 0040532374-1

I Nurun Nisa W/O, Md. Tauhid Khan R/o 435, Gali-1c, Block-d, Ratiya Marg, Sangam Vihar, New Delhi-62 have changed my name to Nurun Nisha for all purposes 0040532407-1

I Dharmendra Kumar , R/o C 130 , NTPC Township , Sector 33, Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P -201301 have changed my Minor child's name from Ansh to Devarsh Kumar. 0070698853-1

I Arjunmand Bano D/o Haji Mohd Naqi W/o Mohd Ashraf R/o B-58, Idgah Road, Sadar Thana, Sadar Bazar, North Delhi, Delhi-110006 have changed my name to Arjuman for all purposes. 0040532358-2

I Amit Jain S/o Sh.Sharwan Kumar Jain R/o H.No.1/5728 F, Street No.16, Near 15 Feeta Road, Balbir Nagar, Shahdara, Delhi-110032 have changed the name of my minor son from Chirag Jain to Arjun Jain for all purposes. 0040532358-1

I, Anita Dhingra w/o Naveen Ahuja R/o-A-91, Ashok Vihar, Phase-III, Delhi-110052, have changed my name to Anita Ahuja permanently. 0040532423-5

I Pawan S/o Rati Ram R/o-A/1561 Ward No-10 Firoz Nagar Block-A Dabua Faridabad, have changed my Name to Pawan Bhadana 0040532170-1

रिक्त स्थान

Required 25-30-year-old Male for office and Field Work. Good Salary Per Month Call-9936590499 0050162556-1

खोया+पाया

I, Ravinder S/o Kameshwar Shah R/o-B-341 mohan garden uttam nagar new delhi-59.have lost my original/ certificate class-12th year-2009 Rollno-6672951 CBSE-Delhi. 0040532443-8

I, SHEENA Elizabeth shilu D/o Shilu c joseph R/o-Charuvileth house Kumbazha Vettoor p.o.Kerala. State-Pathanamthitta.-689653have lost my original certificate class-10th year-2019 Rollno-8113379 CBSE-Delhi. 0040532443-10

IT IS notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Class-10th,Year-2013,Roll No.8756120,issued by CBSE has been actually lost.REEMA KUMARI,D/o-RAJ KUMAR,R/o-F-3/8,Shiv Durga Vihar,Lakkarpur Surajkund, Faridabad-121009,Finder contact. 0040532448-2

It is notified for the information that my original certificate and marksheet of secondary-school examination-2005 (class-x)and Roll.No.6339962 passout from CBSE-delhi has been actually lost.Reeti upadhayay d/o arvind kumar upadhayay, B-1781/5, shastri-nagar,delhi-110052.(M)-9971911237. 0040532443-11

Lost original Sale Deed and other documents of property No.29, Khasra No.624/278, Village Hauz Khas, New Delhi. Founder inform at: 9810072750 0040532362-1

I, ANOJ Kumar sharma S/o-chander Dev Tripathi R/o-D-3/431 st.no-8 Sonia-vihar 3rd-pustha Delhi-94. have lost my original/certificate class-10th year-2011 Rollno-8803981 CBSE-Delhi. 0040532443-9

I Preeti D/o Satish Kumar R/o H. No 1042, Sultanpur Road Pooth Khurd Delhi-110039 I have lost my 10th Class Pass Certificate, Roll No.8671717, issue By Central Board Secondary Education (CBSE) Kindly contact if anyone found at above mentioned address. 0040532405-1

LOST

We, Naveen Gera S/o Shri L.D. Gera and Pomita Khurana W/o Mukesh Khurana both R/o M-447, Guru Harkishan Nagar, Paschim Vihar, New Delhi-110087, have lost the Builder Agreement & other documents of Property No.316 and 408, Ushakiran Building, Plot No. A-4/1, Naniwala Bagh Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033. Finder may contact Mobile 9873658995

PUBLIC NOTICE

It is to inform public at large that my Clients namely Smt. Savitri W/o Sh. Banwari Lal and her Husband Namely Sh. Banwari Lal S/o Sh. Ganga Ram both R/o A-10, Kaushalpur, Azadpur, Delhi, have disowned their son namely Tinku and his wife namely Smt. Juli R/o Gali No.10, Samta Vihar, Mukandpur Part-II, Delhi from their movable and immovable properties and severed all the relations from them as they have become disobedient and out of their control, if any person deals with them they shall do the same on his own risk and responsibility.

Sd/-
P.K. DIXIT (Advocate)
CH. NO. A-35,
AMAR NATH MONGA BLOCK,
TIS HAZARI COURTS, DELHI-54

PUBLIC NOTICE

My client Shri Roop Chand Gupta S/o Shri Kanshi Ram R/o B-2/49, B2-Block, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052, has severed all his relation, connection, link with his son namely Ajay Gupta and his wife Smt. Nirmal Gupta, as they are not obedient, acting adverse to the interest of my client and family members and insulted, neglected, misbehaved, abused with filthy languages with my client and his family members. My client has debarred/disowned them from all his movable and immovable properties which he has purchased out of his own hard earned money i.e. B-2/49, Phase-II, Ashok Vihar, Delhi and Gupta Iron Store, Near Sindhi Dharamshala, Ashok Vihar, and Factory No. 116, Phae-II, Badli Industrial Area, Delhi belonging forever, anyone dealing with them will himself be responsible for the same.

Sd/-
(YOGESH RATHEE)
ADVOCATE
Ch. No. P-31, Post Office Lane
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at large that my client Sh. Rakesh Kumar S/o Late Sh. Madan Lal R/o A-54/244, Janta Qtr., Janakpuri, New Delhi-58 has severed all his relations from his daughter Ms. Priyanka, her legal heirs & her associates, disowned & debarred all of them from all his movable & immovable properties with immediate effect because of harassment, torture, cruelty & atrocities committed by them against my client. Any person dealing with them, shall be doing so at their own risk, cost & consequences. My client shall not be responsible in any manner for the same.

Advocate A. K. Verma
319, DC, Janakpuri

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, **Md. Firoj Khan** S/o Mohammad Farukh, R/o **636, Block-J, Swaroop Nagar, North West Delhi, Delhi-110042** declare that name of mine/my father have been wrongly written as **MD. FIROJ KHAN & MOHAMMAD FARUKH** in my Aadhar Card. The actual names of mine/my father are **MOHAMMAD FIROJ KHAN** and **MOHAMMAD FAROOQ** respectively, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Harinder Kaur W/o Harmail Singh R/o House No. 314 St. No. 7 Janta Colony Basti Jodhewal Ludhiana declare that name of mine has been wrongly written as Harvinder Kaur in my son (Inderjit Singh) Passport No. R6472385 Issued from Chandigarh. The actual name of mine is Harinder Kaur respectively which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client, Mrs. Meena Rani, W/o. Mr. Harish Kumar @ Harris John, R/o. 278, A/1, Church Lane, Bhogal, New Delhi -110014, who is working as a Teacher in MCD School, has disassociated herself from her husband Mr. Harish Kumar @ Harris John. Mr. Harish Kumar @ Harris John shall not be entitled for any retirement or other benefits pertaining to the present or future job of our client. He shall also not be entitled to a share in any other moveable or immovable properties of my client. My client shall not be responsible for the actions of Mr. Harish Kumar @Harris John, and any one dealing with him shall be doing so at his own risk and consequences.

SHALABH GUPTA-ADVOCATE
5/25A, LGF, Jangpura-B,
New Delhi -110014

सड़क हादसे में छह लोगों की मौत

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 17 फरवरी।

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नालूपानी रिणु बासा के पास एक कार 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई।

PUBLIC NOTICE

My client Anil Narula S/o Late Anil Chand Narula R/o- B-976, Greenfield, Faridabad, Haryana says that my son **Puneet Narula** (age 27 year) & my own wife **Madhu Narula** (age 54 year) are not under my control and says that they has been acting against my interest therefore hereby debar, disown them from my all our moveable & immoveable property(s) whatsoever & where so ever including my bank balance in my lifetime & after my death also. My client shall not be responsible for their acts. Any person dealing with them, in future, shall do so at their own risks and responsibilities.

S.K. Gupta (Advocate)
Ch. No. D-209, Karkardooma Court, Delhi

PUBLIC NOTICE

My client Shri Vishwanath S/o Late H.L.Sharma and Smt. Saroj W/o Shri Vishwanath, Both R/o Flat No.2, Sathi Apartments, Plot No.18, Sector-9, Rohini, New Delhi-110085 have severed/terminated all relations from their son Govind Sharma and daughter-in-law Smt. Jyoti Saraswat alongwith their dauther (Divyanshi) and disinherited/disowned them from their all moveable and immovable properties due to their misbehaviour, cruelty and non-compliance. In future, if any person deals with the aforesaid debarred persons then he shall be doing this at his/her own risks and costs and my clients will not be responsible for the same in any manner.

S.M. Sharma (Advocate)
Ch.No.57, Typist Block, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client JAWAHAR LAL S/O SH. RAM BADAL R/O G-3/27C, SAI ENCLAVE, G3, PART-1, D.K. MOHAN GARDEN, UTTAM NAGAR, WEST DELHI-110059 hereby sever all his relation from his son namely Mr. SURAJ KUMAR and his Mrs. SAROJ and debarred them from all his movable and immovable properties forever. Due to their rude behaviour and out of control.
Any person dealing with them shall be doing so at his/her own risk and responsibility. in future my client will not be responsible for their any act and deeds.

Sd/- RAMESH KUMAR, ADVOCATE
SR IInd,B Campus,Distt.Cntr.Janakpuri,ND-58

PUBLIC NOTICE

Know all men that my client Sh. Rohtash S/o Sh. Hariya R/o C-165, Village Nawada, Uttam Nagar, WestI Delhi-110059, have debarred and disowned his son Ajit Kumar alias Ajay, from all his movable and immovable properties. In future any person deals with him, shall do so at its own risk and responsibility. My clients will not be responsible for their any acts and deeds.

Sd/- SHEKHAR JAIN, ADVOCATE
F-1,Mukhram Garden, Tilak Nagar, N.Delhi-18

PUBLIC NOTICE

My clients Harminder Kumar Dawar S/o Late Sh. Manohar Lal and Veena Dawar W/o Harminder Kumar Dawar both R/o D-16/108-109, Ground Floor, Sector-7, Rohini, Delhi-110085, have debarred their son Gaurav Dawar and daughter-in-law Yashika Dawar from all their movable and immovable properties and assets with immediate effect. If anybody deals with them, shall do so at his/her/their own risk, cost and responsibility. My clients shall not be responsible in any manner in future.

Kamal Singh (Advocate)
Ch.no.512, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

My client Inderdeep Malik and his wife Poonam Malik, Resent of 50, parishram Duplex, opp Padam Park, Novino Tarsali Road Makarpura Road, Vadodara-390010, have severed all relation with their son "Prakhar Malik" and have disowned/ debar him from their Movable/Immovable property as his acts/ deeds are out of control. If anybody deals with him, He/She will do so at their own risk and my client will not be responsible for any of his acts/deeds in future.

Sd/-
(Rohit Dadwal)
Advocate
Ch. No. 130, Saket Courts,
New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

My client Asha Rani W/o Late Sh. Bhagwan Dass D/o Sh. Kanshi Ram R/o D-35B, Janta Flats, Raghubir Nagar, Behind Shiva College, New Delhi-110027 has issued a disowned notice regarding the disowned of her son Rajesh Kumar Grover & his wife Meenu Grover R/o H. No. 76, Near Bank Wali Gali, C/o Mr. Anuj Keshik, Prahladpur, Delhi & debarred them from all their moveable & immoveable property published on 9 May, 2014 in daily newspaper Rashtriya Sahara. Now that publication is hereby revoked and canceled from the date of publication & he and his wife become the member of this family & will get all the survivor rights.

Adv. Satyainder Nath Sharma
SR-II, DC Janakpuri, N.D.-58

Public Notice

It is for general information that I, **Rakesh Sharma** S/o **Kanhaiya Lal Sharma** residing at Makan no.-K-324, Mahipal Pur, South-West Delhi, Delhi-110037, declare that name of mine and my wife has been wrongly written as **Rakesh Kumar** and **Rama Sharma** in the Educational Documents of my minor son, **Rishi** aged 17 years.The actual name of mine and my wife are **Rakesh Sharma** and **Rama Devi** respectively which may be amended accordingly.

Public Notice

My Client, Mrs. Meera kumar w/o Late Sh. Mohendra Kumar R/o J-28 Saket New Delhi has disowned & disinherited her son Ravi kumar and his wife Isha Bhatnagar (both currently residing at sector 9, Faridabad) from all her moveable & immoveable property- both present & future, due to their misbehaviour & ill-treatment towards her. My client shall not be responsible for any act, deed, claim or any action made by them or by anybody dealing with them.

R K Gupta, Advocate

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सीएए के समर्थन में 154 प्रतिष्ठित नागरिकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों, सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों और शिक्षाविदों समेत 154 प्रतिष्ठित नागरिकों ने सोमवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए नापाक साजिश के तहत झूठा और निहित स्वार्थ वाला अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने समस्या उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे पत्र में इन प्रबुद्ध नागरिकों ने केंद्र सरकार से पूरी गंभीरता से इन प्रदर्शनों पर गौर करने और देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को बचाने का अनुरोध किया। साथ में इस तरह के अभियान के पीछे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जो उनके पीछे हैं। इन नागरिकों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के 11 पूर्व न्यायाधीश, 24 सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के 11 पूर्व अफसर, भारतीय पुलिस सेवा के 16 सेवानिवृत्त अधिकारी, 18 पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि पूरे भारत में भय फैलाया जा रहा है जो स्वार्थ से भरा और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की नापाक साजिश लगती है। उन्होंने कहा कि अभियान समन्वित तरीके से चलाया जा रहा जिससे हिसक प्रदर्शन हुए हैं और सरकारी एवं निजी संपत्ति को नष्ट किया गया है। नागरिकों ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी(एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विचार को लेकर झूठ और घृणित विमर्श फैलाया गया है।

उन्होंने कहा कि सीएए बना दिया गया है जबकि एनआरसी और एनपीआर स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही चर्चा का ऐसा मुद्दा रहा है जिसे लागू किया जाना है। नागरिकों ने कहा, 'इसके (प्रदर्शनों) के गंभीर सुरक्षा निहितार्थ हैं और यह हमारी मातृभूमि के लिए शुभ संकेत नहीं है।' उन्होंने कहा, ' इन प्रदर्शनों में भारत सरकार की नीतियों का स्पष्ट रूप से विरोध किया जा रहा हैं जबकि इनका इरादा इस देश के ताने बाने को नष्ट करना और देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना है।'
उन्होंने दावा किया कि उन्हें लगता है कि पैदा की जा रही गड़बड़ी के बाहरी आयाम भी हैं।

ईडी ने जब्त की करोड़ों की नकदी और सोना-चांदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ शहरों में एक कथित सोना तस्करी हवाला गिरोह से जुड़े सर्राफा कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे और 3.75 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और 39 किलोग्राम सोना-चांदी जब्त किया है।

ईडी ने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के प्रावधानों के तहत जयपुर, कोलकाता और चेन्नई में विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे। एजंसी ने सोमवार को दावा किया कि इस कार्रवाई में सीमा-शुल्क, जीएसटी और आयकर की भारी चोरी का पता चला है। ईडी के मुताबिक, 'जयपुर के महाराजा ज्वैलर्स (प्रोपराइटर तारा चंद सोनी), भगवती ज्वैलर्स (मालिकः राम गोपाल सोनी) और लाडीवाला एसोसिएट्स (मालिकः हनी लाडीवाला) चेन्नई के हर्ष बोथरा और बांका बुलियन्स प्राइवेट लिमिटेड आदि से तस्करी की सोने की छड़ें खरीद रहे थे।' इस सूचना पर काम करते हुए पता चला कि सोने की छड़ों की तस्करी और उन्हें जयपुर पहुंचाने के मामले में कई लोग शामिल थे। सोने की छड़ें मुख्य रूप से कोलकाता से जयपुर पहुंचती थीं और बहुत शुद्ध स्तर की होती थीं।

ईडी ने कहा, 'जयपुर, कोलकाता और चेन्नई में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी में 3.75 करोड़ रुपए की बेहिसाब भारतीय और विदेशी मुद्रा, 26.97 किलोग्राम सोने की छड़ें तथा आभूषण एवं 12.22 किलोग्राम चांदी के साथ अपराध की ओर इशारा करने वाले दस्तावेज मिले हैं। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल उपकरणों की अभी जांच नहीं हुई है तथा इनसे अवैध लेनदेन के बारे में आगे और जानकारी मिल सकती है।'

फॉर्म आईएनसी-26

(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र केन्द्र सरकार, के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी के (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (क) के मामले में
तथा
पनयुन टैक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन: U74999UP2018PTC108276)
जिसका पंजीकृत कार्यालय निकोलस-1 / 603, सुपरटेक ज़ार सुट्स ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उप्र 201308, मामले के मामले में

...याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करती है, जिसके तहत **09 / 12 / 2019** को असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **'उत्तर प्रदेश'** से **'हरियाणा राज्य'** में स्थानांतरित करने में सक्षम बन सकें।
कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह **उल्लेखकारी शपथ-पत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुधुर्द कर सकता है** अथवा अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के शपथ-पत्र भरकर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003 के पते पर पंजीकृत डाक से भेज सकते है, साथ ही इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और सुश्री रजनी कोंडली, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को चौदह (14) दिनों भीतर सुधुर्द करनी होगी।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
पनयुन टैक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
शुभांगी बंसल
(अपर निदेशक)
DIN: 08472068

दिनांक: 18.02.2020
स्थान: नोएडा (यूपी)

पता: विवेक नगर, सराय रफी, चाँदपुर, बिजनौर, चाँदपुर, उत्तर प्रदेश, बिजनौर 246725 यूपी

कांग्रेस असामाजिक तत्वों का करती है समर्थन : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 15 दिसंबर की हिंसा को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस हमेशा असामाजिक तत्वों का समर्थन करती है। इससे पहले जामिया के पुस्तकालय में विद्यार्थियों पर पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के लाठियां भांजने से जुड़ा कथित वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा था।

भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने जामिया में हिंसक प्रदर्शन की आड़ में वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को आड़े हाथों हाथों लिया। राव ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस की ओर से लगातार असामाजिक तत्वों का समर्थन किया जा रहा है। कांग्रेस ऐसे तत्वों के साथ तो अपनी संवेदना जताती है लेकिन पुलिस बल के जवान जो विपरीत परिस्थितियों में भी देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, कांग्रेस उनके खिलाफ सवाल उठाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के पक्ष में लगातार बोलना आ

मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम–26.4 डि.से.		सूर्योदय– 6:58
न्यूनतम– 9.6 डि.से.		सूर्यास्त– 18:12

मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने पदभार संभाला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों ने दिल्ली सचिवालय जाकर सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। मामूली फेरबदल के साथ सभी मंत्री अपने पिछले कार्यकाल के अनुरूप ही अपने-अपने विभाग संभालेंगे। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल कोई भी विभाग नहीं संभालेंगे जबकि मनीष सिसोदिया नए कार्यकाल में भी उपमुख्यमंत्री का पद संभालेंगे और शिक्षा व वित्त विभाग की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे।

मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास नहीं रहेगा कोई विभाग, सिसोदिया उपमुख्यमंत्री बने रहेंगे

दिल्ली जल बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार सत्येंद्र जैन को, पर्यावरण विभाग गोपाल राय को

राजेंद्रपाल गौतम को महिला व बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार

सूत्रों ने बताया कि सत्येन्द्र जैन इस कार्यकाल में भी स्वास्थ्य, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ दिल्ली जल बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। जल बोर्ड पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास था। उनके अतिरिक्त ग्रामीण विकास और श्रम व रोजगार मंत्री रहे बाबरपुर से विधायक गोपाल राय को इन विभागों के अलावा इस बार पर्यावरण विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। अनुसूचित जाति व जनजाति विभाग देखने के अलावा राजेंद्र पाल गौतम महिला व बाल विकास विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पहले यह विभाग सिसोदिया देख रहे थे। इमरान हुसैन से पर्यावरण विभाग लेकर गोपाल राय को दे दिया गया है। हुसैन पहले की तरह ही खाद्य व आपूर्ति विभाग संभालेंगे।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के नए मंत्रिमंडल की बैठक भी जल्द होने की संभावना है, जिसके बाद मंत्रियों के विभागों की औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी और दिल्ली विधानसभा के नए सत्र के आयोजन की तारीख भी तय की जाएगी ताकि नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा सके। कार्यभार संभालने के बाद केजरीवाल सरकार के नए मंत्रियों ने कहा कि विभाग अधिसूचित किए जाने के बाद दिल्ली सरकार के भावी कार्य का रोडमैप सामने आएगा। पदभार ग्रहण करने के बाद गहलोत ने कहा कि गारंटी कार्ड में उल्लिखित बिंदुओं को पूरा करना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने पिछले पांच साल काम किया, उसी तरह हम दिल्ली को सुरक्षित और सुंदर शहर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। गोपाल राय ने भी कहा कि गारंटी कार्ड और चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करना नई सरकार की प्राथमिकता होगी। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान केजरीवाल ने एक गारंट कार्ड जारी किया था जिसमें विद्यार्थियों के लिए मुफ्त बस सेवाएं और 24 घंटे जलापूर्ति का वादा किया गया था।

दिल्ली सरकार होली के बाद बजट पेश करेगी : सिसोदिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार होली के बाद दिल्ली का 2020-21 का बजट पेश करेगी। सोमवार को उन्होंने कई बैठकें करते हुए बजट बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस साल होली 10 मार्च को है।

वित्त विभाग के साथ बैठक में सिसोदिया ने विधानसभा चुनाव के दौरान आप की ओर से किए गए चुनावी वादों के संबंध में कई मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों से बजट में उन प्रावधानों को शामिल करने को कहा। व्यापार और कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री ने कर चोरी रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बजट बनाने की कवायद दिसंबर से ही शुरू हो जाती है लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए। अगले 20-25 दिनों में हम बजट तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और होली के बाद इसे पेश करेंगे।

अदालत ने शरजील इमाम को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ 15 दिसंबर को न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में हिंसक प्रदर्शनों से संबंधित एक मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस की एक दिन की हिरासत में भेज दिया। यह इमाम के खिलाफ राजद्रोह से अलग मामला है।

पुलिस ने बताया कि मामले में एक अन्य आरोपी ने खुलासा किया है कि उसे शरजील के भाषणों ने उकसाया था, जिसके बाद मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने इमाम को हिरासत में भेज दिया।

यहां जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए इमाम को 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूटने वाले गिरोह का खुलासा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर लूटपाट करने वाले एक गिरोह का अपराध शाखा ने खुलासा किया है। यह गिरोह दिलावर उर्फ दुलारे के नाम से दिल्ली के आसपास के राज्यों में सक्रिय है।

तीन महीनों में गिरोह ने गुरुग्राम, पानीपत, बवाना और आइएसबीटी आनंद विहार पर करीब 30 मामले को अंजाम दे चुका है। गिरोह के तीन सदस्यों दिलावर, अमीर पासवान और सुनील पासवान के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, सोने और चांदी के जेवरात, ड्राइविंग लाइसेंस और एक सेंट्रो कार बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इसी गिरोह ने पिछले दिनों मुंबई में तैनात रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कांस्टेबल रणवीर सिंह के साथ लूटपाट की थी।

बोतल में छिपाई थी विदेशी मुद्रा, पकड़ा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

इंदिरा गांधी अतंरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाईअड्डे पर एक यात्री को विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया है। यात्री की पहचान दिल्ली निवासी मोहम्मद अरशी (40) के तौर पर हुई है। वह दुबई से एअर इंडिया की उड़ान से दिल्ली पहुंचा था। सीआइएसएफ के प्रवक्ता हेमेंद्र सिंह ने बताया कि इस यात्री ने परफ्यूम की बोतल में जगह बनाकर विदेशी मुद्रा लाया था जो भारतीय मुद्रा के 42.35 लाख के बराबर है।

सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर करीब तीन बजे हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात सीआइएसएफ के जवानों को एक यात्री पर शक हुआ। शक के घेरे में लेते हुए जवानों ने उसे पकड़ लिया और जांच में उसके पास से विदेशी मुद्रा बरामद हुई।

Bank of Baroda
(A Govt. of India Undertaking)
बैंक ऑफ बड़ौदा
(भारत सरकार का उपक्रम)

ई-नीलामी बिक्री सूचना

मुख्य कार्यालय : बड़ौदा हाउस, पी.बी. नं. 506, मांडवी, बड़ौदा-390006, खाखा कार्यालय : डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सार्वजनिक ई-नीलामी सूचना

ईएमडी तथा दस्तावेजों को जमा करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 05.03.2020 की ई-नीलामी हेतु 04.03.2020 तथा 21.03.2020 की ई-नीलामी के लिए 20.03.2020 को 4 बजे अप. तक

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत बैंक के पास बंधक चल/अचल आस्ति की बिक्री

जैसा कि, बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार नीचे वर्णित के अनुसार बैंक के बकायों तथा ब्याज की वसूली हेतु निम्नलिखित ऋण खाते में निम्नलिखित सम्पत्ति के ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो कुछ है वही है'' आधार पर बिक्री के अधिकार सहित कब्जा कर लिया था और जैसा कि बकायों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण अधोहस्ताक्षरी कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सम्पत्ति की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव करता है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जायेगी।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

शाखा का नाम एवं खाता / सम्पत्ति/वाहन के स्वामी का नाम	सम्पत्ति/वाहन का विवरण	माँग सूचना के अनुसार राशि / माँग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / न्यूनतम संविदा वृद्धि राशि	खाते में जमा की जाने वाली ईएमडी	ईएमडी तथा दस्तावेजों को जमा करने की अन्तिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय	निरीक्षण की तिथि तथा समय	अधिकृत प्राधिकारी/सम्पर्क व्यक्ति तथा सम्पर्क नं.
सोहना ई-विजया खाता नाम : समे बैटरी हाउस / श्री समय चन्द	प्लॉट खेवट/खाता सं. 570/609, मुस्तकिल सं. 22 किला सं. 19/2, 20, वाका मौजा वार्ड सं. 12, नूह तहसील एवं जिला नूह, हरियाणा	माँग सूचना की तिथि 27.09.2019 के अनुसार रु. 2568893.28 (रुपये पच्चीस लाख अड़सठ हजार आठ सौ तिरानबे एवं अट्ठाईस पैसे मात्र) तथा उस पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक लागत, प्रभार तथा व्यय	रु. 852150 /- / रु. 85215 /- / रु. 10000/-	खाता सं. 833200036516001 खाता नाम : आरटीजीएस सीबीएस खाता लाभार्थी बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा, आईएफएससी कोड : VIJB0008332.	04.03.2020 4 बजे अप. तक	05.03.2020 3.00 बजे अप. से 4.00बजे अप.	24.02.2020 से 29.02.2020 पूर्व अनुमति के साथ कार्यालयी घण्टों के दौरान	श्री आर.के. कनोडिया, मो. : 9873979798 मेल आईडी :vb8332@vijayabank.co.in; vjsohn@bankofbaroda.com
बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रबन्धक, मानेसर, ईविजया, गुरुग्राम, हरियाणा, खाता नाम : मैसर्स नैट ट्रेडिंग प्रा.लि. / श्री सुनील कुमार यादव	वाणिज्यिक स्थान सं. 7ए सं. 3, तीसरी मंजिल, राहेजा स्क्वेयर, टॉवर-ए, सेक्टर-2, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम (हरियाणा)-122050 से निर्मित बन्धक सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, सुपर एरिया 287.65 वर्ग फीट, श्री सुनील कुमार यादव (जमानती) पुत्र श्री रमेश कुमार यादव के नाम पर	रु. 20,21,028.49 (रुपये बीस लाख इक्कीस हजार अट्ठाईस एवं उनचास पैसे मात्र) तथा उस पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक लागत, प्रभार तथा व्यय	रु. 13,37,000/- / रु. 133700/- / रु. 25000/-	खाता सं. : 832000036516001आईएफएससी : VIJB0008320 खाता नाम : आरटीजीएस सीबीएस खाता	04.03.2020 4 बजे अप. तक	05.03.2020 3.00 बजे अप. से 4.00बजे अप.	24.02.2020 से 29.02.2020 पूर्व अनुमति के साथ कार्यालयी घण्टों के दौरान	श्री जॉयदीप साहा मोबाइल नं. : 8978003336 ई-मेल आईडी : vjmane@bankofbaroda.com
ई विजया बैंक पंडवाला कलां शाखा खाता नाम : मैसर्स एच.एस. एन्टरप्राइजेज प्रोप. : आशु शर्मा / श्रीमती प्रिया शर्मा	गली नं. 2 करावल नगर, हरिजन बस्ती, दिल्ली-110094 पर रेक्टेयर सं. 30 किला सं. 5/1 में से प्लॉट सं. ए से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्र 50 वर्ग गज,श्रीमती प्रिया शर्मा पत्नी श्री आशु शर्मा के नाम पर।	रु. 20,42,856 (रुपये बीस लाख बयालीस हजार आठ सौ छप्पन मात्र) तथा उस पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक लागत, प्रभार तथा व्यय	रु. 23,40,000/- / रु. 2,34,000/- / रु. 25000/-	खाता सं. : 608800036516001आईएफएससी : VIJB0006088 खाता नाम : आरटीजीएस सीबीएस खाता	04.03.2020 4 बजे अप. तक	05.03.2020 3.00 बजे अप. से 4.00बजे अप.	24.02.2020 से 29.02.2020 पूर्व अनुमति के साथ कार्यालयी घण्टों के दौरान	श्री अनुराग कुमार मोबाइल नं. 974231 0248, 8217629962 ई-मेल आईडी :VJpaka@bankofbaroda.co.in
साकेत शाखा, ई-देना बैंक, नई दिल्ली खाता नाम : श्रीमती रश्मि रंजना सिंह / श्रीमती रश्मि सिंह पत्नी श्री सुशील सिंह	ग्राम मेहरौली, तहसील मेहरौली, नई दिल्ली-110030 की आबादी लाल डोरा में स्थित खसरा नं. 1151/3 मिन में निर्मित सम्पत्ति सं. 882, वार्ड सं. 6, कुल क्षेत्रफल माप 125 वर्ग गज के पार्किंग एरिया के एक चौथाई सहित निजी भाग सं. 2, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, छत के अधिकार बिना, माप 550 वर्ग फीट (51.09 वर्ग मीटर)	माँग सूचना की तिथि 02.07.2019 के अनुसार रु. 30,51,645/- (रुपये तीस लाख इक्यावन हजार छः सौ पैंतालीस मात्र) तथा उस पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक लागत, प्रभार तथा व्यय	रु. 23,40,000/- / रु. 2,34,000/- / रु. 25000/-	खाता सं. : 130411999999 लाभार्थी बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा (ई-देना बैंक), आईएफएससी कोड : BKDN0711304	04.03.2020 4 बजे अप. तक	05.03.2020 3.00 बजे अप. से 4.00बजे अप.	24.02.2020 से 29.02.2020 पूर्व अनुमति के साथ कार्यालयी घण्टों के दौरान	श्री विपिन कुमार वरिष्ठ प्रबन्धक दूरभाष : 011-29541600/1 मोबाइल नं. 9152941304ई-मेल आईडी : dbsake@bankofbaroda.co.in
साकेत शाखा, ई-देना बैंक, नई दिल्ली खाता नाम : कमरुल हसन / कमरुल हसन	फिएट ग्रैण्ड पंटो प्योर 1.2 फायर पंजी. सं. DL-1ZA-1840 चेसिस सं. MCA11835007068724AGZ इंजन सं. 7097246, रंग - सफेद, पंजीकरण की तिथि : 30/04/2016 प्रयुक्त ईंधन - पेट्रोल/सीएनजी, सिलिंडर की संख्या - 4	दिनांक 25.03.2019 की माँग सूचना के अनुसार रु. 234668.20 (रुपये दो लाख चौंतीस हजार छः सौ अड़सठ एवं बीस पैसे मात्र) तथा उस पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक लागत, प्रभार तथा व्यय	रु. 99,900/- / रु. 10000/- / रु. 5000/-	खाता सं. : 130411999999 लाभार्थी बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा (ई-देना बैंक), आईएफएससी कोड : BKDN0711304	04.03.2020 4 बजे अप. तक	05.03.2020 3.00 बजे अप. से 4.00बजे अप.	24.02.2020 से 29.02.2020पूर्व अनुमति के साथ कार्यालयी घण्टों के दौरान	श्री विपिन कुमार वरिष्ठ प्रबन्धक दूरभाष : 011-29541600/1 मोबाइल नं. 9152941304 ई-मेल आईडी : dbsake@bankofbaroda.co.in
द्वारका शाखा सेक्टर 12(बी) (ईडीबी) खाता नाम : श्री अजय कुमार जैन / सुरेश चन्द जैन विजय जैन	डीडीए बिल्ट अप दुकान नं. 1, जीएफ, सीएससी, पॉकेट-3, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110027 पर स्थित	माँग सूचना की तिथि 01.06.2018 के अनुसार रु. 5.01 लाख एवं लागतें + प्रभार + अन्चार्जेज ब्याज	रु. 3140000/- / रु. 314000/- / रु. 25000/-	खाता सं. : 117511999999 खाता नाम : आरटीजीएस सीबीएस खाता, लाभार्थी बैंक का नाम : देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) आईएफएससी : BKDN0711175	04.03.2020 4 बजे अप. तक	05.03.2020 3.00 बजे अप. से 4.00बजे अप.	24.02.2020 से 29.02.2020 पूर्व अनुमति के साथ कार्यालयी घण्टों के दौरान	श्री मनोज कुमार ठाकुर मोबाइल नं. 7739628454 दूरभाष : 011-28032554 ई-मेल आईडी : dbdrka@bankofbaroda.co.in
मुंडका, ई विजया, नई दिल्ली शाखा खाता नाम : श्री विशाल खरबंदा / श्री विशाल खरबंदा	मारुति टूर एस पेट्रोल (एनएम) पंजीकरण सं. - DL 1ZB8364 चेसिस सं. - MA3JKD1500B47607 इंजन नं. - K12MNZ181404 रंग - सैलून, पंजीकरण 14.05.2018	माँग सूचना की तिथि 03.06.2019 के अनुसार रु. 4,78,915/- (रुपये चार लाख अठहत्तर हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) तथा उस पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक लागत, प्रभार तथा व्यय	रु. 2,19,600/- / रु. 21,960/- / रु. 5000/-	खाता सं. : 605200037210001 खाता नाम : आरटीजीएस सीबीएस खातालाभार्थी बैंक का नाम विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा, आईएफएससी कोड : VIJB0006052.	20.03.2020 4 बजे अप. तक	21.03.2020 3.00 बजे अप. से 4.00बजे अप.	14.03.2020 से 17.03.2020 पूर्व अनुमति के साथ कार्यालयी घण्टों के दौरान	श्री आशीष शर्मा मोबाइल नं. 7975954220 दूरभाष : 011-28343488 ई-मेल आईडी : vjmund@bankofbaroda.co.in
उत्तम नगर शाखा खाता नाम : श्री संदीप सोनी / Mr Sandeep Soni	महिन्द्रा मोटर जाइलो पंजीकरण सं. DL 1VB 8372 चेसिस सं. - MAYA2JJKF2D30323 इंजन नं. JJF4D85811 रंग - पोलर ह्वाइट, पंजीकरण की तिथि : 01.05.2015, सिलिण्डरों की संख्या : 4	सीजर सूचना तिथि 01.10.2018 के अनुसार रु. 1,59,067/- (रुपये एक लाख उनसठ हजार सड़सठ मात्र) तथा उस पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक लागत, प्रभार तथा व्यय	रु. 2,40,000/- / रु. 24,000/- / रु. 5000/-	खाता सं. : 53820013201006 खाता नाम : सण्ड्री डिपाजिट आरटीजीएस खाता लाभार्थी बैंक का नाम : बैंक ऑफ बड़ौदा	20.03.2020 4 बजे अप. तक	21.03.2020 3.00 बजे अप. से 4.00बजे अप.	14.03.2020 से 17.03.2020 पूर्व अनुमति के साथ कार्यालयी घण्टों के दौरान	श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा मोबाइल नं. 8826890098/8320465889 दूरभाष : 011-28567447 ई-मेल आईडी : uttam@bankofbaroda.co.in
भीकाजी कामा प्लेस शाखा (ईवीबी) खाता नाम : श्री राजकुमार चन्देर / श्री राजकुमार चन्देर	निसान सन्नी एक्सएल पंजीकरण सं. DL 1ZB 0762 चेसिस नं. - MDHBBAN1 7G4301 042 इंजन नं. - HR15770802E रंग - पोलर ह्वाइट पंजीकरण की तिथि : 02.03.2017 सिलिण्डरों की संख्या : 4	सीजर सूचना तिथि 01.10.2018 के अनुसार रु. 7,35,037.38/- (रुपये सात लाख पैंतीस हजार सैंतीस एवं अड़तीस पैसे मात्र) तथा उस पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक लागत, प्रभार तथा व्यय	रु. 2,50,000/- / रु. 25,000/- / रु. 5000/-	खाता सं. : 602000036516001 खाता नाम : आरटीजीएस सीबीएस खाता लाभार्थी बैंक का नाम विजया बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा)	20.03.2020 4 बजे अप. तक	21.03.2020 3.00 बजे अप. से 4.00बजे अप.	14.03.2020 से 17.03.2020 पूर्व अनुमति के साथ कार्यालयी घण्टों के दौरान	श्री नीरज मखीजा मोबाइल नं. 9312941104/ 86501 86510 दूरभाष : 011-26176973 ई-मेल आईडी : vjbcpl@bankofbaroda.co.in Vb6020@vijayabank.co.in
जसोला, ई विजया, नई दिल्ली शाखा, खाता : मोहम्मद चाँद पुत्र मोहम्मद निजामुद्दीन / मोहम्मद चाँद पुत्र मोहम्मद निजामुद्दीन	हुंडई एक्सेन्ट VTVT T पंजीकरण सं. : DL1RTB7588 चेसिस नं. MALA741 CLGM1 66165 इंजन नं. - G4LAGM952142 रंग - प्योर सफेद, पंजीकरण की तिथि : 18.10.2016	माँग सूचना की तिथि 01.10.2019 के अनुसार रु. 3,27,125.89/- (रुपये तीन लाख सत्ताईस हजार एक सौ पच्चीस एवं नवासी मात्र) तथा उस पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक लागत, प्रभार तथा व्यय	रु. 1,14,000/- / रु. ,11,400/- / रु. 5000/-	खाता सं. : 606200036516001 खाता नाम : आरटीजीएस सीबीएस खातालाभार्थी बैंक का नाम विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा, आईएफएससी कोड : VIJB0006062.	20.03.2020 4 बजे अप. तक	21.03.2020 3.00 बजे अप. से 4.00बजे अप.	14.03.2020 से 17.03.2020 पूर्व अनुमति के साथ कार्यालयी घण्टों के दौरान	श्री प्रदीप कुमार मोबाइल नं. 08195095500 दूरभाष : 011-26942044 ई-मेल आईडी : vjjaso@bankofbaroda.co.in
eDB Manesar Housing Loan A/c in name of Mrs Babita w/o Jaiprakash / Mrs.Babita w/o JaiPrakash	Two Plots of land situated at khewat khata no 248/294, mustail no 22,21 killa no 1/2&6/1/1 (each measuring 90.75sq yards), village Nawada Fatehpur,Tehsil Manesar	माँग सूचना की तिथि 08.11.2019 के अनुसार रु. 37,11,127.60/- (रु. सैंतीस लाख ग्यारह हजार एक सौ सत्ताईस एवं साठ पैसे मात्र)और उस ब्याज तथा अन्य प्रभार	रु. 28,00,000.00/- / रु. 2,80,000.00/- / रु. 25000/-	खाता सं. : 13170050050002 आरटीजीएस इंटर बैंक खाता आईएफएससी कोड : -BKDN0731317	20.03.2020 4 बजे अप. तक	21.03.2020 3.00 बजे अप. से 4.00बजे अप.	14.03.2020 से 17.03.2020 पूर्व अनुमति के साथ कार्यालयी घण्टों के दौरान	श्रीमती गर्मीला चौहान क्रेडिट मैनेजर, ईडीबी मानेसर 9319486851, 9152941317 ई-मेल आईडी : dbmnsr@bankofbaroda.co.in

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी ''जैसा है जहाँ है'' तथा ''जो कुछ भी वही है'' आधार पर की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति के प्रति अधिभार नहीं है। लेकिन, इच्छुक क्रेता अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी अधिभारों, टाईटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकारों/ बकायों के विषय में स्वयं की स्वतंत्र जांच कर लें। ई-नीलामी विज्ञापन को बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का द्योतक नहीं है अथवा उसे उसका द्योतक नहीं माना जाएगा। सम्पत्ति को बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडीटर किसी भी थर्ड पार्टी दावे/ अधिकारों/ बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. बोली जमा करने से पूर्व आस्ति तथा विशिष्टि के विषय में निरीक्षण करना तथा स्वयं को सन्तुष्ट करना बोलीदाताओं का उत्तरदायित्व होगा। इच्छुक बोलादाताओं को नीलामी पर रखी सम्पत्ति के साइट पर निरीक्षण की अनुमति उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक सम्पत्ति/वाहन के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार पूर्व अनुमति लेकर कार्यालयी घण्टों के दौरान दी जायेगी।
4. किसी प्राधिकरण (डीडीए, एमसीडी आदि) द्वारा की गयी किसी माँग के मामले में बोलीदाता/क्रेता ऐसे प्राधिकरण द्वारा की गयी माँग के सभी बकाये अदा करेगा (चाहे वे लम्बित हों या कथित बिक्री से उत्पन्न हों या भविष्य में हों) और बोलीदाता/क्रेता को इस सम्बन्ध में कोई अन्य लागतों/व्ययों का भी वहन करना होगा और यथा उल्लिखित के अनुसार किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसी माँग के परिप्रेक्ष्य में बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा।
5. इच्छुक संविदाकारों को अपनी ईएमडी वेब पोर्टल : https://bob.auctiontiger.net (यूजर आईडी तथा पासवर्ड https://bob.auctiontiger.net पर अपना नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से किया जाना है। ईएमडी उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि ईएमडी राशि के रूप में चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. वेब पोर्टल पर बोलीदाता द्वारा पंजीकरण के उपरान्त इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को संविदा(एँ) जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व वेबपोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करना अपेक्षित है : (i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान की प्रति, (ii) पैन कार्ड की प्रति, (iii) पहचान पत्र का प्रमाण (केवाईसी) जैसे वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्व-प्रमाणित प्रति, (iv) पते के प्रमाण की प्रति, जिसके बिना संविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। पूर्ण रूप से भरने तथा हस्ताक्षर करने के उपरान्त परिशिष्ट II तथा III (निविदा सूचना में उल्लिखित) की स्कैन की गयी प्रति अपलोड करना।
7. जो इच्छुक बोलीदाता लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजिन करने, डाटा अपलोड करने, संविदा जमा करने, ई-संविदा प्रक्रिया पर प्रशिक्षण लेने आदि के लिए सहायता चाहते हैं वे सम्पर्क कर सकते हैं : श्री नीतीश झा, मोबाइल : 7982880393, मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि., बी-704, वाल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएण्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात, भारत, मेल आईडी : delhi@auctiontiger.net, दूरभाष : 079 61200595/594/598 एवं श्री राम शर्मा, मोबाइल 8000023297 ramprasad@auctiontiger.net तथा अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित पूछताछ के लिए ऊपर तालिका में प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख के अनुसार कार्यालयी दिवसों में कार्यालयी अवधि के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
9. जिन इच्छुक संविदाकारों ने अपनी ईएमडी आरक्षित मूल्य से ऊपर ऑनलाइन मोड में उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक सम्पत्ति/वाहन के सम्मुक उल्लिखित तिथि पर 4.00 बजे अप. से पूर्व जमा कर दी है वे ई-संविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। उपर्युक्त सम्पत्तियों की ई-नीलामी संविदाकारों के मध्य इंटर-से बोली के माध्यम से प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख उल्लिखित निर्धारित तिथि तथा समय पर ही संचालित की जायेगी। संविदाकार अपने प्रस्ताव प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख ''संविदा वृद्धि राशि'' स्तम्भ के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में बढ़ायेंगे। यदि संविदा ई-नीलामी बन्द होने के समय अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा (असीमित विस्तार। जो संविदाकार ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने पर उच्चता संविदा राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करते हैं उन्हें सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा और इस प्रभाव से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित किया जायेगा जो अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार द्वारा अनुमोदन का विषय होगा।
10. सफल संविदाकार की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री वसूली के भाग के रूप में रख ली जायेगी और असफल संविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। सफल संविदाकार को पहले से प्रदत्त ईएमडी समायोजित करके बिक्री मूल्य का 25% अधिकृत प्राधिकारी द्वारा संविदा मूल्य की स्वीकृति के पश्चात तुरन्त जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री के 15वें दिन तक या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा लिखित में सहमति के आधार पर स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर करना होगा। यदि सफल संविदाकार भुगतान करने में चूक करता है तो संविदाकार द्वारा पहले से जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः नीलामी पर रखा जायेगा और चूककर्ता कर्जदार सम्पत्ति/राशि के सम्बन्ध में किसी दावे/अधिकार से वंचित हो जायेगा।
11. सम्भावित क्वालिफाइड बोलीदाता ई-नीलाम पर मैसर्स ऑक्शन टाइगर प्रा.लि. से ई-नीलामी की तिथि से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। न तो अधिकृत प्राधिकारी/बैंक और न ही मैसर्स ऑक्शन टाइगर प्रा.लि. इन्टरनेट नेटवर्क सम्बन्धी किसी समस्या के लिए उत्तरदायी होंगे और इच्छुक संविदाकार को सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु तकनीकी रूप से पूरी तरह सुसज्जित हैं।
12. क्रेता को प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/अन्तरण प्रभार, शुल्क आदि का तथा किसी से भी सम्बन्धित समस्त विधिक/गैर-विधिक बकायों, करों, दरों, एसेसमेंट प्रभारों, शुल्कों आदि का वहन करना होगा।
13. अधिकृत प्राधिकारी उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अधिकृत प्राधिकारी हो किसी या सभी प्रस्ताव(वों) को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताये ई-नीलामी को आस्थगित/रद्द/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
14. संविदाकारों को अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व मैसर्स ऑक्शन टाइगर प्रा.लि. के वेबपोर्टल **https://bob.auctiontiger.net

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	26.7 डि.से.	26.7 डि.से.	26.5 डि.से.	27.0 डि.से.
न्यूनतम	9.0 डि.से.	9.0 डि.से.	10.0 डि.से.	9.4 डि.से.

खबरों में शहर

जेएनयू और डीयू प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया। जेएनयू प्रवेश परीक्षा के लिए 2 से 31 मार्च के बीच ऑनलाइन पंजीकरण होगा। परीक्षाएं 11 से 14 मई के बीच होंगी और 31 मई को परिणाम आएगा। जेएनयू में पीएचडी, एमफिल, स्नातकोत्तर और बीए के लिए प्रवेश परीक्षा होती हैं। वहीं, डीयू के लिए 2 से 30 अप्रैल के बीच पंजीकरण होगा। परीक्षाएं 2 से 9 जून के बीच होंगी और 25 जून को परिणाम आएगा। डीयू में पीएचडी, एमफिल, स्नातकोत्तर और कुछ स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा होती है।

झरोखा

वुहान से आए लोगों से हालचाल पूछते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन।

'हिम्मत प्लस' ऐप कैब के साथ जोड़ा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

दिल्ली वालों की सुरक्षा मुस्तैद करने के बाबत दिल्ली पुलिस ने उबर टैक्सी के साथ मिलकर हिम्मत प्लस क्यूआर कोड योजना की शुरुआत की। आपात स्थिति में चालक और गाड़ी का लोकेशन पुलिस मुख्यालय को पता चल जाएगा ताकि पीसीआर विपरीत परिस्थितियों में पीड़ित को बचा सके। ऐप में एक बार क्यूआर कोड स्कैन करते ही चालक का पूरा ब्योरा ही नहीं मिल जाएगा बल्कि इसी ऐप से वे पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने कहा कि क्यूआर कोड से लोगों की जान बचाई जा सकती है।

निगम ने कोरोना वायरस पर निर्देश जारी किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

कोरोना वायरस पर उत्तरी नगर निगम ने भी निर्देश जारी कर दिया है। निगम के स्वास्थ्य विभाग ने एक पोस्टर जारी कर कहा है कि यदि किसी ने पिछले 14 दिनों में चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग की यात्रा की है और चीन से आने वाले व्यक्ति के संपर्क में आएं हैं तो निगम के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर एहतियात बरतें। निगम ने अपने सभी छह जोनों के स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर जारी करते हुए कहा है कि इसमें तरल पदार्थ लेने, अपने हाथ को नियमित रूप से साबून और पानी से धोते रहें, भीड़-भाड़ वाले स्थान जाने से बचें, खांसते और छींकते समय अपने मुंह पर रूमाल या डिस्पोजल टिशु अवश्य रखें।

सीपीजे में मार्केटेक 2020 का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध सीपीजे कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ, नरेला ने दो दिवसीय अंतरराज्यीय मार्केटेक 2020 का आयोजन होगा। सतत विकास और शोध को बढ़ावा देने के इरादे से आयोजित कार्यक्रम में भारत के 38 कॉलेजों शामिल होंगे। कालेज के महासचिव अभिषेक जैन और महानिदेशक युगांक चतुर्वेदी ने बताया कि कॉलेज परिसर में आयोजित इस सातवें व्यापारिक जलसे में छात्रों के बीच कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होगी।

मोबाइल झपटकर बदमाश फरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने इंदिरापुरम के रहने वाले प्रवीण आत्रे के साथ झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया और उनका मोबाइल फोन झपटकर फरार हो गए।

ओखला सब्जी मंडी में वारदात को अंजाम देने जा रहे थे

मुठभेड़ में दो बदमाश ढेर, चार पुलिसकर्मी घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुल प्रहलादपुर इलाके में सोमवार तड़के मुठभेड़ में दो बदमाशों को ढेर कर दिया। दोनों पक्षों में हुई गोलीबारी में स्पेशल सेल के चार पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों की पहचान गाजियाबाद, लोनी निवासी राजा पहलवान उर्फ रफीक उर्फ कुरैशी और करावल नगर दिल्ली, निवासी रमेश उर्फ राजू उर्फ बहादुर के रूप में हुई है। दोनों तरफ से करीब 30 राउंड गोलियां चलीं। मौके से पुलिस ने दो पिस्तौल, एक चोरी की मोटरसइकिल, 56 कारतूस, दो हेल्मेट और एक मैगजीन जब्त किया है, जिसमें चार कारतूस थे। इन दोनों बदमाशों ने बीती 12 फरवरी को करवाल नगर में एक आभूषण विक्रेता को गोली मारी थी।

इस दौरान दो पुलिसकर्मियों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें भी गोली मार घायल कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद से स्थानीय पुलिस टीम के अलावा स्पेशल सेल भी तलाश में जुटी थी। स्पेशल सेल के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश पुल प्रहलादपुर के रास्ते ओखला मंडी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम पुल प्रहलादपुर में शक के घेरे में लेते हुए दोनों बदमाशों को रोका। मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाशों पुलिस टीम को देख बदमाश फरार होने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने पिस्तौल निकाल ली और टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ गोलियां पुलिस की जिप्सी में जा लगी और चार पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी लगी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से करीब 30 राउंड गोलियां चली, जिसमें दोनों बदमाश राजा व रमेश बुरी तरह घायल हो गए। राजा पहलवान परिवार के साथ विकासकुंज, इंदिरापुरी लोनी, गाजियाबाद में रहता था। वहीं रमेश महालक्ष्मी एंक्लेव, शिव विहार करावल नगर में रहता था।

बदमाशों पर हत्या सहित कई मामले थे दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जिन दो बदमाशों को सोमवार को पुल प्रहलादपुर इलाके में ढेर किया, उनमें से एक पहलवान उर्फ रफीक के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वहीं, राजू उर्फ बहादुर के खिलाफ एक हत्या का मामला दर्ज है।

पहलवान ने 12 फरवरी को करवाल नगर में दो पुलिसकर्मियों को उस वक्त गोली मार घायल कर दिया था, जब उसका साथी राजू एक संपत्ति व्यापारी को गोली मार रहा था। इस हादसे में व्यापारी भी घायल हो गया था। इस गोलीबारी के बाद दोनों ने उसी रात करीब नौ बजे लोनी में सलमान नाम के एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद से स्थानीय पुलिस की टीम के अलावा दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल भी इन पर नजर रखे हुए था। उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि पहलवान के खिलाफ करवाल नगर में किशोर उर्फ लंगड़ा और जावेद उर्फ फाइटर की हत्या का आरोप है। इसके साथ ही गाजियाबाद के लोनी में भी इसके खिलाफ कई आपराधिक मालमे दर्ज हैं। वहीं, राजू उर्फ बहादुर के खिलाफ करवाल नगर और खजूरी खास थाने में मामले दर्ज हैं। राजू भी जावेद और किशोर उर्फ लंगडा की हत्या के मामले में शामिल रहा है।

एसटीएफ से मुठभेड़ के बाद छह बदमाश गिरफ्तार

नोएडा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा इकाई ने सोमवार शाम मुठभेड़ के बाद छह बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से दो कारें और भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी, अनिल दुजाना, बलराम ठाकुर, रामसिंह कुरथल के लिए काम करते हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एसपी कुलदीप नारायण ने बताया कि नोएडा इकाई एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश गाजियाबाद के लोनी इलाके में, कपड़े का कारोबार करने वाले एक बड़े व्यापारी की सुपारी लेकर हत्या करने की फिराक में हैं। उन्होंने बताया कि इस सूचना के आधार पर एसटीएफ ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। सोमवार शाम बिसरख थाना क्षेत्र से एक मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश निवासी कर्नल गिरी, बुलंदशहर निवासी रोहित परमार, हरियाणा, फरीदाबाद निवासी श्यामसुंदर, मेरठ निवासी रोहित, बुलंदशहर निवासी रिंकू भाटी और मुजफ्फरनगर निवासी विनोद को गिरफ्तार किया है। नारायण ने बताया कि बदमाशों में से कर्नल गिरी के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं। (**जनसत्ता संवाददाता**)

दिल्ली फतह के बाद आप की यूपी पर निगाह

विधायकों का अभिवादन गृह जनपद में करेगी पार्टी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 फरवरी।

दिल्ली में एकतरफा जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में केजरीवाल मॉडल का प्रचार करेगी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले आप के तीन मंत्री समेत 12 विधायक जनता से सीधा संवाद कर पार्टी का प्रदेशभर में प्रचार करेंगे। 23 फरवरी से लखनऊ में होने वाली आप की कार्यकारिणी की बैठक में पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा।

यह अभियान 23 मार्च तक चलेगा। प्रत्येक जनपद में कार्यकर्ता स्टॉल लगाकर सदस्य बनाएंगे। साथ ही मिस्ड कॉल तथा वेबसाइड के जरिए भी सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को आप के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सेक्टर- 29 में हुई पत्रकार वार्ता में दी। शाहीन बाग में चल रहे आंदोलन को केंद्र सरकार के खिलाफ बताया, उसे खत्म कराने में दिल्ली सरकार का किरदार नहीं माना है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में जीतने वाले विधायक, जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। उनके गृह जनपद में अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच हजार बैनर व पोस्टर के अलावा दीवार पर चित्रकारी के जरिए भी पार्टी का प्रचार किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 20 लाख पोस्टर व बैनर लगाने का लक्ष्य है। इस चुनाव में पार्टी का नारा सिर्फ विकास ही था। पार्टी मिले बहुमत से उत्साहित है। अलबत्ता आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पार्टी लड़ेगी या नहीं, इसे साफ नहीं किया लेकिन संगठन को मजबूत करने को प्राथमिकता बताया है।

उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रचार करने वालों में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिलीप पांडे, राजेश मिश्र, अमानतुल्ला खान, इमरान हुसैन, प्रीति तोमर, गोपाल राय, दिलीप पांडे आदि के नाम तय किए गए हैं। संजय सिंह व प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने सेक्टर- 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर समर्थन दिया। उन्होंने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों पर हुए अत्याचार को वे राज्यसभा में भी उठाएंगे।

हर्षवर्धन ने वुहान से आए भारतीयों से मुलाकात की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को यहां आइटीबीपी के एक केंद्र में उन भारतीयों से मुलाकात की जिन्हें चीन के कोरोना वायरस प्रभावित वुहान शहर से लाकर पृथक रखा गया है। इनमें से करीब 200 लोगों को छुट्टी मिल गयी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हर्षवर्धन ने आइटीबीपी के शिविर में रखे गए उन लोगों से बात की जिन्हें वुहान से निकालकर लाया गया है। इनमें से अधिकतर को घर जाने के लिए छुट्टी दी जा रही है। इसमें बताया गया कि इन सभी लोगों में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड 19) के होने की पुष्टि नहीं हुई है और वे चरणबद्ध तरीके से घर जाएंगे। हर्षवर्धन ने कहा कि यह हम सभी के लिए गौरव और संतोष का क्षण है कि वुहान से लौटे हमारे नागरिक स्वस्थ पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने शिविर छोड़कर जाने वालों को गुलाब भेंट किए। उन्होंने वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और इस संदर्भ में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को बताया।

आइटीबीपी के इस केंद्र में कुल 406 लोगों को रखा गया जिनमें मालदीव के सात नागरिक भी शामिल हैं जिन्हें एअर इंडिया के विमान से वुहान से लाया गया था। कोरोना वायरस के अंतिम परीक्षण के बाद आइटीबीपी केंद्र में रुके सभी 406 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। इसके बाद पहले समूह को सोमवार छुट्टी दे दी गई। सोमवार रात तक करीब 200 लोगों के जाने की उम्मीद है। बाकी को मंगलवार को या उसके बाद के दिनों में भेजा जाएगा। हर्षवर्धन ने सूचित किया कि सोमवार तक 2996 उड़ानों के 3,21,375 यात्रियों और 125 जहाजों के 6,387 यात्रियों की संदिग्ध संक्रमण की जांच के लिए स्क्रिनिंग की जा चुकी है।

भारत में अभी तक कोरोना वायरस के तीन मामलों की पुष्टि हुई है जो सभी केरल से हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन तीन मेडिकल विद्यार्थियों में से दो को छुट्टी दे दी गई है। तीसरे की हालत स्थिर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के संबंधित शिविर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बल उन लोगों को अधिकृत वाहन की सुविधा भी प्रदान कर रहा है जो हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे जाना चाहते हैं। यह सुविधा राष्ट्रीय राजधानी निवासी और उनके रिश्तेदार को भी दी जा रही है। चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते एक और दो फरवरी को एअर इंडिया के दो 747 बोइंग विमानों से कुल 650 लोगों को भारत लाया गया था। इनमें से 406 को आइटीबीपी के शिविर में और शेष अन्य को हरियाणा के मानेसर में सेना के एक केंद्र में पृथक कर रखा गया था।

विद्यार्थियों ने उठाई सीएए वापस लेने की मांग

फोटो : अरुष चोपड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को वापस लेने की मांग को लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आयोजन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ ने किया था जिसमें क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाइएस), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) आदि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदर्शन में अन्य प्रगतिशील संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया।

विद्यार्थियों ने सीएए और प्रस्तावित एनआरसी की कड़ी भर्त्सना की। प्रदर्शनकारियों ने सीएए के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ राज्य सरकारों की बर्बरता की कड़ी भर्त्सना की। मार्च में शामिल लोगों ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने की मांग की।

दो लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रदान की गईं उपाधियां

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने अपने 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन सोमवार को किया। विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों में सफल विद्यार्थियों को 2 लाख से अधिक डिग्री, डिप्लोमा, और प्रमाण पत्र प्रदान किए।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में 50 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए और विद्यार्थियों संबोधित किया। निशंक ने कहा कि आपके द्वारा अर्जित उपलब्धियां आपके शिक्षकों और आपके माता-पिता के आशीर्वाद के कारण हैं। उन्होंने वर्तमान संदर्भ के लिए आवश्यक और विद्यार्थी समुदाय के लिए बहुत ही उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमों को विकसित करने और शुरू करने में अभूतपूर्व विशेषज्ञता के लिए इग्नू की सराहना भी की। उन्होंने व्यापक पहुंच के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम विकसित करने और विश्वविद्यालयों में हिंदी और संस्कृत के विकास पर जोर दिया और कहा कि हिंदी को केवल राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने 'शून्यवाद' के बौद्ध दर्शन पर जोर दिया, जो उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत की आधारशिला है।

नोएडा स्टेडियम में लगेगा फूलों का मेला

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 फरवरी।

सेक्टर- 21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में 21 फरवरी से तीन दिवसीय नोएडा पुष्प प्रदर्शनी (फ्लावर शो) लगेगी। डाइऐंथस (पुष्प प्रजाति) थीम पर आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में हवा को शुद्ध करने वाले पौधों की प्रजातियां आकर्षण का केंद्र होगा। करीब 3500 से अधिक प्रजातियां प्रदर्शन के लिए रखी जाएंगी। नुक्कड़ नाटक के जरिए शहरवासियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही घर पर गीले कचरे को खाद में तब्दील कर प्रयोग बागवानी में करने की जानकारी भी दी जाएगी।

होली पर विशेष ट्रेनों का इंतजाम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

उत्तर रेलवे की ओर से होली के त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के विभिन्न गंतव्यों के लिए होली विशेष रेलगाड़ियां (कुल 98 फेरे) चलाने का फैसला किया है। होली के लिए रेलयात्रियों की सुविधा को देखते हुए उत्तर रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगी।

आनंद विहार टर्मिनल-माता वैष्णों देवी कटरा के बीच सप्ताह में दो दिन डुप्लीकेट शालीमार एसी एक्सप्रेस विशेष गाड़ी प्रत्येक सोमवार व वीरवार 2 मार्च से 12 तक चलेगी। यह रास्ते में गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यमुनानगर जगाधरी, अम्बाला छावनी, लुधियाना, जलंधर छावनी, पठानकोट छावनी, जम्मूतवी व उधमपुर स्टेशनों पर रुकेगी। यह रात 11 बजे चलेगी। वापसी में मंगलवार व शुक्रवार को रात साढ़े 11 बजे कटरा से चलेगी। इसी तरह बठिंडा-वाराणसी साप्ताहिक एक्सप्रेस (4998) एक और आठ मार्च को प्रत्येक रविवार को चलेगी। रास्ते में यह रामपुरा फूल, बरनाला, धूरी, नाभा, पटियाला, राजपुरा, अंबाला छावनी, जगाधरी, सहारनपुर, लक्सर, मुरादाबाद, बरेली,लखनऊ और सुलतानपुर में रुकेगी। यह रात 8:50 पर चलेगी। वापसी में सोमवार को रात 9:20 बजे चलेगी। नंगलडैम-लखनऊ साप्ताहिक एक्सप्रेस (04502) दो से नौ मार्च तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। यह रूपनगर, चंडीगढ़, अंबाला छावनी, जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली में रूकेगी। यह रात 11:45 बजे चलेगी।

एम्स में फेफड़े के पहले प्रत्यारोपण को लगा झटका

ऑपरेशन से पहले पता चला फेफड़ा लगाने लायक नहीं

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में फेफड़े का पहला प्रत्यारोपण करने की तैयारी को बड़ा झटका लगा है। देर रात यह प्रत्यारोपण होने की उम्मीद थी लेकिन जब फेफड़े को निकाला गया तो पता चला कि वह लगाने लायक नहीं है। देश में पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला एम्स अभी तक फेफड़े के प्रत्यारोपण के लिए अधीकृत नहीं था। हाल ही में इसके लिए लाइसेंस मिला है। इस बीच रविवार को एम्स में ही लीवर (यकृत) का प्रत्यारोण किया गया, जिसे एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने एम्स में अंजाम दिया है।

एम्स को कुछ समय पहले ही मिला है फेफड़ा प्रत्यारोपण का लाइसेंस

एम्स में हृदय, वक्ष और तंत्रिका विज्ञान केंद्र (सीटीवीएस) तो लंबे समय से बना है लेकिन अभी तक फेफड़ों का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सका था। हाल ही में एम्स ने इसके लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद एम्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती फेफड़े के लिए दानकर्ता मिलने की थी। इससे पहले भी एम्स एक मरीज में फेफड़े के प्रत्यारोपण की तैयारी में था लेकिन दानकर्ता मिलने से पहले ही उस मरीज ने दम तोड़ दिया था। सोमवार को एम्स को फेफड़े का एक दानकर्ता मिल गया था। जिसने सभी अंग दान करने का फैसला लिया था। वह अभी एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के गहन चिकित्सा कक्ष (आइसीयू) में भर्ती था। ब्रेन स्ट्रोक के बाद इस मरीज की दिमागी मौत हो चुकी है। फिर इस मरीज को एम्स के सीटीवीएस में ले जाया गया। जहां पर प्रत्यारोण की तैयारी थी।

सूत्रों के मुताबिक, अब जो दानकर्ता मिले थे उनके उत्तकों का इस प्रत्यारोपण के लिए बुलाए गए मरीज के उत्तकों से मिलान हो चुका है। चूंकि दानकर्ता की उम्र 60 साल है इसलिए इस प्रत्यारोपण के सफल होने की संभावना सुनिश्चत करने के लिए कुछ और जांचें की गई। एक वरिष्ठ सर्जन ने बताया कि प्रत्यारोपण की पूरी तैयारी हो चुकी थी लेकिन फेफड़ा निकाले जाने के बाद मालूम चला कि वह लगाने लायक नहीं है। एम्स प्रवक्ता के मुताबिक हमारी तैयारी पूरी थी लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह प्रत्यारोपण रोकना पड़ा। अगर यह प्रत्यारोपण होता तो एम्स दिल्ली में पहला व देश का दूसरा सरकारी संस्थान बन जाता जो फेफड़े का प्रत्यारोपण करता। एम्स निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया यह प्रत्यारोपण शुरू करने व मुफ्त में करने की कोशिश में हैं। इससे पहले फेफड़े का प्रत्यारोण सरकारी संस्थान में केवल पीजीआइ चंडीगढ़ में ही होता है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ निजी अस्पताल यह प्रत्यारोपण करते हैं। 1963 से दुनिया में शुरू हुए फेफड़े के प्रत्यारोपण में अब तक करीब 4000 जिंदगियों को बचाया जा सका है। इनमें से करीब 200 मरीजों का प्रत्यारोपण भारत में हुआ है जिनमें से अधिकांश प्रत्यारोपण दक्षिण भारत मे व पीजीआइ चंडीगढ़ में किए गए हैं।

www.readwhere.com

राजद्रोह मामले में तीनों इंजीनियरिंग छात्र फिर गिरफ्तार

हुबली (कर्नाटक) 17 फरवरी (भाषा)।

पुलवामा हमले की बरसी पर पाकिस्तान के समर्थन में कथित रूप से नारेबाजी करने और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो पोस्ट करने को लेकर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन कश्मीरी छात्रों को रिहाई के बाद सोमवार को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआरपीसी की धारा 169 के तहत बांड भरवाकर तीनों छात्रों को रिहा करने के पुलिस के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने के बाद यह कार्रवाई की गई।

बांड भरवाकर तीनों छात्रों को रिहा करने के बाद की गई कार्रवाई

ये तीनों कर्नाटक में हुबली जिले के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। हुबली-धारवाड़ के पुलिस आयुक्त आर दिलीप ने कहा, 'उन्हें (कश्मीरी छात्रों को) गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत के समक्ष पेश कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।' रविवार को इन छात्रों की रिहाई को लेकर पुलिस की खासी आलोचना हुई थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीनों छात्रों को सोमवार की सुबह गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। छात्रों की रिहाई के विरोध में दक्षिणपंथी संगठनों के कुछ सदस्यों ने रविवार को पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गृहमंत्री बासवराज बोम्मई ने भी पुलिस अधिकारियों से इस मामले में बातचीत की थी।

छात्राओं के मासिक धर्म की जबरन जांच, प्रधानाचार्य निलंबित

भुज, 17 फरवरी (भाषा)।

गुजरात में कच्छ जिले के भुज कस्बे के एक कॉलेज ने प्रधानाचार्या, छात्रावास रेक्टर और चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर 60 से ज्यादा छात्राओं को यह देखने के लिए अपने अंतःवस्त्र उतारने पर मजबूर किया कि कहीं उन्हें माहवारी तो नहीं हो रही है।

श्री सहजानंद गर्ल्स इंस्टिट्यूट (एसएसजीआइ) के न्यासी प्रवीण पिंडोरिया ने सोमवार को कहा कि प्रधानाचार्य रीता रानींगा, महिला छात्रावास की रेक्टर रमीलाबेन और कॉलेज की चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी नैना को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शनिवार को निलंबित कर दिया गया।

भुज पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में इन तीनों के अलावा अनीता नाम की एक महिला को भी आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। वह कॉलेज से संबद्ध नहीं है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 355 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

घटना 11 फरवरी को एसएसजीआइ परिसर में स्थित हॉस्टल में हुई

एसएसजीआइ स्व-वित्तपोषित कॉलेज है जिसका अपना महिला छात्रावास है। यह संस्थान भुज के स्वामीनारायण मंदिर के एक न्यास द्वारा चलाया जाता है। कॉलेज क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

मामले के सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के सात सदस्यों के एक दल ने रविवार को छात्रावास में रहने वाली उन छात्राओं से मुलाकात की, जिन्हें कथित रूप से यह पता लगाने के लिए अंतःवस्त्र उतारने पर मजबूर किया गया था कि कहीं उन्हें माहवारी तो नहीं आ रही।

इससे पहले एक छात्रा ने मीडियाकर्मियों को बताया था कि यह घटना 11 फरवरी को एसएसजीआइ परिसर में स्थित हॉस्टल में हुई थी। उसने आरोप लगाया कि करीब 60 छात्राओं को महिला कर्मचारी शौचालय ले गईं और वहां यह जांच करने के लिए उनके अंतःवस्त्र उतरवाए गए कि कहीं उन्हें माहवारी तो नहीं हो रही।

जांच के बाद विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति दर्शना ढोलकिया ने कहा था कि लड़कियों की जांच की गई क्योंकि छात्रावास में माहवारी के दौरान लड़कियों के अन्य रहिवासियों के साथ खाना न खाने का नियम है। छात्रावास की कर्मचारियों ने जांच करने का फैसला तब किया जब उन्हें पता चला कि कुछ लड़कियों ने नियम तोड़ा है। पुलिस ने पूर्व में कहा था कि उसने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है और महिला पुलिस अधिकारियों को इसका सदस्य बनाया गया है।

1951 को आधार वर्ष मानने की गृह मंत्रालय की समिति ने की सिफारिश

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने सुझाव दिया है कि असम के मूल निवासियों को परिभाषित करने तथा राज्य के बाहर के लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए इनर लाइन परमिट (आइएलपी) जारी करने का कट-ऑफ वर्ष 1951 होना चहिए। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। समिति ने असम के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में मूल निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए भी दो फॉर्मूले सुझाये जिनमें उनके लिए 67 फीसद आरक्षण का सुझाव शामिल है।

असम के मूल निवासियों को परिभाषित करने का मामला

मंत्रालय ने असम के मूल निवासियों को संविधान के तहत सुरक्षा मानक प्रदान करने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।

सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय समिति ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। समिति ने गृह मंत्रालय को बताया कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है तथा उनसे मिलने के लिए समय भी मांगा। रिपोर्ट इसी सप्ताह गृह मंत्रालय को दी जा सकती है।

सूत्रों के अनुसार कमेटी ने निर्विरोध सिफारिश की है कि जो लोग 1951 में असम के निवासी थे और उनके वंशजों को राज्य का मूल निवासी माना जाएगा, चाहे उनका समुदाय, जाति, भाषा या धर्म कुछ भी हो। समिति ने यह भी सुझाया कि असम में आइएलपी लानी चाहिए ताकि राज्य के बाहर से लोगों की आवाजाही नियंत्रित की जा सके। नियमों के अनुसार बाहरी लोगों को उन क्षेत्रों में प्रवेश के लिए निर्दिष्ट अधिकारियों से अनुमति लेनी होती है जहां आइएलपी लागू है।

त्रिपुरा के पूर्व मुख्य सचिव गाजियाबाद से गिरफ्तार

अगरतला, 17 फरवरी (भाषा)।

करोड़ों रुपए के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) घोटाले में प्रमुख आरोपी त्रिपुरा के पूर्व मुख्य सचिव को सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। दोनों प्रदेशों की पुलिस के साझा अभियान में पूर्व मुख्य सचिव यशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया।

महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) पुनीत रस्तोगी ने बताया कि जांच के दौरान मिली सूचना के आधार पर त्रिपुरा पुलिस की टीम पिछले एक महीने से गाजियाबाद में छापेमारी कर रही थी। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्य सचिव पिछले पांच महीने से गिरफ्तारी से बच रहे थे। रस्तोगी ने कहा, 'सिंह को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सोमवार सुबह गिरफ्तार किया गया। उन्हें वहां अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत की मंजूरी के बाद ही हम उनको हिरासत में ले सकेंगे। इस बारे में कार्रवाई जारी है।'

कंपनीयों के रजिस्ट्रार के समक्ष
रा.रा.क्षे. दिल्ली और हरियाणा
4 फ्लोर, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008, धारा 13 की उपधारा (3)
और सीमित दायित्व साझेदारी नियम, 2009 की नियम 17 के मामले में
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के मामले में
तथा
अशव एडवाइजरी एलएलपी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 43ए/16सी मोहर बंद एक्सटेंशन बदरपुर, दिल्ली-110044 में है के मामले में
....याचिकाकर्ता
आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एलएलपी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"रा.रा.क्षेत्र दिल्ली"** से **"कलकत्ता राज्य"** में परिवर्तित करने में सक्षम बनाने के लिए सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (2) के अंतर्गत कंपनीयों के रजिस्ट्रार, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करता है।
किसी व्यक्ति का हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार, शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के अन्दर **कंपनीयों के रजिस्ट्रार, 4 फ्लोर, आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019** को सूचित करें, और एक प्रतिलिपि याचिकाकर्ता एलएलपी के उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए:
कृते अशव एडवाइजरी एलएलपी
हस्ता/-
त्रिवेनी अग्रवाल
नामित भागीदार
DPIN: 07985483
एन-5/8 डीएलएफ फेज-2, सिकंदरपुर घोसी (88) गुडगांव- 122002
तिथि: 17 फरवरी, 2020
स्थान: नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-25ए
सार्वजनिक कंपनी से एक प्राइवेट कंपनी में रूपांतरण के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, निगमित मामलों के मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2012 की धारा 14 और कंपनीज (समामेलन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
और
मैसर्स अन्जानिल फूड्स लिमिटेड इसका पंजीकृत कार्यालय : 14ए0815 एफ/एफ बेस राईट-साईड वेस्ट गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली - 110092 के मामले में
(आवेदक)
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी उपरोक्त नियमों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन की इच्छुक है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी को सक्षम करने से 14 फरवरी, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संबंध में परिवर्तन की इच्छुक है।
कोई व्यक्ति जिसके अभिरुचि कंपनी के इस प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह अपनी अभिरुचि की प्रकृति और विरोध के आधार, को यदि कोई है, को बताते हुए आवेदनकर्ता कंपनी की नीचे वर्णित इसके पंजीकृत कार्यालय में इसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, निगमित मामलों के मंत्रालय, बी-2, विंग पूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा या डिलीवर कर सकते है।
पंजीकृत कार्यालय : 14ए0815 एफ/एफ बेस राईट-साईड वेस्ट गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली - 110092
आवेदक की ओर से
अन्जानिल फूड्स लिमिटेड
हस्ता/-
अलोक कुमार अग्रवाल
निदेशक
डीआईएन : 01475762
पता : 13 एस एस पी रोड सिविल लाईन गोरखपुर, उत्तर-प्रदेश -273001
स्थान : दिल्ली
दिनांक : 17.02.2020

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF

ALAN SCOTT INDUSTRIESS LIMITED

(CIN: L99999MH1994PLC076732)
("ASIL" / TARGET COMPANY"/"TC")
Registered Office: 39, Apurva Industrial Estate, Makwana Road, Off. Andheri Kurla Road, Mumbai-400 059
Phone No. +91-96532 38501 Email: alanscottindustrieslimited@gmail.com; Website: www.alanscottind.com

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 13 (4), 14 (3) and 15(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 This corrigendum to the detailed public statement is being issued Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Sureshkumar Pukhraj Jain (Acquirer) along with Mr. Pranav Dangi (PAC) in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and the SEBI Observation Letter no. SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2020/6161 dated 14th February, 2020 in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 1,78,199 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer have appeared in Financial Express (English Daily) all editions, Jansatta (Hindi Daily) all editions and Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) on 30th December, 2019.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO OFFER:

1. Update in the schedule of Activities: The original and revised schedule of activities is set forth as below:

Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	20.12.2019	Friday	20.12.2019	Friday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	30.12.2019	Monday	30.12.2019	Monday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	06.01.2020	Monday	06.01.2020	Monday
Last date for a Competing offer	20.01.2020	Monday	20.01.2020	Monday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	27.01.2020	Monday	14.02.2020	Friday
Identified date	29.01.2020	Wednesday	18.02.2020	Tuesday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	05.02.2020	Wednesday	27.02.2020	Thursday
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation	10.02.2020	Monday	03.03.2020	Tuesday
Last date for revising the Offer Price	11.02.2020	Tuesday	04.03.2020	Wednesday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchanges and Target Company	11.02.2020	Tuesday	04.03.2020	Wednesday
Date of Opening of the Offer	12.02.2020	Wednesday	05.03.2020	Thursday
Date of Closure of the Offer	27.02.2020	Thursday	19.03.2020	Thursday
Payment of consideration for the acquired shares	13.03.2020	Friday	07.04.2020	Tuesday

All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER ALONG WITH THE PAC :

Navigant

Manager to the Offer:
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
423, A Wing, Bonanza, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400-059. **Tel No.** +91 22 4120 4837 / 41973 5078
Email id: navigant@navigantcorp.com **Website:** www.navigantcorp.com
SEBI Registration No: INM000012243 **Contact person:** Mr. Vikas Chhangani

Place: Mumbai
Date: 17.02.2020

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम)

पीतमपुरा शाखा

ई-983, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, टेली.: 27017744, 27031784
ई-मेल: Dbpita@bankofbaroda.co.in, आईएफएससी कोड: BKDN0711093

ऋणधारकों के लिए सूचना

(सरफैसी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत

सेवा में,
श्री अमन अरोड़ा, पुत्र श्री देव अरोड़ा एवं श्रीमती प्रियंका अरोड़ा, पत्नी श्री अमन अरोड़ा
दोनों निवासी: ए-25, न्यू कृष्णा पार्क, दिल्ली-110018, साथ ही: श्री अमन अरोड़ा एवं श्रीमती प्रियंका अरोड़ा,102/02, सिल्वर ओक्स डीएलएफ फेज 1, गुड़गाँव, हरियाणा-122002
प्रिय महोदय
संदर्भ: हमारी देना बैंक-अब, बैंक ऑफ बड़ौदा, ई-983, सरस्वती विहार, पीतमपुरा शाखा, नई दिल्ली-110034 में साख सुविधा (व्हीकल लोन खाता नं. 109351024214) नामः अमन अरोड़ा एवं श्रीमती प्रियंका अरोड़ा
"हम बैंक ऑफ बड़ौदा ई-देना, सरस्वती विहार, पीतमपुरा शाखा ने आपके द्वारा दिए गये पते पर मांग सूचना तिथि 21.01.2020 जारी की थी। क्योंकि आपके उक्त पते से चले जाने के कारण सूचना वापस लौट आई और आपको प्राप्त नहीं हो सकी।
हम, विभिन्न साख सुविधाएं तथा स्वीकृति की शर्तों की मंजूरी करते हुए टोयटा किर्लोस्कर मॉडल CAMRY-HYBRID, इंजिन नं. 1439690, चैसिस नं. 50060001660, निर्माण वर्ष 2016 की खरीद के लिए अपनी स्वीकृति सं. DB/PP/TL/2015 तिथि 10.03.2016 का संदर्भ दे रहे हैं। उपरोक्त स्वीकृति के अनुपालन में आपने यहां के बाद वर्णित रूप में उसके लिए प्रतिभूति उपलब्ध कराने के बाद साख सुविधाएं प्राप्त की तथा उसका प्रयोग करना आरंभ किया। विभिन्न ऋण/साख सुविधा में वर्तमान बकाया तथा ऐसी देयता के लिए निर्मित हित इस प्रकार है:

क्रम सं.	सुविधा की प्रकृति एवं प्रकार	लिमिट (रु.)	ब्याज दर	31.12.2019 को बकाया (31.12.2019 तक ब्याज सहित)+ आगे का ब्याज, चार्जेज तथा खर्चे	प्रतिभूतियों के संक्षिप्त विवरणों के साथ प्रतिभूति अनुबंध
1.	वाहन ऋण जो श्री अमन अरोड़ा एवं श्रीमती प्रियंका अरोड़ा को स्वीकृत की गई	रु. 29,50,000	मासिक दर जो समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है के साथ बेस रेट + 0.50% प्रति वर्ष तथा चूक करने की तिथि से 2% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज। वर्तमान ब्याज दर पर कार के लिए 9.15% है।	रु. 1035483.73 + 1.1.2020 से आगे का ब्याज तथा अन्य लागतों, चार्जेज एवं खर्चे।	अधोलिखित व्हीकल के हाइपोथेकेशन के संदर्भ में हाइपोथेकेशन अनुबंध तिथि 10.3.2016 टोयटा किर्लोस्कर मॉडल CAMRY-HYBRID, इंजिन नं. 1439690, चैसिस नं. 50060001660, निर्माण वर्ष 2016, पीतमपुरा दिल्ली में

1. आपने, 7.3.2019 को रु. 14,15,217.84 के राशि की बैंक के प्रति अपनी देयता को स्वीकार किया है।
2. जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 31 अक्टूबर, 2019 को तथा उसके बाद भुगतान के लिये नियत उपरोक्त ऋणों/आउटस्टैंडिंग के किस्तों के भुगतान में चूक की है।
आपके द्वारा की गई चूक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा दिशनिर्देशों के अनुसार 31.12.2019 को आपकी ऋण खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति (एनपीए)के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। बार-बार की गई अनुरोध तथा मांगों के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों का भुगतान नहीं किया है।
3. ऊपर पैरा 1 में विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में आपकी देयता को पूरा करने में आपकी विफलता तथा आपकी खाता को एक गैर प्रचालन परिसम्पत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण को देखते हुए हम एतद्द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचना देते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर पैरा 1 में वर्णित कुल रु. 10,35,483.73 (रुपये दस लाख पैंतीस हजार चार सौ तिड़ासी एवं पैसे तिहत्तर मात्र)+1.1.2020 से आगे के ब्याज+अन्य चार्जेज एवं खर्चे की बैंक की बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान करें तथा अपनी देयताओं को निष्पादित करें।
हम पुनः आपको सूचित करते हैं कि यदि भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ उपरोक्त राशि के भुगतान में आप विफल होते हैं तो हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये स्वतंत्र होंगे। कृपया, इसका ध्यान रखें।
4. कृपया ध्यान रहे कि सम्पूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिये ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज उपचयित होती रहेगी।
5. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की उप-धारा 13 (13) के प्रति आकृष्ट करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त) ऊपर पैरा 1 में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी रूप में अंतरण करने से आप वंचित हैं। हम पुनः सूचित करते हैं कि उक्त अनुबंध की धारा 13 (13) में शामिल उपरोक्त प्रावधान की अवज्ञा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।
6. हम पुनः आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसके अनुसार यदि आप सार्वजनिक नीलामी/कोटेशन/निविदा आमंत्रित करने/निजी संधि के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय सभी लागतों, चार्जेज तथा बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे के साथ बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि उपरोक्त सूचना के प्रकाशन के बाद प्रतिभूत परिसम्पत्ति के विमोचन का अधिकार आप को उपलब्ध नहीं होगा।
7. कृपया ध्यान रहे कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे लिमिटेशन रहित, हमारी बकाया राशि के संदर्भ में आगे मांग करने के अधिकार सहित हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों को छूट देने के रूप में नहीं माना जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 15.02.2020

आपका भवदीय
(नाम एवं पदनाम)
प्राधिकृत अधिकारी

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
बैंक ऑफिस: लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोन: 011-23238964, 9891392661

निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता और विशेषकर कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के नियम 7, 8 एवं 9 के अंतर्गत **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.** शाखा के पास बंधक निम्नलिखित सम्पत्तियों का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिये गये अनुसार नीचे वर्णित अनुसार बकाया एवं आगे ब्याज, प्रभार एवं लागत आदि की वसूली के लिए इन सम्पत्तियों को निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा।
नीलामी **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., बैंक आफिस:** लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में **19 मार्च, 2020 को अप. 3:30 बजे** आयोजित की जाएगी। सम्पत्तियों को **"जैसा है जहां है" और "जो है जैसा है"** आधार पर बेचा जाएगा। यह उपरोक्त कथित ऋण के कर्जदारों के लिए यदि बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो उपरोक्त वर्णित तिथि पर नीलामी बिक्री के आयोजन के लिए बारे में सूचना भी है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम एवं लोन खाता सं.	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि	कब्जे की तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय एवं मुहरबंद निविदाएं (बोलियां) प्राप्त करने की अंतिम तिथि	बोली/नीलामी खुलने की तिथि	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	धरोहर जमा राशि (ईएमडी)
1.	हेमन्त कुमार नैनवाल एवं सोनिया नैनवाल निवासी: एच. नं. 706, सेक्टर-15, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201010, एल/ए नं. 310700000828	फ्लैट नं. एमएफ-2 (एमआईजी), 1ला तल (बिना छत के अधिकार के) (तीन मंजिला बिल्डिंग, फ्री होल्ड संपत्ति प्लॉट नं. 7/11, ब्लॉक नं. 7, सेक्टर-2 पर निर्मित, टी.एच.ए. राजेन्द्रा नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005 (एरिया 840 वर्ग फीट)	रु. 25,99,156.69 10.09.2014 को तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज आदि	10.08.2019	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 18.03.2020	19.03.2020 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.25.50 लाख	रू.2.55 लाख
2.	हरविन्दर सिंह एवं हरजीत कौर निवासी: एच. नं. डब्ल्यूजेड-III-बी/147, 1ला तल, विष्णु दिल्ली-110018 एल/ए नं. 310100004453	एच. नं. डब्ल्यूजेड-III-बी/147, 2रा तल (बिना छत के अधिकार के) विष्णु गार्डन, ग्राम-खयाला, दिल्ली-110018 (क्षेत्रफल 526 वर्ग फीट)	रु. 29,17,303.66 14.10.2018 को तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज आदि	22.03.2019	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 18.03.2020	19.03.2020 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.30.00 लाख	रू.3.00 लाख
3.	पूजा गुजराल एवं अनमोल गुजराल निवासी: फ्लैट नं. एमएस-52, 3रा तल, हरि नगर, नई दिल्ली एल/ए नं. 310100003033 एवं 310100004369	एमएस-52, 3रा तल (छत के अधिकार के साथ), हरि नगर, दिल्ली (क्षेत्रफल-540 वर्ग फीट)	रु. 28,39,618.28 दोनों ऋण खाता के लिये तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज आदि	07.01.2017	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 18.03.2020	19.03.2020 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.32.00 लाख	रू.3.20 लाख
4.	कामनी कनौजिया निवासी: कृष्णा विहार अपार्टमेन्ट, जे-ब्लॉक, सेक्टर-11 प्रताप विहार, गाजियाबाद-201010 एल/ए नं. 310100003737	प्लॉट नं. बी.एच.-44, 2रा तल (छत के अधिकार के साथ), सेक्टर-12, जी.एम. पी भावराव देवरस, प्रताप विहार, आवासीय योजना, गाजियाबाद, (क्षेत्रफल 45 वर्ग मी.)	रु. 25,75,263.35 18.01.2019 को तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज आदि	09.07.2019	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 18.03.2020	19.03.2020 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.22.00 लाख + जीएसटी	रू.2.20 लाख
5.	श्वेता शर्मा निवासी: फ्लैट नं. जी-1, प्लॉट नं. जे-39, दिलशाद कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली-110095 एल/ए नं. 310300002878	फ्लैट नं. जी. एफ-3, एल.आई.जी., भू तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. ए-48, शालीमार गार्डन, मैन गाजियाबाद (क्षेत्रफल 41.805 वर्ग मी.)	रु. 9,82,363.48 14.02.2019 को तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज आदि	27.11.2019	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 18.03.2020	19.03.2020 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.9.77 लाख + जीएसटी	रू.0.97 लाख
6.	पारस नाथ निवासी: सी-228 बी, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली-110098 एल/ए नं. 310600001336	फ्लैट नं. एस-3, 2 रा तल, छत के अधिकार के साथ, प्लॉट नं. बी-100, बैक साइड, शालीमार गार्डन एक्स्टेंशन-II, गाजियाबाद- 201005 (क्षेत्रफल-65.02 वर्ग मी.)	रु. 25,81,975.12 09.01.2019 को तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज आदि	09.11.2019	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 18.03.2020	19.03.2020 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.23.70 लाख	रू.2.37 लाख
7.	प्रीती निवासी: फ्लैट नं. 4 बी, 1 ला तल, हेरिटेज डिवायन अपार्ट., ज्ञान खंड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-201001 एल/ए नं. 310300002092	फ्लैट नं. जी-03, एल. आई.जी., भू तल बैक साइड, प्लॉट नं. एनकेपी 1/74, न्याय खंड-1, इन्दिरापुरम गाजियाबाद (क्षेत्रफल-35 वर्ग मी.)	रु. 15,78,589.92 23.09.2017 को तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज आदि	26.07.2019	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 18.03.2020	19.03.2020 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.15.75 लाख	रू.1.57 लाख
8.	विजय कुमार झा एवं गीता विजय निवासी: एच. नं.-एल-102 ए, लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005 एल/ए नं. 310700001805	एच. नं.-एल-127, ब्लॉक-एल, भू तल (बिना छत के अधिकार के) सेक्टर-4, लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद - 201005 (क्षेत्रफल-57.96 वर्ग मी.)	रु. 2264833.79 25.07.2019 को तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज आदि	12.12.2019	निविदा के लिए आसफ अली रोड बैक आफिस में 18.03.2020	19.03.2020 को दोपहर के 3:30 बजे	रू.20.40 लाख + जीएसटी	रू.2.04 लाख

नियम व शर्तें: (1) इच्छुक बोलीदाताओं को एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. के पक्ष में दिल्ली में देय डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से ईएमडी के साथ बंद लिफाफे में अपनी बोलियां **18 मार्च, 2020 को अप. 1:00 बजे** तक भेजनी होगी। नीलामी की तिथि को असफल बोलीदाताओं को यह राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। बिना ईएमडी के प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री के नियम व शर्तों, समय या प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रहता है तो उसकी ईएमडी को जब्त कर सम्पत्ति को दोबारा बेचा जाएगा। किसी भी कारण से देरी से प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। (2) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपलब्ध/उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थिति में मुहरबंद निविदाएं खोली जाएगी। (3) निविदाएं खुलने के बाद इच्छुक बोलीदाताओं का ऑफर मूल्य बढ़ाने के

जनसत्ता

18 फरवरी, 2020

पाक के हमदर्द

तुर्की के राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते पाकिस्तानी संसद में कश्मीर का मुद्दा उठा कर एक बार फिर जिस तरह का विवाद खड़ा किया है, उस पर भारत की नाराजगी स्वाभाविक है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब कश्मीर मसले पर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान पाकिस्तान के हमदर्द दिखने के लिए समय-समय पर कश्मीर पर उसकी आवाज को बुलंद करते रहे हैं। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में भी कश्मीर के मामले पर तुर्की और मलेशिया खुल कर पाकिस्तान के साथ थे। हाल में एर्दोगान ने पाकिस्तानी संसद के संयुक्त अधिवेशन में एक बार फिर कश्मीर मसले को हवा दी और कहा कि इस मसले पर तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ है। जबकि तुर्की इस बात को भलीभांति समझता है कि कश्मीर पर भारत का रुख एकदम साफ है और वह यह कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। वैसे भारत और तुर्की के रिश्तों का भी इतिहास काफी पुराना है। लेकिन अब बदलते वैश्विक परिदृश्य खासतौर से इस्लामिक देशों की राजनीति में अगर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो इसमें आश्चर्यजनक कुछ नहीं है।

पिछले साल भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने का जो साहस दिखाया, उससे दुनिया के कुछ देशों, विशेषरूप से इस्लामी देशों के भीतर यह स्पष्ट संदेश गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा और यह भारत का अंदरूनी मामला है, इसलिए अगर इसे कोई वैश्विक मंचों पर उठा कर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करता है तो भारत इसका प्रतिकार करेगा। पाकिस्तान और उसके कुछ हमदर्द कश्मीर में दमन के आरोप लगाते फिर रहे हैं। जबकि दुनिया जान रही है कि हकीकत क्या है, कौन कितने पानी में है! इसलिए पिछले छह महीनों में जब भी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामिक देशों के संगठन (ओआइसी) के मंच से कश्मीर मुद्दा की कोशिश की, तो उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन एर्दोगान ने हद तो तब कर दी जब उन्होंने कश्मीरियों के संघर्ष की तुलना प्रथम विश्व युद्ध में अपने देश के संघर्ष से कर डाली। अगर कश्मीर में हालात इतने खराब होते तो अब तक संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के तमाम देश भारत के खिलाफ उठ खड़े होते। एर्दोगान और पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाते समय यह क्यों भूल जा रहे हैं कि ओआइसी के ही ज्यादातर देश कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला करार दे चुके हैं।

मामला सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। एर्दोगान पाकिस्तान को काली सूची में डाले जाने से बचाने में भी लगे हैं। अपने देश में आंतकी संगठनों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) जिस तरह से सख्ती कर रहा है, उससे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ेंगी। एर्दोगान जब 2017 में भारत की यात्रा पर आए थे, तब उन्होंने भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर बात की थी और कहा था कि तुर्की इस समस्या से निपटने में भारत के साथ है। लेकिन वही एर्दोगान कश्मीर का मुद्दा उठाते वक्त यह कैसे भूल गए कि भारत पिछले तीन दशक से भी ज्यादा समय से पाक प्रायोजित आतंकवाद की मार झेल रहा है, भारत पर जितने बड़े आंतकी हमले हुए हैं, उन सबके गुनहगार पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं! यह ठीक है कि तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते प्रगाढ़ हैं, दोनों देश मलेशिया के साथ मिलकर नया इस्लामिक गुट खड़ा करने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर का मसला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच है, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, यह तुर्की के शासक को नहीं भूलना चाहिए।

स्त्री की शक्ति

जिस दौर में स्त्रियों ने अमूमन हर स्तर पर यह साबित किया है कि वे घर से लेकर दहलीज से बाहर किसी भी मोर्चे पर मुश्किल और जटिल हालात का बराबरी से सामना कर सकती हैं, उसमें उनकी क्षमताओं को कठघरे में करना अपने आप में बेहद अफसोसनाक पहलू है। खासतौर पर सैन्य महकमों में अलग-अलग भूमिकाओं में खुद को सौंपी गई ड्यूटी को महिलाओं ने जिस कुशलता से निभाया है, वह उनकी बहादुरी और काबिलियत का सबूत है। अगर केंद्र सरकार की इच्छा से सब कुछ होता तो शायद सेना में संघर्ष रही महिलाओं को फिर निराशा ही हाथ लगती। लेकिन सोमवार को सेना में महिलाओं की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, वह आने वाले दिनों में एक बड़े और क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बनेगा। अदालत ने साफ लहजे में कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाली सभी महिला अफसर स्थायी कमीशन की हकदार होंगी। हालांकि युद्ध में सीधे लड़ने देने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार और सेना पर छोड़ दिया है और इसे नीतिगत मामला बताया है। मगर थलसेना में महिला अफसरों की कमांड पोस्टिंग पर रोक को बेतुका बता कर अदालत ने इसे बराबरी के अधिकारों के खिलाफ कहा।

गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर महिलाएं लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही थीं और पुरुष वर्चस्व के समांतर भेदभाव के खिलाफ बराबरी के अधिकार की मांग कर रही थीं। स्थायी कमीशन से लेकर यूनिट और कमान के नेतृत्व यानी कमांड पोस्टिंग को लेकर सरकार का रुख बेहद नकारात्मक था और अदालत में जिस तरह की दलीलें दी गईं, वे न केवल बेहद उथली थीं, बल्कि बराबरी के मूल्यों पर आधारित एक आधुनिक समाज की परिकल्पना के खिलाफ भी। जहां खुद सरकार को समाज में फैली महिलाओं के प्रति पिछड़ी और सामंती धारणाओं को दूर कर लैंगिक समानता की दिशा में देश को आगे बढ़ने देना चाहिए था, वहां उसने अदालत में महिलाओं की क्षमता को कठघरे में खड़ा किया और यहां तक कि स्त्री के विरुद्ध औसत पुरुषों की मानसिकता में गहरे पैठी कुंठा को अपने तर्क के रूप में भी पेश किया। सरकार का कहना था कि यूनिटों में तैनात ज्यादातर पुरुष सैनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और वे महिला अफसरों का हुक्म मानने में 'संकोच' कर सकते हैं। अव्वल तो ग्रामीण परिवेश के लोगों के प्रति यह सरकार का बेमानी पूर्वाग्रह और तंग नजरिया है, दूसरे, ऐसा कह कर क्या सरकार सेना के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण और अनुशासन पर सवालिया निशान नहीं लगा रही थी?

इसके अलावा, सरकार ने इस मसले पर मातृत्व या बच्चों की देखभाल और पारिवारिक स्थितियां, मनोवैज्ञानिक सीमाएं और महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले शारीरिक रूप से कमजोर होने को जिस तरह दलील के रूप में पेश किया, वह हैरान करने वाला था। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की धारणाओं के लिए सरकार को सख्त फटकार लगाई और कहा शारीरिक सीमाओं और सामाजिक मानदंडों के चलते महिला अफसरों को स्थायी कमीशन नहीं देने की केंद्र की दलीलें परेशान करने वाली हैं और इन्हें कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। सेना में उपलब्धियों और भूमिकाओं को लेकर महिलाओं की क्षमताओं पर शक करना महिलाओं के साथ सेना का भी अपमान होगा। यों भी, न केवल सैन्य बलों के भीतर, बल्कि समूचे समाज के स्तर अगर पुरुषों के मानस में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और सामंती जड़ताएं कायम हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी प्रतिगामी मानसिकता से समाज को निकालने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए। पुरुष अगर अपने भीतर किसी तरह की कुंठा पाल कर जीते हैं, तो इसकी कीमत स्त्रियां क्यों चुकाएं?

कल्पमेधा

सिर्फ अच्छा होना नेतृत्व का गुण नहीं है। सही होना और मजबूत होना ही असली नेतृत्व है।
-पॉल कीटिंग

चुनौती बना ई-कचरे का ढेर

श्रीलाल प्रदीक्षित

दुखद तो यह है कि खराब बुनियादी ढांचे और कानूनों के चलते भारत के कुल ई-कचरे के केवल पांच फीसद हिस्से का पुनर्चक्रण हो पता है। जबकि ई-कचरे का पनचानवे फीसद हिस्सा असंगठित क्षेत्र और इस बाजार में कबाड़ियों के हाथों में चला जाता है जो इसे गलाने के बजाय तोड़ कर फेंक देते हैं।

देश में डिजिटल क्रांति के साथ-साथ ई-कचरे की समस्या भी बढ़ी है और आज यह विकराल रूप धारण कर चुकी है। ई-कचरे को नष्ट करने के उपाय समझ नहीं आ रहे। आज का युग प्रौद्योगिकी का है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरे का बढ़ते जाना निश्चित ही गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज नवाचारों के कारण विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग फल-फूल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के नित नए रूप लोगों को इस ओर आकर्षित करते हैं कि वे अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग करें और पुरानी वस्तुओं का त्याग करें। इसी कारण स्थिति यह बन चुकी है कि आज भारत इलेक्ट्रॉनिक कचरा घर बन गया है। लेकिन चुनौती इस बात की है कि इस कचरे को नष्ट कैसे किया जाए, कैसे इसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने के उपाय खोजे जाएं।

ई-कचरे में टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर से जुड़े दूसरे हिस्से और पुर्जे, कैलकुलेटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के कलपुर्जे शामिल होते हैं। ई-कचरा हानिकारक इसलिए है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में जो रसायन और पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, वे काफी हानिकारक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से तांबा, चांदी, सोना, प्लैटिनम आदि कुछ मूल्यवान धातुएं प्राप्त करने के लिए इन्हें प्रसंस्कृत करना होता है, जो काफी जटिल काम है। यह पर्यावरण के लिए भी निश्चित रूप से हानिकारक है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बिजली का सामान सीसा, जस्ता, कैडमियम, बेरियम जैसी धातुओं से बनाए जाते हैं और जब ये हानिकारक तत्त्व पानी में मिल जाते हैं तो उसे जहरीला कर देते हैं।

एसोचैम के एक अध्ययन में कहा गया है कि असुरक्षित ई-कचरे के पुनर्चक्रण (फिर से किसी उपयोग के लायक बनाने) के दौरान उत्सर्जित रसायनों / प्रदूषकों के संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र, रक्त प्रणाली, गुर्दे और मस्तिष्क विकार, सांस संबंधी बीमारियां, त्वचा विकार, गले में सूजन, फेफड़ों का कैंसर और हृदय संबंधी रोग तेजी से हमला करते हैं। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और विकिरण पैदा करने वाले कलपुर्जे तो लंबे समय तक नष्ट ही नहीं होते। सिर्फ एक मोबाइल फोन की बैटरी छह लाख लीटर पानी दूषित कर सकती है। जल-जमीन यानी हमारे वातावरण में मौजूद ये खतरनाक रसायन कैंसर आदि कई गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ता देश है। यहां पंद्रह लाख टन से भी ज्यादा ई-कचरा तैयार होता है। लेकिन इसका उचित निपटान अथवा प्रबंधन गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। वर्ष 2011 में ई-कचरा प्रबंधन के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तब यह तय हुआ था कि जो भी उत्पाद तैयार होंगे, उनके लिए राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से मंजूरी लेनी होगी और वे पर्यावरण के अनुकूल हों। इसके बाद ई-कचरा प्रबंधन नियम 2016 बनाया गया, जिसे 2017 में लागू किया गया। इसमें ई-कचरे के प्रबंधन को दुरुस्त किया गया। साथ ही 'उत्पाद उत्तरदायित्व संगठन' के नाम से व्यवस्था भी बनाई गई। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह निरीक्षण करेगा कि बाजार में ऐसे कौन से उपकरण या उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनका निस्तारण संभव नहीं है और जो मानव और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। ऐसी सभी वस्तुओं का पता लगा कर बाजार से उनकी वापसी की जाएगी। कचरे की वैश्विक मात्रा साल 2016 में 4.47 करोड़ टन थी, जो वर्ष 2021 तक साढ़े पांच करोड़ टन तक पहुंच जाने की संभावना है। भारत में करीब बीस लाख टन सालाना ई-कचरा पैदा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा करने वाले शीर्ष पांच देशों में भारत का नाम भी शुमार है। इसके अलावा इस सूची में चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब बीस लाख टन सालाना ई-कचरा पैदा होता है और कुल 4,38,085 टन कचरे का हर साल पुनर्चक्रण किया जाता है। ई-कचरे में आमतौर पर फेंके हुए कंप्यूटर मॉनीटर, मदरबोर्ड, कैथोड-रे-ट्यूब (सीआरटी), प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), मोबाइल फोन और चार्जर, कॉम्पैक्ट डिस्क, हेडफोन के साथ एलसीडी (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले) या प्लाज्मा टीवी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर शामिल हैं।

दुखद तो यह है कि खराब बुनियादी ढांचे और कानूनों के चलते भारत के कुल ई-कचरे के केवल पांच फीसद हिस्से का ही पुनर्चक्रण हो पता है। जबकि ई-कचरे का पनचानवे फीसद हिस्सा असंगठित क्षेत्र और इस बाजार में कबाड़ियों के हाथों में चला जाता है जो इसे गलाने के बजाय तोड़ कर फेंक देते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैसे-जैसे भारत के लोग अमीर बनते जा रहे हैं, वैसे-वैसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण खरीदने पर खर्च करते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक कुल ई-कचरे में कंप्यूटर उपकरण सत्तर फीसद, मोबाइल व इससे जुड़े उपकरण बारह फीसद, बिजली के उपकरण आठ फीसद, चिकित्सा उपकरण सात फीसद और बाकी घरेलू सामान का योगदान चार फीसद है।

इस वक्त भारत में ई-कचरे पैदा होने की दर, उसे पुनर्चक्रित करने की क्षमता से 4.56 गुना अधिक है। बढ़ते हुए ई-कचरे का बड़ा कारण अधिक से अधिक लोगों द्वारा प्लास्टिक का उपयोग करना है। भारत में ई-कचरा जिस दर से बढ़ रहा है और उससे देश के पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, आने वाले वक्त में उसके घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने चेतावनी दी है कि भारत और चीन जैसे देशों ने ई-कचरे के पुनर्चक्रण में तेजी नहीं दिखाई और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, तो जगह-जगह ई-कचरे के पहाड़ खड़े नजर आएंगे। आज भारत में एक लाख टन रेफ्रिजरेटर का कचरा, पौने तीन लाख टन टीवी का कचरा, छप्पन हजार टन से ज्यादा कंप्यूटरों का कचरा, चार हजार सात सौ टन प्रिंटरों का कचरा और एक हजार सात सौ टन मोबाइल फोन का कचरा प्रति वर्ष तैयार होता है। भारत में कचरे के रिसाइक्लिंग की कोई सटीक प्रणाली लागू नहीं की गई है। अधिकतर ई-कचरा अनियोजित तरीके से इकट्ठा और नष्ट किया जाता है और यह कार्य स्थानीय कबाड़ी करते हैं। पुनर्चक्रण के लिए बड़े और सुनियोजित कारखाने तक नहीं लगाए गए हैं। कबाड़ी ई-कचरे में से बहुमूल्य धातुएं प्राप्त कर करते हैं, हालांकि यह मात्रा काफी कम होती है और अधिकतर कचरा यों ही छोड़ दिया जाता है।

भारत को ई-कचरे की समस्या के स्थायी समाधान के लिए यूरोपीय देशों में प्रचलित व्यवस्था की तर्ज पर पुनर्चक्रण और विधि प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए, जहां इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों को ही इन उत्पादों को उनके इस्तेमाल के बाद पुर्नचक्रण के लिए जवाबदेह बनाया जाता है। या तो कंपनियां इन उत्पादों को स्वयं पुनर्चक्रित करती हैं या फिर इस कार्य को किसी तीसरे पक्ष को सौंप देती हैं। कई देशों में इस सवाल का जवाब इस व्यवस्था को बदल कर दिया गया है, कचरे से संबंधित शुल्क का भुगतान इसे इकट्ठा करने या लाने-ले जाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि कचरे के निपटान के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्वीडन और अमेरिका में भराव क्षेत्र में कचरा फेंकने के लिए भारी प्रवेश शुल्क वसूला जाता है। स्वीडन में भराव क्षेत्र कर भी लगाया जाता है। भारी भरकम प्रवेश शुल्क नगर निगमों को भराव क्षेत्र में कचरा फेंकने से रोकता है। वर्ष 2013 में स्वीडन में कचरा फेंकने के लिए औसतन 212 डॉलर प्रति टन वसूले जाते थे, जबकि अमेरिका में डेढ़ सौ डॉलर प्रति टन।

बेहतर प्रबंधन से ई-कचरे का नवीनीकरण या सुरक्षित निपटान किया जा सकता है। इसके लिए ई-कचरे में कमी लाना, पुराने उपकरणों की मरम्मत, फिर से उपयोग करने वाली वस्तुओं का निर्माण करना और पुनर्चक्रण बेहतर कदम साबित हो सकते हैं। जागरूकता की कमी और नष्ट करने की मुश्किल प्रक्रिया के कारण ई-कचरा दुनिया भर के लिए मुसीबत व बीमारियों का घर बनता जा रहा है।

वो भूली दास्तां

हेमंत कुमार पारीक

दुनिया मेरे आगे

गांव में सिर्फ एक पुस्तकालय हुआ करता था। बैठने के लिए उसमें लंबी-चौड़ी जूट की फट्टियां होती थीं। दो-तीन लट्टू जलते थे और दीवार से लगी हुई दस-बारह लकड़ी की आलमारियां थीं। सुबह बुजुर्गों की होती थी और शाम विद्यार्थियों की। बाजार के बीचोंबीच था वाचनालय। कस्बे के एक अच्छे माने जाने वाले विद्यालय के अहाते में पुस्तकालय चलता था। स्कूल नगरपालिका के संरक्षण में थे, इसलिए पुस्तकालय भी। वहां के सेठ भी उसे चंदा देते थे। उन्हीं सेठों में से किसी ने अपनी जमीन का एक बड़ा टुकड़ा और धन देकर वहां उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करवाई थी। उस गांव के सेठ लोग कई सामाजिक कार्य करते थे। नगरपालिका की बड़ी-सी जमीन पर एक बालमंदिर उन्हीं के सहयोग से निर्मित हुआ था। उसमें अखाड़ा भी चलता था और खेलकूद की विभिन्न गतिविधियां भी। सीमेंट की बेंच पर शाम को बुजुर्ग आराम करते दिखते थे।

स्कूल से छूटने के बाद कुछ बच्चे व्यायाम के लिए बाल मंदिर की तरफ निकल जाते थे। ये वे बच्चे थे जिन्हें पढ़ने-लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे केवल शारीरिक श्रम कर सकते थे। उसी में वे अजीविका की तलाश करते थे और कुछ मध्यम वर्ग के बच्चे शाम के वक्त पुस्तकालय चले जाते थे। उन्हें खेलकूद में कोई आनंद नहीं मिलता था। इन बच्चों की संख्या ज्यादा होती थी। शाम को छह बजे के बाद पुस्तकालय इन्हीं बच्चों से ठसाठस भरा दिखता था। वजह शायद यह थी कि अधिकांश स्कूलों में एक उक्ति प्रचलित थी- 'पढ़ोगे-लिखोगे बनोगे नबाव, खेलोगे-कूदोगे बनोगे खराब'! मध्यम वर्ग के बच्चे इसी मानसिकता के दायरे में पलते और बढ़ते थे।

दूसरी ओर, निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ने को किताबें भी नहीं मिलती थीं। वजह माली हालत थी। लिहाजा, वे खेलकूद की तरफ मुड़ जाते थे। अखाड़ा उनके लिए प्रिय स्थान था। वहां किसी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ता था। मुफ्त का मनोरंजन था। हालांकि उनमें से भी कुछ पढ़ाई-लिखाई में रुचि रखते थे। लेकिन वे पुस्तकालय में हेय दृष्टि से देखे जाते थे। शायद वजह थी पुस्तकालय में धनिकों का दबदबा! नौकरीपेशा लोगों के बच्चे भी वहां असहज महसूस करते थे तो निम्न वर्ग के बच्चों की क्या बिसात! लेकिन हर हाल में पढ़ाकू बच्चे नियमित रूप से पुस्तकालय जाते थे। शायद उनके मानस में वही प्रचलित उक्ति घर कर गई थी- 'पढ़ोगे लिखोगे...'। खैर, पढ़ाई का जज्बा तो था। पुस्तकालय जिंदा थे। किताबों से लोगों का सरोकार था। हर उम्र के लोगों के लिए वहां साहित्य उपलब्ध था।

पिछले दिनों काफी सालों बाद वहां गया था। सबसे पहले अपने विद्यालय और पुस्तकालय को देखने की इच्छा जागी थी। विद्यालय की तरफ निकला तो पहचान ही नहीं पा रहा था। उसका वैभव लुटा-पिटा-सा दिखा। उसकी चारदिवारी से लग कर दुकानों की शृंखला थी। पान-बीड़ी के ठेले, मैकेनिक से लेकर बाल काटने की दुकान आदि उसकी धड़ में लगी हुई अवैध दुकानें थीं और उसके ठीक सामने अंग्रेजी शराब की दुकान थी। बस अड्डा था। वह विद्यालय उस गांव की नाक और शान था कभी। आज वह इस भीड़ में जाने कहां गुम हो गया था। दुख हुआ। उसे पास से देखने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

वहां से होते हुए पुस्तकालय तक निकल आया। वह भी दुकानों की भीड़ में जाने कहां खो-सा गया था। इस तरह के हालात थे मानो वह किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया है। टूटा-फूटा जीर्णावस्था में। वहां से मेरे कई साथियों ने पढ़ाई की और बाद में डॉक्टर और इंजीनियर बन कर निकले थे। आज कमोबेश पुस्तकालयों या लाइब्रेरी के यही हाल हैं। इंटरनेट और मोबाइल के कारण हम सब पुस्तकों और पुस्तकालयों से दूर हो गए हैं। पुस्तकालय आज पुस्तकों से भरे तो हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। यही हालत स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालयों की है। पुस्तकों में ज्ञान का खजाना है, पर उसे खोद कर निकालने वाला कोई नहीं। इस संदर्भ में एक पंक्ति याद आती है- 'जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ'! न तो विद्यार्थी बड़ी-बड़ी पुस्तकों को पलटने की कोशिश करते हैं और न शिक्षक! शिक्षक पहली तारीख को तनख्वाह की आस लगाए रहते हैं। अलग-अलग तरह के भत्तों की गणना और आकलन में व्यस्त! और विद्यार्थी सतही ज्ञान के लिए, परीक्षा पास कर लेने भर से अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं।

कुछ दिन पहले मैं अपनी संस्था के पुस्तकालय में कोई पुस्तक खोजने गया था। शायद दूसरों की तरह ही सालों बाद! पुस्तकालय देख कर मैं दंग रह गया। आधुनिक साधनों से सुसज्जित पुस्तकालय में बैठा पुस्तकाध्यक्ष ऊंघ रहा था। बड़ी-बड़ी आलमारियां महंगी-महंगी किताबों से भरी पड़ी हैं। आलमारियों पर धूल जमी थी। एक आलमारी खोल कर दिखाई पुस्तकाध्यक्ष ने। अपनी पुस्तक ढूंढ़ते-ढूंढ़ते एक इंसाइक्लोपीडिया मेरे हाथ लगी। कीमत बीस हजार रुपए थी। पांच वर्ष पहले खरीदी गई थी, लेकिन उसकी सील तक नहीं खुली थी। पुस्तकालय की हालत देख कर मेरी आंखों के आगे स्कूल की दीवार पर चस्पां वह उक्ति स्मृति में उभर आई- 'पढ़ोगे-लिखोगे...'!

अपराध की राजनीति

भारतीय राजनीति में अपराधीकरण के नियंत्रण पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिका की सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा है कि राजनीतिक दलों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन के दो हफ्ते के अंदर, जो भी पहले हो, दागी उम्मीदवारों की जानकारी ऑनलाइन प्रकाशित करनी चाहिए। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और रविंद्र भट के संवैधानिक पीठ ने कहा कि संबंधित राजनीतिक दलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया पर दागी उम्मीदवार के आपराधिक मामलों की जानकारी (अपराध किस तरह का है और जांच की स्थिति) देनी चाहिए। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि महज जीतने की संभावना के अलावा आखिर क्यों दागी उम्मीदवार चुना गया?

नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि देश की वर्तमान लोकसभा में करीब 43 फीसद यानी 234 निर्वाचित सांसद ऐसे हैं, जिन पर भारत की न्यायिक व्यवस्था के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें कुल 159 यानी तकरीबन 29 प्रतिशत सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 19 सांसदों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले दर्ज हैं। राजनीति में यह अपराधीकरण जितना विचारणीय है उससे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि ये आंकड़े चुनाव दर चुनाव बढ़ रहे हैं। साल 2009 में लोकसभा में चुने गए 30 प्रतिशत सांसद दागी थे, 2014 में बढ़कर 34 फीसद हुए, और 2019 में चुनी गई 17वीं लोकसभा के 43 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक मामलों को देखें तो 2009 में 14 प्रतिशत, 2014 में 21 और 2019 में 29 फीसद सांसद ऐसे चुने गए हैं, जिन पर हत्या, अपहरण, बलात्कार, हत्या का प्रयास, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे आरोप लगे हैं। हाल ही दिल्ली विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों की बात करें तो इनमें 61 फीसद यानी 70 में से 43 विधायक दागी हैं।

इससे स्पष्ट है कि हमारी व्यवस्थापिका का हिस्सा बन कर देश का संचालन करने वाले लोग ही कानून-कायदे के प्रति गंभीर नहीं। आमजन के पास अक्सर इन दागी प्रत्याशियों को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की टिकट प्राप्त करने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि का होना नकारात्मक शर्त नहीं होती।

यहां गौरतलब है कि 2011 में शीर्ष अदालत में दायर एक याचिका में गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की गई थी। इस पर 25 सितंबर 2018 के अपने एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के पीठ ने चुनाव लड़ने से पूर्व प्रत्येक उम्मीदवार को अपना आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के सामने रखने और सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के संबंध में सभी सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए थे। इसी के साथ न्यायालय ने संसद को कानून बनाकर राजनीति में अपराधीकरण रोकने का निर्देश दिया। लेकिन इन पूर्व निर्देशों का पालन अभी तक नहीं हुआ है। दागी सांसदों की सूची देखी जाए तो सभी दलों से इनका संबंध है। यही कारण है कि हमारी व्यवस्थापिका ऐसा कानून बनाने से बच रही है।

ऐसे में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने हाल ही के अपने फैसले में राजनीतिक दलों को नए दिशा-निर्देश दिए हैं। सभी राजनीतिक दल न्यायपालिका के इन निर्देशों का पालन करें तो यह भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत होगा।

● *कृष्ण जांगिड़, राजस्थान विश्वविद्यालय*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

समान अवसर

सुप्रीम कोर्ट ने सही मायने में स्त्री-पुरुष के बीच भेद को खत्म कर दिया। सरकारें केवल तकरीरों में महिलाओं और पुरुषों को एकसमान बताती रही हैं। हकीकत में जब ऐसा करने का समय आता है तो रूढ़िवाद के सामने सरकारें नतमस्तक हो जाया करती हैं। शीर्ष अदालत ने सरकार से कह दिया है कि तीन महीने के भीतर वह सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का मानचित्र तैयार करे। यह एक प्रगतिशील और ऐतिहासिक निर्णय है। महिलाओं को समान अवसर दिए ही जाने चाहिए। यह 2010 में ही हो जाना चाहिए था जब उच्च न्यायालय ने ऐसा करने का आदेश दे दिया था। लगता है, इस निर्णय का असर सबरीमला पुनर्याचिका वाले पीठ के निर्णय पर भी पड़ेगा जो इस बात पर विचार कर रहा है कि हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश मिलेगा या नहीं। जाहिर है, 21वीं सदी में आकर हम पाषाणकालीन रूढ़ियों में जकड़े रहेंगे तो नया भारत बनने से रहा।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

त्रासदी के तमाशबीन

बालेसर (जोधपुर) और जयपुर में पटाखे की दुकान में भीषण आग के दौरान लोग वीडियो बनाते और सेल्फी लेते रहे। यह इस किस्म की कोई पहली घटना नहीं है। किसी सड़क दुर्घटना में भी लोग मदद करने की बजाय सेल्फी लेते या वीडियो बनाते देखे जाते हैं। सोचें, अगर अपने परिजन होते तो...? ऐसे समय में तमाशा देखना उचित नहीं है। हम सभी का नैतिक कर्तव्य है कि संकट के समय मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। मोबाइल तकनीक का उपयोग मानव हित में होना चाहिए।

● *पारस मल बोस, गुडामलानी, बाड़मेर*

चुनाव से दूर

दागी लोगों को संसद और विधानसभाओं से दूर रखने का उचित उपाय तो यही है कि उन्हें चुनाव लड़ने की सुविधा ही न दी जाए। निर्वाचन आयोग एक अरसे से कह रहा है कि उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए जिनके खिलाफ ऐसे संगीन मामले चल रहे हों जिनमें पांच साल से अधिक की सजा हो सकती है और जिनमें आरोप पत्र भी दायर हो चुका हो। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट इस उपाय को अपने दिशा-निर्देशों का हिस्सा बनाता या फिर चुनाव आयोग को यह अधिकार देता कि वह राजनीतिक दलों की उन कमजोर दलीलों को ठुकरा सकता है जो वे किसी दागी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने के मामले में दें।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर*

www.readwhere.com

जरा हट के

अमेरिका के स्ट्रीट राइडर चैंपियन एरोन कोल्टन सोमवार तड़के मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने करतब दिखाते हुए।

बोल

हम कोई विमान नहीं भेज सकते। चालक दल का कोई सदस्य वहां जाने को तैयार नहीं है। इसलिए, हमने उन्हें (फंसे हुए बांग्लादेशी नागरिकों को) इंतजार करने को कहा है।'

-एके अब्दुल मोमेन, बांग्लादेश के विदेश मंत्री

विवाद

कई वर्षों तक मैंने सुना कि 2019 में चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं यह सुनता रहा। मुझे इस बात से नफरत थी। हम अब उनसे बहुत आगे हैं।

-डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति

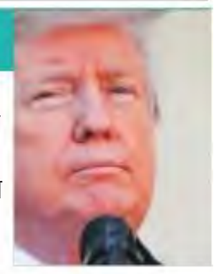

सम-सामयिक

एजीआर भुगतान : दूरसंचार क्षेत्र में आगे की राह

जनसत्ता संवाद

दूरसंचार कंपनियों ने समायोजित सकल आय (एजीआर) जमा कराना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाये की रकम भरने के लिए नोटिस जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को बकाए को लेकर सरकार और कंपनियों को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद सरकार ने कंपनियों को उसी दिन रात 12 बजे तक भुगतान का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार से बातचीत के बाद सोमवार से भुगतान शुरू हुआ। एअरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपए जमा कराए।

एअरटेल ने कहा था कि वह 20 फरवरी तक 10,000 करोड़ रुपए जमा करेगी और बकाया राशि का पूरा भुगतान 17 मार्च 2020 तक कर दिया जाएगा। अब कंपनी पर 25,586 करोड़ रुपए का बकाया है। कंपनी ने बयान में कहा है कि भारती एअरटेल, भारती हेक्साकॉम और टेलीनॉर की तरफ से कुल 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कंपनी ने कहा कि हम स्वआकलन की प्रक्रिया में हैं और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले हम इस प्रक्रिया को पूरा करके बकाया का भुगतान करेंगे।

वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज को भी सोमवार को एजीआर के बकाए का भुगतान करना था। इनमें से वोडाफोन ने कोर्ट के सामने प्रस्ताव रखे थे, जिसे नही माना गया। वोडाफोन आइडिया ने सोमवार को (आज) 2500 करोड़ रुपए, शुक्रवार तक 1000 करोड़ रुपए चुकाने का प्रस्ताव दिया था।

अदालती और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद एजीआर को लेकर टेलीकॉम कंपनियों और दूरसंचार विभाग के बीच नई जंग छिड़ सकती है। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने एजीआर बकाये के बारे में अनुमान लगाना शुरू किया है। कंपनियों के अनुसार, यह आंकड़ा 50 फीसद कम हो सकता है। मसलन, एअरटेल की शुरुआती गणना के अनुसार, एजीआर का उनपर बकाया 15,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। दूरसंचार विभाग ने 35,500 करोड़ रुपए के बकाये का आंकड़ा दिया था। वोडाफोन आइडिया ने अपने पर एजीआर के बकाये का अनुमान 18,000 करोड़ रुपए से 23,000 करोड़ रुपए के बीच आंका है। जबकि, दूरसंचार विभाग ने इस पर 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया होने की बात कही है।

एजीआर की रकम का अनुमान लगाना आसान नहीं है। इसके लिए कंपनियों को16 साल के अपने रिकॉर्ड्स खोलने पड़ रहे हैं। दूरसंचार कंपनियों को एजीआर का तीन फीसद स्पेक्ट्रम फीस और आठ फीसद लाइसेंस फीस के तौर पर सरकार को देना होता है। कंपनियां एजीआर की गणना दूरसंचार पंचाट के 2015 के फैसले के आधार पर करती हैं। पंचाट ने तब कहा था कि किराए, स्थायी संपत्ति की बिक्री से लाभ, डिविडेंड और ब्याज जैसे गैर प्रमुख स्रोतों से हासिल राजस्व को छोड़कर बाकी प्राप्तियां एजीआर में शामिल होंगी। जबकि दूरसंचार विभाग किराए, स्थायी संपत्ति की बिक्री से लाभ और कबाड़ की बिक्री से प्राप्त रकम को भी एजीआर में मानता है। इसी आधार पर वह कंपनियों से बकाया शुल्क की मांग कर रहा है।

दूरगामी असर

दूरसंचार क्षेत्र पर संकट आया तो असर बैंकों पर भी पड़ेगा। दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों पर कुल मिला कर बैंकों का 90,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है।

सरकार लंबे समय से 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की इच्छुक है लेकिन नई देनदारी से 5जी की पूरी प्रक्रिया ही खतरे में पड़ने का अंदेशा है, जिसका नुकसान सरकारी खजाने को भी होगा।

शोध

अंटार्कटिका का तापमान 20 डिग्री के पार

जनसत्ता संवाद

जलवायु परिवर्तन के कारण जहां दुनियाभर में गर्मी बढ़ी है, वहीं अंटार्कटिका में भी गर्मी के सारे रेकॉर्ड टूट गए हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में महाद्वीप के सेमूर द्वीप पर 20.75 डिग्री तापमान दर्ज किया। ऐसा पहली बार है जब दक्षिण ध्रुव में पारा 20 डिग्री पार कर गया है। यह तापमान नौ फरवरी को अंटार्कटिका के सेमूर द्वीप पर बने रिसर्च स्टेशन पर मापा गया था। इससे पहले साइनी द्वीप पर जनवरी 1982 में 19.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रेकॉर्ड किया गया था।

ब्राजीलियाई शोधकर्ता कार्लोस शिफर ने कहा, हमने अंटार्कटिका में इतना ज्यादा तापमान कभी नहीं देखा। इसे धरती के गर्म होने को लेकर चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए।

अंटार्कटिका की 23 साइट्स पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन कर रहे कार्लोस शिफर ने बताया कि पिछले हफ्ते भी अंटार्कटिका के पेनिनसुला द्वीप पर 18.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। हालांकि ये द्वीप महाद्वीप के सबसे उत्तरी इलाके हैं। शोधकर्ता कार्लोस शिफर ने कहा कि रेकॉर्ड तापमान किसी अध्ययन का हिस्सा नहीं है। इसलिए इसका उपयोग किसी भविष्यवाणी के लिए नहीं किया जाएगा।

ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक, छह फरवरी को अंटार्कटिका स्थित एस्परांजा के अर्जेंटीनियाई रिसर्च स्टेशन में 18.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रेकॉर्ड किया गया था। हालांकि, दक्षिण ध्रुवों पर रेकॉर्ड किए गए तापमान की विश्व मौसम संगठन द्वारा पुष्टि होना अभी बाकी है। अंटार्कटिका स्थित दूरस्थ इलाकों में स्थित रिसर्च स्टेशनों में हर तीन दिन में तापमान मापा जाता है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में इस बढ़ोतरी को आश्चर्यजनक और असामान्य करार दिया है। शोधकर्ता कार्लोस शिफर कहते हैं, 'कई साइट्स पर हम वॉर्मिंग ट्रेंड्स (गर्मी का चलन) देख रहे हैं, लेकिन इस तरह से तापमान में इजाफा कभी नहीं देखा गया।' उन्होंने कहा कि अंटार्कटिका के साउथ शेटलैंड आइलैंड और जेम्स रॉस द्वीपसमूह में 20 सालों में तापमान में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। 21वीं सदी का पहला दशक तो ठंडा रहा, लेकिन दूसरे दशक में गर्मी तेजी से बढ़ी।

ब्राजीलियन अंटार्कटिका प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिकों ने इसका कारण बताते हुए कहा है कि दक्षिण ध्रुव में तापमान में इजाफा समुद्री जलधाराओं और अल नीनो प्रभाव के कारण हो सकता है। इस समय वायुमंडल में जलवायुवीय बदलाव देखे जा रहे हैं, इनसे भी ध्रुवों का तापमान बढ़ सकता है।

अंटार्कटिका क्षेत्र में (60 डिग्री दक्षिण अक्षांश और उससे ऊपर) दुनिया का 70 फीसद ताजा पानी है। अगर यहां के सभी ग्लेशियर पिघल गए तो समुद्र तल 50-60 मीटर ऊपर हो जाएगा, जो भयावह होगा। संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 21वीं सदी के अंत तक समुद्र तल 30 से 110 सेमी बढ़ जाएगा। इसे रोकने के लिए किसी भी हाल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा।

विश्व मौसम संगठन की प्रवक्ता क्लेयर नेलिस ने बताया कि 1979 से 2017 तक अंटार्कटिका की बर्फ में सालाना छह गुना की कमी आई है। 2019 में उत्तर ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र में कनाडा के एल्समेयर आइलैंड में जुलाई में 21 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था।

विश्व मौसम संगठन के मुताबिक, पिछले 50 साल में अंटार्कटिका पर तापमान में लगभग तीन डिग्री की वृद्धि हुई है, जबकि इसके पश्चिमी तट के लगभग 87 फीसदी ग्लेशियर पीछे चले गए हैं। 12 साल में ग्लेशियरों का जलवायु परिवर्तन के कारण 'तेजी से पीछे हटते' देखा गया है। पिछला महीना यानी जनवरी भी अंटार्कटिका का सबसे गर्म था।

ऐसा पहली बार है जब दक्षिण ध्रुव में पारा 20 डिग्री पार कर गया है। यह तापमान इसी महीने की नौ तारीख को सेमूर निगरानी केंद्र पर मापा गया था। इससे पहले साइनी द्वीप पर जनवरी 1982 में 19.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था।

विश्व परिक्रमा

विश्वभर में 34 हजार लोग कोरोना से संक्रमित

रविवार, 9 फरवरी : कोरोना वायरस से विश्वभर में 34,800 से अधिक लोग संक्रमित हैं। चीन में महामारी का रूप ले चुके कोरोना से 722 लोगों की मौत और 34,546 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।

थाईलैंड में मॉल में गोलीबारी करने वाला ढेर

सोमवार, 10 फरवरी : थाईलैंड के मॉल में गोलीबारी कर कम से कम 26 व्यक्तियों को मौत के घाट उतारने वाला बंदूकधारी आखिरकार मारा गया।

चीन में फंसे पाकिस्तानियों ने की निंदा

मंगलवार, 11 फरवरी : पाकिस्तान को उस वक्त चौतरफा निंदा का सामना करना पड़ा जब उसने कहा कि वुहान से पाक छात्रों को नहीं लाया जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस के मरीज के इलाज के लिए तय मानकों का अभाव है।

बंगाल में नाव डूबने से 16 की मौत

बुधवार, 12 फरवरी : बांग्लादेशी शिविरों से 125 रोहिंग्या शरणार्थियों को ले जा रही क्षमता से अधिक भरी एक नाव मंगलवार तड़के बंगाल की खाड़ी में डूब गई। बांग्लादेशी अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। द्वीप के पास लकड़ी की नौका पलटने से यह हादसा हुआ।

हाफिज सईद को मिली साढ़े पांच साल की कैद

गुरुवार, 13 फरवरी : मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने साढ़े पांच साल की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

चीन में एक दिन में 254 लोगों की मौत

शुक्रवार, 14 फरवरी : चीन में कोरोना वायरस से एक ही दिन में रेकॉर्ड 254 लोगों की मौत हो गई। इनमें से अधिकतर मौतें वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुबेई प्रांत में हुई हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर लगभग 60 हजार हो गई है।

हेलिकॉप्टर दुर्घटना : 12 शव बरामद

शनिवार, 15 फरवरी : इंडोनेशिया में शुक्रवार को खोजी दल ने 12 सैनिकों के शव बरामद किए। उनका हेलिकॉप्टर आठ महीने पहले देश के सुदूर पूर्व प्रांत पापुआ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस प्रांत में अलगाववादी विद्रोही समूह सक्रिय हैं।

जानें-समझें

कश्मीर : तुर्की राष्ट्रपति का बयान

इस्लामी विश्व की धड़ेबाजी पर हावी आर्थिक कूटनीति

दीपक रस्तोगी

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने पाकिस्तान में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। एर्दोगान ने पाकिस्तान की संसद में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति के इस बयान का सख्त लहजे में जवाब दिया, 'कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। तुर्की भारत के मामले में हस्तक्षेप ना करे।' बात एक बयान और उसपर सख्त जवाब तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर के मुद्दे का इस्तेमाल 'मुसलिम भाईचारे' की अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं और इसकी आर्थिक वजहें ज्यादा हैं। दूसरी ओर, मुसलिम देशों की राजनयिक धड़ेबाजी के कारण अधिकांश देश पाकिस्तान के पाले में नहीं आ रहे हैं। वजह, आर्थिक कारणों से भारत उन देशों के बीच एक बड़ा रणनीतिक भागीदार बनकर उभरा है।

तुर्की, पाकिस्तान और भारत

पाकिस्तान और तुर्की के संबंध भारत के तुलना में अच्छे रहे हैं। दोनों देश सुन्नी प्रभुत्व वाले हैं। जुलाई 2016 में एर्दोगान के खिलाफ तुर्की में सेना का तख्तापलट नाकाम रहा तो पाकिस्तान ने खुलकर उनका साथ दिया। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दौर में एर्दोगान और पाकिस्तान के संबंध विकसित हुए। इसके अलावा आर्थिक और रणनीतिक कारण रहे हैं। 2017 से तुर्की ने पाकिस्तान में एक अरब डॉलर का निवेश किया है। वह पाकिस्तान को मेट्रोबस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मुहैया करा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की की करीबी अजरबैजान के साथ है। अजरबैजन की आर्मेनिया के विवादित इलाके नागोर्नो-काराबाख पर दावा रहा है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है, जिसने आर्मेनिया को संप्रभु राष्ट्र की मान्यता नहीं दी है। इसके बदले में तुर्की ने पाकिस्तान को कश्मीर पर समर्थन दिया है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं, जिनपर तुर्की और पाकिस्तान एक साथ हैं। जहां तक भारत का मामला है, तुर्की के साथ संबंधों में बेहतरी की वकालत दोनों देश करते रहे हैं, लेकिन तुर्की में सत्ता की हर राजनीतिक पहलकदमी भ्रष्ट धार्मिक नेताओं के इशारे पर होती है, जो भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पसंद नहीं करते।

ओआइसी, मध्यपूर्व और यूएई

अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद कश्मीर मसले को पाकिस्तान मुसलिम देशों के संगठन आर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआइसी) में भी ले गया, जिसके दुनिया भर के 57 मुसलिम बहुल देश सदस्य हैं। पाकिस्तान ने बहुत ही उम्मीद के साथ मुसलिम देशों की तरफ टकटकी लगाई, खासकर मध्य-पूर्व के मुसलिम देशों की ओर। पाकिस्तान के लिए सबसे झटके वाला रवैया संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का रहा। भारत में यूएई के राजदूत ने दिल्ली की लाइन को मान्यता देते हुए कहा कि भारत सरकार का जम्मू-कश्मीर में बदलाव का फैसला उसका आंतरिक मामला है। यूएई के बयान की तरह ही मध्य-पूर्व के बाकी मुसलिम देशों का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत-पाक आपस में बात कर मसले को सुलझाएं और तनाव कम करें।

भारी पड़ती आर्थिक भागीदारी

मध्य-पूर्व के मुसलिम देशों के लिए पाकिस्तान की तुलना में भारत ज्यादा महत्त्वपूर्ण कारोबारी साझेदार है। पाकिस्तान की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार नौ गुना बड़ा है। भारत इन देशों में कारोबार और निवेश का ज्यादा अवसर दे रहा है। दूसरी ओर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही है। भारत और अरब में कोई टकराव की स्थिति नहीं है। ओआइसी में भारत का अहम मौकों पर समर्थन करने वाले मुसलिम देश मुखर रहे हैं, वो चाहे ईरान हो या इंडोनेशिया। सऊदी और अमीरात हालिया तेल संकट के बाद व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं और भारत उनके बड़े व्यापारिक और निवेश सहयोगियों में एक के रूप में उभरा है। अरब देशों के भारत और पाकिस्तान दोनों के ही साथ अच्छे संबंध रहे हैं और उसने भारत को कभी अपना दुश्मन नहीं समझा है। भारत के 70 लाख से ज्यादा कुशल कामगार अरब देशों में काम कर रहे हैं और वहां के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। भारत वहां के प्रमुख देशों के लिए निवेश का प्रमुख केंद्र है।

'मुसलिम-5' की पहल

सऊदी अरब और यूएई जैसे मुसलिम देशों और ओआइसी में भारत की पकड़ मजबूत होते देख अब पाकिस्तान 'मुसलिम-5' की पहल पर आगे बढ़ रहा है। इसमें मलेशिया आयोजक है और तुर्की एवं पाकिस्तान ने साथ दिया है। कतर की राजधानी दोहा में हो रही इसकी शुरुआती बैठक में पाकिस्तान, तुर्की, कतर, इंडोनेशिया और आयोजक मलेशिया शामिल हुए। मलेशिया के अनुरोध पर 18 से 21 दिसंबर के बीच कुआलालंपुर में एक और मुख्य शिखर वार्ता बुलाई गई है। इसकी कवायद में तर्क दिया जा रहा है कि पांचों देशों को मिलाकर विश्व की कुल जीडीपी में 50 फीसद और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 37 फीसद की हिस्सेदारी है। इन पांच देशों में मुसलिम दुनिया की 37 फीसद मुसलिम आबादी और 18 फीसद भूभाग शामिल हैं।

क्या कहते हैं जानकार

फाइल फोटो

आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान को मदद की जरूरत है और इसी कारण तुर्की या मलेशिया को लेकर वह मुसलिम देशों में नए गुट को उभारने की कोशिश में लगा है। अभी उसके ऊपर एफएटीएफ की तलवार लटक रही है। भारत अपने राजनय में अग्रणी भूमिका में है।

- एमके भद्रकुमार, तुर्की एवं उज्बेकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत

तुर्की और पाकिस्तान- दोनों ही सेंटो के सदस्य रहे हैं, जिसे अमेरिकी ने सोवियत के खिलाफ खड़ा किया था। तुर्की और पाकिस्तानी सेनाओं में बढ़िया सहयोग है। पाकिस्तान के संदर्भ में तुर्की संबंध बढ़ाने की जगह भारत को द्विपक्षीय बातचीत का दायरा बढ़ाना होगा।

- विवेक काटजू, पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय

व्यक्तित्व

ऋषि सुनक : ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री

ऋषि सुनक, ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री हैं। वे इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को नया वित्त मंत्री बनाया है। वे ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के दूसरे बड़े मंत्री हैं। भारतीय मूल की ही प्रीति पटेल इस समय ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं। ऋषि सुनक से पहले पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार था। हाल ही में उन्होंने इस पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इसके बाद ही ऋषि को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इससे पहले उन्होंने जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक ट्रेजरी मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया। 2015 के आम चुनाव से रिचमंड (यॉर्क) के लिए सांसद रहे। दिसंबर में हुए आम चुनाव में बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी भारी कामयाबी के साथ दोबारा सत्ता में आई है। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है। ऋषि सुनक का वित्त मंत्री बनाया जाना इसी फेरबदल के तहत किया गया है। कारण कि ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के उभरते सितारे के रूप में देखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में उनका कद बढ़ा है। मीडिया इंटरव्यू के लिए सरकार अक्सर उन्हें ही आगे रखती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के चुनाव प्रचार में भी उन्होंने अहम भूमिका अदा की है। यही नहीं कई मौकों पर हुई टीवी बहस में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह पर ऋषि सुनक ने हिस्सा लिया। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथैम्पटन, हैम्पशायर, इंग्लैंड में भारतीय मूल के पंजाबी परिवार में हुआ था। ऋषि के पिता डॉक्टर थे और मां फार्मासिस्ट थीं। वे तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विनचेस्टर कॉलेज में हुई थी। ऋषि ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र की भी पढ़ाई की।

ब्रिटिश राजनीति में आने से पहले ऋषि सुनक ने इंवेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश में 2001 से 2004 तक काम किया। इसके बाद उन्होंने हेज फंड मैनेजमेंट फर्म द चिल्ड्रन इंवेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट में एक भागीदार के रूप में काम किया। 2009 में इसे छोड़कर अपने पूर्व सहयोगी के साथ मिलकर नए हेज फंड फर्म थेलेम पार्टनर्स से जुड़ गए। इस फर्म को उन्होंने अक्तूबर 2010 में 700 मिलियन डॉलर की मदद से स्थापित किया था। इसी बीच 2009 में ऋषि ने नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से शादी की। ऋषि अपने ससुर एनआर नारायण मूर्ति के स्वामित्व वाली निवेश फर्म कैटामारन वेंचर्स के निदेशक भी थे। सुनक को अक्टूबर 2014 में रिचमंड (यॉर्क) के लिए कंजर्वेटिव उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। सुनक को 2015 के आम चुनाव में 19,550 (36.2%) बहुमत के साथ निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद के रूप में चुना गया था। 2015-2017 के दौरान, ऋषि पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समिति के सदस्य थे। उन्होंने 2016 के जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर आने का समर्थन किया था और 2017 के आम चुनाव में सुनक को फिर से सांसद चुना गया था।

www.readwhere.com

तीन मार्च को चारों दोषियों को फांसी

पेज 1 का बाकी

गया था। फिर 31 जनवरी को निचली अदालत ने अगले आदेश तक चारों दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। निर्भया मामले के चारों दोषी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

निर्भया की मां ने कहा कि तीसरी बार मृत्यु वांरट जारी होने से संतुष्टि तो मिली है। न्याय पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। अब एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि आगामी तीन मार्च को दोषियों को फांसी दी जाएगी। वहीं, दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि अभी बहुत विकल्प बाकी हैं। ये मीडिया का बनाया गया राजनीतिक दवाब है। मानवाधिकार के बहुत से लोग फांसी का विरोध कर रहे हैं। फांसी की सजा संविधान के आर्टिकल 21, महत्मा गांधी के सिद्धांतों और प्राकृतिक अधिकार के खिलाफ है।

केजरीवाल की तारीफ करने पर मिलिंद देवड़ा पर धावा

पेज 1 का बाकी

अरविंद केजरीवाल सरकार की तारीफ की। इसके बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन सहित दिल्ली कांग्रेस के कई नेताओं ने देवड़ा पर हमला बोल दिया।

कांग्रेस के नेताओं ने नसीहत दी कि अगर देवड़ा कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें आधे-अधूरे तथ्यों का प्रसार करने की बजाय पार्टी छोड़ देनी चाहिए। देवड़ा ने रविवार रात केजरीवाल के भाषण का संक्षिप्त वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया-एक ऐसी जानकारी साझा कर रहा हूं जिससे कम लोग अवगत हैं। केजरीवाल सरकार ने पिछले पांच साल में राजस्व को दोगुना कर दिया है और अब यह 60 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। दिल्ली अब भारत का आर्थिक रूप से सबसे सक्षम राज्य बन रहा है। देवड़ा के इस ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रिट्वीट किया।

देवड़ा के ट्वीट पर दिल्ली कांग्रेस के पूर्व मुखिया अजय माकन ने कड़ी आपत्ति जताई। माकन ने कुछ आंकड़े रखते हुए कहा कि भाई, अगर आपको कांग्रेस पार्टी छोड़नी है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप आधा-अधूरे तथ्यों का प्रचार करें। इस पर पलटवार करते हुए देवड़ा ने अन्य ट्वीट में कहा कि भाई, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर शीला दीक्षित के शानदार प्रदर्शन को कभी कमतर नहीं करूंगा। ऐसा करने में आपकी विशेषज्ञता है। लेकिन बदलाव लाने में कभी देर नहीं होती। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की पैरवी करने की बजाय अगर आप शीला जी की उपलब्धियों का उल्लेख करते तो आज कांग्रेस सत्ता में होती।

पूर्व विधायक अलका लांबा ने भी देवड़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले पिता जी के नाम से पार्टी में आओ, फिर बैठे-बैठे टिकट पाओ, कांग्रेस की लहर में पहली बार में ही केंद्रीय मंत्री भी बन जाओ। जब अपने अपने दम पर लड़ने की बात आए तो हार जाओ, पार्टी में पद की लड़ाई लड़ो, फिर पार्टी को गलियाते हुए, दूसरों के गुणगान में गिटार हाथ में लेकर बजाते रहो।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनकपुरी से कांग्रेस की उम्मीदवार रहीं पाटी की राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट राधिका खेड़ा ने कहा कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरी युवा नेता के तौर पर मुझे उस वक्त बहुत निराशा होती है जब हमारे वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय आम आदमी पार्टी की पीठ थपथपाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1994 से राजस्व का सरप्लस रहा और शीला जी के समय यह अपने चरम पर था।

इससे पहले जब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केजरीवाल को दिल्ली में जीत पर बधाई दी थी, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इसका तगड़ा विरोध किया था और कहा था कि यदि ऐसा ही करना है तो हमें दिल्ली में पार्टी का तामझाम समेट लेना चाहिए।

दूरसंचार कंपनियों के बकाया भुगतान पर आरबीआइ की करीबी नजर : दास

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बैंक दूरसंचार क्षेत्र पर समायोजित सकल आय (एजीआर) के बकाए के मामले पर करीबी नजर रखे हुआ है।

दूरसंचार कंपनियों पर 1.47 लाख करोड़ रुपए का सांविधिक बकाया है और दूरसंचार कंपनियों के चूक की स्थिति में बैंकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दास ने विशेष बातचीत में कहा कि अब तक कहीं से चूक के खतरे की कोई चेतावनी नहीं आई है लेकिन केंद्रीय बैंक स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लि. की भुगतान समयसीमा बढ़ाने के आग्रह वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और उसने 17 मार्च तक स्पेक्ट्रम और लाइसेंस को लेकर 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया जमा करने को कहा।

कुछ दूरसंचार कंपनियां पहले बढ़ते घाटे और कर्ज से जूझ रही हैं। ऐसे में अतिरिक्त देनदारी से मौजूदा कर्ज लौटाने में चूक को लेकर चिंता बढ़ी है। दास ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, 'इसके बैंक क्षेत्र पर पड़ने वाले असर को लेकर हम चीजों पर नजर रख रहे हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित कंपनियां कैसे भुगतान करती हैं और कब भुगतान करने में सक्षम होती हैं। हमारी इस पर नजर है।' दास ने फिलहाल केंद्रीय बैंक को किसी दूरसंचार कंपनी द्वारा चूक को लेकर खतरे की चेतावनी नहीं दी गई है, 'हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।'

उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र पिछले दो दशकों से देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इस क्षेत्र ने बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों की मांग के साथ-साथ रोजगार सृजित किया है।

यह ठीक उसी प्रकार है जैसा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र के मामले में है। दास ने कहा, 'दूरसंचार क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। भारत उसका उपयोग करने में सक्षम रहा है।'

मरांडी भाजपा में शामिल, पार्टी के तीन में से दो विधायक कांग्रेस में

कांग्रेस का दावा मरांडी की पार्टी झाविमो (पी) का जल्द होगा उसके साथ विलय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सोमवार को रांची में झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी के भाजपा में विलय की घोषणा किए जाने के कुछ देर बाद कांग्रेस ने दिल्ली में दावा किया कि इस पार्टी का जल्द ही उसके साथ विलय होगा।

मरांडी के खिलाफ बगावत करने वाले पार्टी के दो विधायकों प्रदीप यादव और बंधु टिर्की ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह तथा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि झाविमो (पी) के ज्यादातर पदाधिकारियों ने रविवार को बैठक की जिसमें कांग्रेस में विलय करने का निर्णय हुआ। यादव और टिर्की का कहना है कि चुनाव में झाविमो (पी) के तीन विधायक चुने गए थे और इनमें से दो कांग्रेस के साथ आ गए हैं, ऐसे में उनका धड़ा ही असली झाविमो (पी) है।

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा, 'जल्द एक तिथि तय कर झाविमो का कांग्रेस में विलय होगा। हमने राहुल गांधी जी से आग्रह किया है कि इस अवसर पर वह मौजूद रहें और इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।' यह पूछे जाने पर कि असली झाविमो (पी) कौन है और क्या कांग्रेस इस पार्टी के एक विधायक को अयोग्य ठहराने की मांग करेगी, सिंह ने कहा-यह विधानसभा का अधिकार क्षेत्र है। मैं इस पर क्या कह सकता हूं।

यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'विधानसभा अध्यक्ष या चुनाव आयोग सदन से बाहर की संख्या नहीं देखते हैं। वे सदन के भीतर की संख्या देखते हैं। हमारे तीन विधायक जीते थे और इनमें से दो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं।' उधर, रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी वाली एक रैली में मरांडी ने भाजपा में अपनी पार्टी के विलय का एलान किया। शाह ने भाजपा में शामिल होने के लिए मरांडी और उनके समर्थकों का स्वागत किया। शाह ने मरांडी को आश्वासन दिया कि उन्हें भाजपा में उचित सम्मान और जिम्मेदारी मिलेगी। शाह ने रैली में कहा, 'मुझे खुशी है कि बाबूलाल मरांडी भाजपा में लौट आए हैं, मैं 2014 में पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद से उनकी वापसी के लिए काम कर रहा था। उन्होंने अयोध्या का मुद्दा भी उठाया और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने का भी जिक्र किया।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त कर यह सुनिश्चित किया कि कश्मीर हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन जाए। मरांडी नवंबर, 2000 से मार्च 2003 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। चार बार सांसद रहे मरांडी ने 2006 में भाजपा से अलग हो कर अपनी झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) पार्टी बना ली थी।

एजीआर : दूरसंचार कंपनियों ने जमा कराए 14690 करोड़

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार से जागी सरकार का नोटिस पाने के बाद विभिन्न दूरसंचार कंपनियों ने सकल समायोजित आय (एजीआर) के बकाये में से 14690 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए दिए।

वोडाफोन आइडिया ने 2500 करोड़, टाटा समूह ने 2190 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। एअरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कंपनियों को 17 मार्च से पहले पूरा बकाया चुकाना है। सोमवार को एअरटेल ने बकाये के भुगतान के बाद कहा कि वह खुद के आकलन के बाद बाकी बकाए का भुगतान करेगी। एअरटेल पर करीब 35000 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क बकाया हैं। वोडाफोन पर करीब 53000 करोड़ रुपए का बकाया है। टाटा समूह पर करीब 9987 करोड़ की लाइसेंस फीस और 3836 करोड़ का स्पेक्ट्रम चार्ज बकाया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दूरसंचार विभाग ने अपने नोटिस में साफ-साफ कहा था कि अगर कंपनियां बकाये का भुगतान नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। कंपनियों के बैंक जमा भी सील किए जा सकते हैं। अगली कार्रवाई के रूप में लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इसके बाद सरकारी अधिकारियों से बातचीत के आधार पर कंपनियों ने भुगतान शुरू किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 24 अक्तूबर को दिए गए अपने आदेश में तीन महीने (23 जनवरी तक) के भीतर इन कंपनियों को बकाया चुकता करने को कहा था। इसके बाद कंपनियों ने कोर्ट से बकाया चुकाने की समय सीमा फिर से विचार करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी, लेकिन उसे शुक्रवार (14 फरवरी) को खारिज कर दिया गया।

दूरसंचार कंपनियों को सरकार को बकाए के तौर पर 1.47 लाख करोड़ रुपए जमा कराने हैं। सरकार को उम्मीद है कि इसमें से 1.13 लाख करोड़ रुपए वसूले जा सकते हैं, क्योंकि शेष राशि जिन कंपनियों पर बकाया है, वे कंपनियां कारोबार पहले ही समेट चुकी हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल इस समय दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही हैं। रिलायंस जियो कुल बकाए का भुगतान कर चुकी है।

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर सतत विकास सुनिश्चित : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली/गांधीनगर, 17 फरवरी (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार सतत विकास के मार्ग का अनुसरण करने में दृढ़ विश्वास रखते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास सुनिश्चित कर रही है। मोदी ने वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण को लेकर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सीओपी (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज) देशों के 13वें सम्मेलन (सीएमएस कोप13) को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जो वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने संबंधी पेरिस समझौते के लक्ष्य को पाने की दिशा में संजीदगी से कदम उठा रहे हैं। भारत, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिये पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों, स्थायित्व के भाव वाली जीवनशैली और हरित विकास मॉडल पर आधारित नीतियों का प्रबल पक्षधर है। भारत ने मध्य एशियाई देशों के हवाई मार्ग में प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित रखने संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मेरी सरकार सतत विकास में दृढ़ विश्वास करती है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर विकास हो।' उन्होंने कहा कि सम्-मेलन का प्रतीक चिह्न दक्षिण भारत की पारंपरिक कला 'कोलम' से प्रेरित है, जिसका प्रकृति के साथ सामंजस्य कायम करने के संदर्भ में गंभीर महत्व है।

सेना में महिला अधिकारियों के कमान संभालने का रास्ता साफ

पेज 1 का बाकी

सामाजिक चलन को देखते हुए कमान पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही। पीठ ने कहा कि महिला अधिकारियों ने पहले भी देश का सम्मान बढ़ाया है और उन्हें सेना पदक समेत कई वीरता पदक मिल चुके हैं। सेना में लैंगिक समानता के मार्ग में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि सैन्य बलों में लैंगिक दुराग्रह खत्म करने के लिए सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी।

न्यायालय ने कहा कि महिलाओं की कमान में नियुक्ति किए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि, पीठ ने साफ किया कि जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि युद्धक भूमिका में महिला अधिकारियों की तैनाती नीतिगत मामला है और इस बारे में सक्षम प्राधिकारियों को विचार करना होगा। न्यायालय ने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति विकासपरक प्रक्रिया है और केन्द्र को उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप काम करना चाहिए था क्योंकि इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं थी। पीठ ने कहा कि उसकी राय में सैन्य बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में उनकी शारीरिक संरचना का कोई असर नहीं होगा और उन्हें अपने पुरूष सहयोगियों के बराबर ही समान अवसर प्रदान करना होगा।

न्यायालय ने कहा कि औपनिवेशिक शासन के 70 साल बीत जाने के बाद भी भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को समान अवसर देने के प्रति मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि शारीरिक संरचना की सीमा के बारे में केंद्र की दलील त्रुटिपूर्ण सोच पर आधारित है और उन्हें समान अवसरों से वंचित करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं हैं।

इस समय सेना में 1,653 महिला अधिकारी है जो सेना में कुल अधिकारियों का 3.89 फीसद है। शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला अधिकारियों ने देश का सम्मान बढ़ाया है और उन्हें सेना पदक समेत कई वीरता पदक मिल चुके हैं। न्यायालय ने कहा कि महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी भाग लिया है और पुरस्कार प्राप्त किए हैं, इसलिए सशस्त्र सेनाओं में उनके योगदान को शारीरिक संरचना के आधार पर कमतर आंकना गलत है।

मध्य प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं किया जाएगा : कमलनाथ

भोपाल, 17 फरवरी (भाषा)।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार शाम को कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) लागू नहीं करेगी। कमलनाथ ने विज्ञप्ति जारी कर कहा, 'मध्य प्रदेश में वह वर्तमान में एनपीआर लागू नहीं करने जा रहे।' उन्होंने कहा कि एनपीआर की जिस अधिसूचना की बात की जा रही है, वह 9 दिसंबर 2019 की है। इस अधिसूचना के बाद केंद्र की सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) बनाया, अर्थात जो एनपीआर अधिसूचित किया गया है, वह सीएए, 2019 के तहत नहीं किया गया है। कमलनाथ ने कहा कि अधिसूचना नागरिकता कानून -1955 की नियमावली-2003 के नियम 3 के तहत जारी की गई। भोपाल मध्य के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार दोपहर में धमकी दी थी कि यदि कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार एनपीआर लागू करने के अपने फैसले को वापस नहीं लेगी तो वह पूरे राज्य में अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।

ब्रिटिश सांसद को दिल्ली में हवाईअड्डे पर रोका गया

पेज 1 का बाकी

का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें (पहले ही) सूचना दे दी गई थी कि उनका ई-वीजा रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटिश सांसद को समुचित ढंग से सूचना दे दी गई थी कि उनका वीजा रद्द कर दिया गया है और इस बात की जानकारी होने के बावजूद वह दिल्ली आईं।

कश्मीर पर सर्वदलीय संसदीय समूह की अध्यक्ष एवं लेबर पार्टी की सांसद डेब्बी अब्राहम भारत की कश्मीर नीति की आलोचक रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि सोमवार सुबह वह दिल्ली पहुंचीं और उन्हें बताया गया कि उनका ई-वीजा रद्द कर दिया गया है, जो अक्तूबर 2020 तक वैध था। उनका कहना है कि वह भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने आ रही थीं। डेबी ब्रिटेन के सांसदों के उस समूह का हिस्सा हैं, जिसने जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने के बाद आधिकारिक पत्र लिखा था।

ब्रिटिश सांसद का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी एक रिश्तेदार को दी, जिन्होंने ब्रिटिश हाई कमिशन से संपर्क किया है और जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद इमिग्रेशन अधिकारी मेरे पास आए लेकिन वह यह नहीं बता पाए कि मेरा ई-वीजा क्यों रद्द कर दिया गया है। ब्रिटिश सांसद ने कहा कि वह अपने दस्तावेजों और ई-वीजा के साथ आव्रजन डेस्क के सामने पेश हुईं। उन्होंने कहा, '...अधिकारी ने अपने स्क्रीन पर देखा और अपना सिर हिलाने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा वीजा रद्द कर दिया गया है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया और करीब दस मिनट तक वह गायब हो गए। जब वह लौटे तो बड़े बदमिजाज और आक्रामक थे। उन्होंने मुझपर चिल्लाते हुए कहा, मेरे साथ आइए।' मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ इस तरह बात मत कीजिए। तब मुझे एक घिरे हुए क्षेत्र में ले गए, जिसका प्रत्यर्पी इकाई नाम दिया गया था। उन्होंने (अधिकारी ने) मुझे बैठने का आदेश दिया और मैंने मना कर दिया।'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहुल और प्रियंका ने सराहा

अदालत का फैसला राजग सरकार को करारा जवाब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने सेना की महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर कमीशन प्रदान करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को दावा किया कि राजग सरकार ने इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में जो दलील दी वह देश की हर महिला का अपमान है।

गांधी ने ट्वीट कर कहा-सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देकर हर महिला का अपमान किया है कि महिला सैन्य अधिकारी कमान मुख्यालय में नियुक्ति पाने या स्थायी सेवा की हकदार नहीं हैं क्योंकि वे पुरुषों के मुकाबले कमतर होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा सरकार को गलत साबित करने और खड़े होने के लिए भारत की महिलाओं को बधाई देता हूं।

दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नारी शक्ति का विरोध करने वाली राजग सरकार को करारा जवाब है।

प्रियंका ने ट्वीट कर कहा-सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने देश की महिलाओं की उड़ान को नए पंख दिए हैं। महिलाएँ सक्षम हैं - सेना में, शौर्य में और जल, थल, नभ में। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नारी शक्ति का विरोध करने वाली राजग सरकार को यह करारा जवाब है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह सेना की उन सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन प्रदान करे जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि महिलाओं को कमान मुख्यालय पर नियुक्ति दिए जाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें शारीरिक सीमाओं और सामाजिक चलन का हवाला देते हुए सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने की बात कही गई थी।

लुधियाना में दिनदहाड़े 30 किलो सोना ले उड़े लुटेरे

पेज 1 का बाकी

ताला लगा दिया और वे अपने साथ कार्यालय के अंदर लगे सीसीटीवी के डीवीआर को भी ले गए थे। लुटेरों के भागने के बाद प्रबंधक हरप्रीत सिंह ने अपने आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार आइआइएफएल कंपनी ने इस कार्यालय के बाहर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था। घटना के समय कार्यालय में प्रबंधक के अलावा पांच और कर्मचारी थे, लेकिन उस समय वहां कोई ग्राहक नहीं था। लुधियाना के पुलिस आयुक्त राकेश अग्रवाल ने बताया कि लुटेरों ने 20 मिनट में यह लूटपाट की और फरार हो गए। इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि लुटेरों के खिलाफ भादंसं की धारा 392, 342, 148,149 और शस्त्र अधिनियम की धारा 24 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

'सुप्रीम कोर्ट का सम्मान लेकिन सरकार करे बात'

पेज 1 का बाकी

ददिया ने कहा कि वह सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार के प्रतिनिधि जब चाहें शाहीन बाग धरनास्थल पर पहुंच सकते हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार से लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं, सलमा नामक एक अन्य महिला का कहना है कि सीएए कानून समाज को बांटने वाला है। भारत में सभी धर्म को समान अधिकार प्राप्त है। पर केंद्र सरकार ने वर्तमान में जो सीएए कानून बनाया है और आगामी दिनों में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरपी) लाने की तैयारी कर रही है, जो एक समुदाय विशेष के विरोध में हैं। उनका कहना है कि शाहीन बाग के अलावा भी देश के कई हिस्सों में एनआरसी, एनपीआर और सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है।

धार्मिक चढ़ावा हो सकता है नियंत्रित

पेज 1 का बाकी

नहीं होने के बाद भी उस धर्म की धार्मिक परंपराओं पर सवाल उठाते हुए जनहित याचिका दायर कर सकता है। ये सवाल सबरीमला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उठे हैं। संविधान पीठ धार्मिक मामलों में न्यायिक अधिकार के दायरे पर भी विचार कर रही है और उसने इस संबंध में मंदिरों में आने वाले चढ़ावे या दान देने की परपंरा का उदाहरण दिया और कहा कि यह धार्मिक परपंरा का हिस्सा है। पीठ ने साथ ही यह भी कहा, 'अगर इस धन का इस्तेमाल आतंकवाद या कैसीनो चलाने आदि के लिर होता है तो यह धर्म का पंथनिरपेक्ष हिस्सा है और इसे कानून के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है।' पीठ ने यह भी कहा कि किसी धार्मिक न्यास की 'दान, सफाई और स्वास्थ्य' से संबंधित गतिविधियों को भी कानून से नियंत्रित किया जा सकता है।केंद्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने बहस शुरू करते हुए कहा कि भले ही यह अनिवार्य धार्मिक परंपरा हो, इसे नियंत्रित किया जा सकता है अगर यह संविधान के अनुच्छेद 26 में प्रदत्त तीन आधारों (लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य) पर असर डालती हो। मानव बलि और सती प्रथाओं को गैरकानूनी करार दिए जाने के उदाहरण देते हुए पीठ ने कहा कि यही हमारे संविधान की विशिष्टता है।

पाक ने श्री कटासराज यात्रा के लिए दिया 200 तीर्थयात्रियों को वीजा

पेज 1 का बाकी

जाने की इजाजत दी है। 1974 के भारत-पाक समझौते के तहत हर वर्ष 200 हिंदू तीर्थयात्रियों को इस यात्रा की अनुमति है। इस यात्रा का आयोजन वर्ष में दो बार किया जा सकता है।श्रद्धालुओं की ओर से यह यात्रा बहाल करने का आग्रह किया जाता रहा है। करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के बाद आस जगी और अब पाकिस्तान ने वीजा जारी कर दिया। इस बार यात्रा में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, उत्तरप्रदेश, उतराखंड, गुजरात, छतीसगढ़, महाराष्ट्र, आंधप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि प्रांतों के तीर्थयात्री शामिल होंगे।

पांच जगहों पर सेना के तीनों अंगों की होगी एक कमान

पेज 1 का बाकी

थिएटर कमान का एक अलग प्रमुख होगा। थिएटर कमान के प्रमुख को सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के अधीन लाया जा सकता है। चीन ने हाल में पांच थिएटर कमान बनाई गई हैं।

सीडीएस जनरल रावत ने सैन्य सुधारों के बड़े एजंडे की घोषणा की। जनरल रावत ने कहा कि 114 लड़ाकू विमानों सहित बड़े सैन्य सौदों की क्रमबद्ध तरीके से खरीदारी की नई पहल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ चुनिंदा मीडियाकर्मियों से बातचीत में जनरल रावत ने बताया कि थिएटर कमान भविष्य की जरूरत है और यह दुश्मन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। मुख्य रूप से उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी थिएटर कमान बनाने की योजना है, लेकिन एक दिशा में एक से अधिक थिएटर कमान होंगे। इस बारे में जनरल रावत ने खुलासा नहीं किया। जनरल रावत ने कहा कि थिएटर कमान के पास तीनों सेनाओं की ताकत होगी और हर कमान का एक प्रमुख होगा। इनके गठन, संचालन व नियंत्रण आदि मुद्दों को अभी तय किया जाना है। उन्होंने तीन साल में इस प्रक्रिया के पूरी होने की उम्मीद जताई। हर थिएटर कमांड का एक मुख्यालय होगा। अभी सेना के सात, वायुसेना के छह और नौसेना के तीन कमान हैं। अंडमान निकोबार में एक ट्राई सर्विस कमान है। इसमें सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल हैं।

जनरल रावत ने कहा कि थिएटर कमान के अनुरूप ही एक संयुक्त वायु रक्षा (एअर डिफेंस) कमान भी बनेगा। अभी थल, नभ और नौसेना का वायु रक्षा का अपना-अपना तंत्र है। इसके अलावा संसाधनों की उपलब्धता, देखरेख और परिवहन आदि को लेकर एक लाजिस्टिक थिएटर कमान बनाया जाएगा। अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर अलग कमान के गठन का प्रस्ताव है।

सीडीएस ने कहा कि भारतीय नौसेना की पूर्वी और पश्चिमी कमानों का विलय कर बनने वाली प्रस्तावित 'प्रायलीपीय कमान' (पेनिनसुला कमान) 2021 के अंत तक आकार ले सकता है। उन्होंने कहा कि एक नौसैनिक कमांडर के तहत तीनों सेनाओं की कमान के पास वायु परिसंपत्तियां होंगी और उसे सेना का सहयोग भी मिलेगा। यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्रीय सुरक्षा चुनौती की पूरी जिम्मेदारी भी संभालेगा।

जनरल रावत ने कहा, 'हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा को एक कमांडर को देखना होगा और उसे जहाजों की आवाजाही समेत परिचालन संबंधी मामलों के लिए दिल्ली से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।' उन्होंने कहा कि प्रस्तावित वायु रक्षा कमान अगले साल के मध्य तक शुरू हो सकती है और भारतीय सेना तथा नौसेना की मिसाइलों जैसी कुछ वायु संपत्तियां इसका हिस्सा होंगी।

सीडीएस ने यह भी कहा कि सरकार की अमेरिका के तर्ज पर एक अलग प्रशिक्षण व सैद्धांतिक कमान बनाने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि वायु सेना उप प्रमुख के नेतृत्व में एक दल वायु रक्षा कमान स्थापित करने के लिए अध्ययन कर रहा है और उसे 31 मार्च तक अध्ययन पूरा करने के लिए कहा गया है। जनरल रावत ने कहा, 'इसके बाद अध्ययन को लागू करने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे।'

सेना में महिलाओं की स्थायी सेवा के खिलाफ थी कांग्रेस सरकार : मीनाक्षी लेखी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की ओर से राजग सरकार पर आरोप लगाया गया कि उसने कोर्ट में महिलाओं को पुरुषों से कमतर बताया। इसके जवाब में भाजपा की प्रवक्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 2010 में कांग्रेस सरकार ही सेना में महिलाओं की स्थायी सेवा के खिलाफ थी। हाईकोर्ट के महिलाओं के पक्ष में आए फैसले के खिलाफ कांग्रेस ही सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेखी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ही लगातार अदालतों में महिलाओं की स्थायी सेवा के खिलाफ शपथपत्र दायर करती रही है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और सभी जजों को इस फैसले के लिए धन्यवाद देती हूं।

www.readwhere.com

ओड़ीशा में सुरक्षाबलों ने माओवादी शिविर किया तबाह

मलकानगिरी (ओड़ीशा), 17 फरवरी (भाषा)।

ओड़ीशा के मलकानगिरी जिले में सुरक्षाबलों ने माओवादी शिविर को तबाह कर दिया।

मलकानगिरी के पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश डी खिलाड़ी ने बताया कि जिला वोलेंटरी फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडो ने शनिवार को अभियान चलाया, जिसके बाद मुदुलिपाड़ा में घने जंगल में मुठभेड़ हुई। बोंडापाडा-संबलपुल जंगल में करीब 30 माओवादियों की गतिविधि के बारे में गुप्त सूचना के बाद अभियान शुरू किया गया। माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। अंधेरे और दुर्गम क्षेत्र का फायदा उठाते हुए माओवादी भाग निकले।

सार्वजनिक सूचना – सम्पत्तियों की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटरों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल), भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी ऐक्ट, 2002 के प्रावधानों के अधीन प्राप्त किया जा चुका है। आर्सिल ने निम्नवर्णित वित्तीय आस्तियां बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से अधिग्रहीत कर ली हैं और प्रतिभूत लेनदार के अधिकार अर्जित कर लिए हैं। आस्तियां "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण और कार्यक्रम के अनुसार बेची जाएंगी :

क्र. सं.	ऋण खाता नंबर / बैंक का नाम	मूल कर्जदार / सह–कर्जदार / गारंटर का नाम	ट्रस्ट का नाम	सम्पत्ति का प्रकार / आकार / प्रकृति	कुल बकाया राशि भारतीय रुपए में	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) भारतीय रुपए में	सुरक्षित मूल्य (रु.) भारतीय रुपए में	निरीक्षण की तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय	कब्जा का प्रकार
1	एलबीएजीआर000 00350038आईसी आईसीआई बैंक	राजेंद्र कुमार / रानी कुमारी	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–ए ट्रस्ट	व्यक्तिगत रो हाउस भूमि क्षेत्र 1125 वर्ग फुट	44,41,123.03	86,000/-	8,60,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 सुबह 10:00 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : प्लाट नं 315, गोपाल पुरा, गढ़ी मदौरिया, आगरा, यूपी – 282001									
2	एलबीएजीआर000 00916127आईसी आईसीआई बैंक	करजाना बेगम / एहसान इलाही	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–एच ट्रस्ट	फ्लैट निर्मित क्षेत्र 85.88 वर्ग मीटर	4298104.70	1,46,500/-	14,65,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 सुबह 10:15 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : मकान नंबर 31, एलआईजी ग्राउंड फ्लोर पर खैतेना आवास योजना, जयपुर रोड, लोहामंडी, आगरा, यूपी – 282001									
3	एलबीएमएटी0000 1036067 आईसी आईसीआई बैंक	धर्म राज / चन्द्र वती	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–बी ट्रस्ट	व्यक्तिगत रो घर। क्षेत्र 84.02 वर्ग गज	1253545.03	42,000/-	4,20,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 सुबह 10:30 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : पार्ट ऑफ प्लाट नं 92, गिर्राज नगर, मौजा नवादा, मथुरा यूपी – 282001									
4	एलबीएमआरटी00 001350351आई सी आईसीआई बैंक	देवेंदर कुमार शर्मा / राज कुमारी शर्मा	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–ए ट्रस्ट	व्यक्तिगत रो घर क्षेत्रफल 223.86 वर्ग गज	14634778.26	3,80,000/-	38,00,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 सुबह 10:45 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : एच. नं 680, एफसी आई कॉलोनी, श्री नगर, हापुड़, जिला गाजियाबाद, यूपी – 200201									
5	एलबीजीएचजेड00 000794130 आई सीआईसीआई बैंक	शशि कुमार कालिया / शन्नी कालिया	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–ए ट्रस्ट	व्यक्तिगत रो घर भूमि क्षेत्र 450 वर्ग फुट का निर्माण क्षेत्र 505 वर्ग फुट।	40,29,731.34	82,000/-	8,20,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 सुबह 11:00 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : खसरा नं. 181/4, मारूफ मोहल्ला, ब्रज विहार कॉलोनी, वार्ड नं. 19, डुखलसि, मुरादनगर, परगना ज़लालाबाद, गाजियाबाद, यूपी – 228910									
6	एलबीएमआरटी00 001314629 आई सीआईसीआई बैंक	पंकज शर्मा / विमला शर्मा	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–बी ट्रस्ट	प्लॉट की माप 111.11 वर्ग गज।	3217540.09	1,01,500/-	10,15,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 सुबह 11:15 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : पार्ट ऑफ खसरा नं. 530/3, वकूटपुर माघि, मोदी नगर, पिनकोड 201204									
7	एलबीएनओडी000 01578203 आई सीआईसीआई बैंक	अनिल कुमार त्यागी / निशा त्यागी	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–एफ ट्रस्ट	डेवलपर फ्लैट 1028 वर्ग फुट।	1,50,55,034.82	3,50,000/-	35,00,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 सुबह 11:30 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : प्लाट नं. बी–108, सेकंड फ्लोर, जे.पी. इनक्लेव, मोहन नगर, गाजियाबाद–201010									
8	एलबीबीएआर000 00747558 आई सीआईसीआई बैंक	इंदेश कुमार यादव / पिंकी शर्मा	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–सी ट्रस्ट	व्यक्तिगत प्लॉट की माप 218.62 वर्ग गज	43,90,627.77	1,40,000/-	14,00,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 सुबह 11:45 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : फ्लैट नं. 74–बी, बाटिका सनसिटी, सनसिटी विस्तार, मिजुमला खसरा नंबर 886 बांके ग्राम पीटं बहोड़ा, परगना, तहसील और जिला बरेली, पिनकोड 243001									
9	एलबीबीएआर000 00691647 आई सीआईसीआई बैंक	राम प्रसाद कठेरिया / सुषमा कठेरिया	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–ए ट्रस्ट	व्यक्तिगत रो घर भूमि क्षेत्र 110.91 वर्ग गज। निर्माण क्षेत्र 77.23 वर्ग गज।	32,96,044.94	90,000/-	9,00,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 दोपहर 12:00 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : प्राइवेट प्लॉट नं 97–बी, मिजुमला खसरा का हिस्सा नंबर 278 और 297, मौजा दोहरा, सनराइज एन्क्लेव, यूनिवर्सिटी के पीछे, बरेली, पिनकोड 243001									
10	एलबीबीएआर000 00798512 आई सीआईसीआई बैंक	राम प्रशाद / सुषमा देवी	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–ए ट्रस्ट	व्यक्तिगत रो घर भूमि क्षेत्र 69.59 वर्ग गज। निर्माण क्षेत्र 54.96 वर्ग गज।	32,61,647.85	60,000/-	6,00,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 दोपहर 12:15 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : प्राइवेट प्लॉट नं 97–बी, मिजुमला खसरा का हिस्सा नंबर 278 और 297, सनराइज एन्क्लेव, परगना और जिला बरेली, पिनकोड 243001									
11	एलबीबीएआर000 00528856 आई सीआईसीआई बैंक	अख्तर हुसैन / मुमताज़	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–ए ट्रस्ट	व्यक्तिगत रो घर भूमि क्षेत्र 900 वर्ग फीट। निर्माण क्षेत्र 800 वर्ग फीट।	54,88,304.09	1,15,000/-	11,50,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 दोपहर 12:30 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : प्लॉट नं 40, मिजुमला नंबर 126 एम और 127, बांके ग्राम रहपुरा चौधरी, लिंकर एन्क्लेव, परगना और जिला बरेली, पिनकोड 243001									
12	एलबीबीएआर000 00350878 आई सीआईसीआई बैंक	मुकुट बिहारी सिन्हा / वंदना सिन्हा	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–ए ट्रस्ट	व्यक्तिगत रो घर में जी+2 भूमि क्षेत्रफल 44.12 वर्गमीटर। निर्माण क्षेत्र 11.30 वर्गमीटर।	19,96,303.84	47,000/-	4,70,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 दोपहर 12:45 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : खसरा नंबर 330, प्लॉट नं 330, सिध्दार्थ नगर, विलेज सुर्खा छावनी, हार्टमैन कॉलेज बरेली, पिनकोड 243001									
13	एचएल0094 / जी एजीए00000008 मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि.	मुकेश कुमार अग्रवाल / गुंजन अग्रवाल	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 044–ए ट्रस्ट	डेवलपर फ्लैट क्षेत्रफल 1625 वर्ग फीट।	48,90,504.34	2,84,000/-	28,40,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 दोपहर 2:00 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : फ्लैट नं 3, दूसरी मंजिल, ब्लॉक–4, राज कमल अपार्टमेंट, फतेहाबाद रोड, आगरा, यूपी पिनकोड 282004									
14	एचएल0031 / जी डीजीएल000120 20 मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि.	रविन्दर नौटियाल / पूनम नौटियाल	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 044–ए ट्रस्ट	डेवलपर फ्लैट क्षेत्रफल 742 वर्ग फीट।	97,51,111.05	3,50,000/-	35,00,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 दोपहर 2:15 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : फ्लैट नं 5/738, जीएफ, फ्रंट पोर्टियन, सेक्टर –5, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 201010									
15	एचएल0031 / जी डीजीएल000001 82 मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि.	खेम चंद / सुनील मित्तल	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 044–ए ट्रस्ट	डेवलपर फ्लैट सुपर क्षेत्रफल 2035 वर्ग फीट।	76,05,964.47	3,90,000/-	39,00,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 दोपहर 2:30 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : फ्लैट नं 703, प्लॉट नं 2, अहिंसा खंड –2, विजय अपार्टमेंट, अरिहंत रेजिडेंसी, इंद्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 201301									
16	10592504871 भारतीय स्टेट बैंक	जीतेन्द्र बू गुप्ता / पुष्पा गुप्ता	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 036–ए ट्रस्ट	व्यक्तिगत रो प्लॉट पर घर में 100 वर्ग मीटर की जगह।	21,25,644.66	1,90,000/-	19,00,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 दोपहर 2:45 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : 279, जगतपुर, पुराना शहर, कुसुम कुमारी इंटर कॉलेज के पास, तहसील और जिला बरेली, खसरा नंबर 245–258, बांके शेरपुर, मेहदुरा जेल, बांके मोहल्ला कुखरापुरा, जगतपुर, बीजापुर बरेली पिनकोड 243001									
17	एसएलपीएचएजीआर0000055 श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लि.	पूरन देवी / पुरूषोत्तम सिंह	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 045–ए ट्रस्ट	82.77 वर्ग मीटर के भूखंड पर व्यक्तिगत रो का घर।	18,39,735.80	1,42,000/-	14,20,000/-	03 मार्च 2020	20 मार्च 2020 दोपहर 3:00 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : खसरा नंबर 462, मित्रपुरम कॉलोनी, केशराई मोड़ शमसाबाद रोड, ताजगंज वार्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश, पिनकोड 282001 में प्लॉट पर स्थित घर।									
18	121696 सिटी बैंक	संजय साहु / रूबी साहु	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 048–ए ट्रस्ट	ग्रुप हाउसिंग फ्लैट, कारपेट क्षेत्र 3896 वर्ग फुट, निर्मित क्षेत्र 2580 वर्ग फीट	37648866.93	7,20,000/-	72,00,000/-	29 फरवरी 2020	06 मार्च 2020 दोपहर 12:30 बजे	मौतिक
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : फ्लैट नं 1बी, पहली मंजिल, किंग्स रिजर्व, सेक्टर–गामा–II, ग्रेटर नोएडा, यूपी-201308 **ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स** : उपरोक्त सम्पत्ति पर बिल्डर ड्यूज रु 35 लाख, सफल बोलीदाता के द्वारा वहन की जाएगी।									
19	एलबीएनओडी000 00726692/ आई सीआईसीआई बैंक लिमिटेड	रितीक बोरा / नीलाक्षी बोरा	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 001–डी ट्रस्ट	भूमि: एन.ए. वर्ग फीट निर्मित / फ्लैट : 882.4 वर्ग फीट (लीजहोल्ड)	72,95,740.96	3,00,000/-	30,00,000/-	28 फरवरी 2020	06 मार्च 2020 सुबह 11:00 बजे	धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : फ्लैट नं एएसएच–34 / 09 (विंडसर), दूसरी मंजिल, शिप्रा सनसिटी वैभव खंड, इंद्रापुरम गाजियाबाद, पिनकोड 201010									
20	19800000005/ दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	गजेंदर शर्मा / हरीश शर्मा / राम निवास शर्मा / सीमा शर्मा	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 047–ए ट्रस्ट	भूमि: 2011 वर्ग फीट निर्मित / फ्लैट : 3451 वर्ग फीट	2,12,85,261.43	9,70,000/-	97,00,000/-	26 फरवरी 2020	06 मार्च 2020 सुबह 11:30 बजे	मौतिक
	प्रतिभूत सम्पत्ति पता : हाउस नं एसजी 67 / 8, सेक्टर 16, जीएमपी शास्त्री नगर, निकट पानी की टंकी और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, गाजियाबाद पिनकोड 201001									

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

1	नीलामी तिथि	यहां ऊपर वर्णित अनुसार	5	ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटा पहले
2	बोली जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान	द्वितीय तल, रोही सेन्टर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्डरी स्कूल, एमजीआर लैण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060	6	ईएमडी सहित सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए जाने हैं	नई दिल्ली
3	नीलामी हेतु वेबसाइट	www.arcil.co.in	7	नाम जिसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट आहरित किया जाना है	नाम प्रत्येक सम्पत्ति के सामने ट्रस्ट कालम में दर्शाया गया है
4	सम्पर्क व्यक्ति तथा फोन नंबर	विक्रम सिंह / महामाया चौधरी / कमल मिश्रा 8860122299 / 9654997601 / 9819820760	8	निरीक्षण का समय	पूर्व 10.00 बजे से अप 5.00 बजे तक

बोलीदाता, उपरिवर्णित वेबसाइट पते पर ऑफर / निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके, अपनी पसंद के अनुसार, नीलामी में ऑनलाइन प्रतिभागिता की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन बिडिंग उपरिवर्णित संस्थान की वेबसाइट पर सम्पन्न होगी तथा निविदा दस्तावेज में दिए गए नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के नियम एवं शर्तें हमारी वेबसाइट www.arcil.co.in से डाउनलोड की जा सकती हैं अथवा आर्सिल के उपरिवर्णित शाखा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। कृपया नोट करें कि यह बिक्री बिड दस्तावेज में वर्णित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। बिक्री पूर्णतया इस विज्ञापन तथा बिड / निविदा दस्तावेज में सम्मिलित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। प्राधिकृत अधिकारी का बिना कोई कारण बताए किसी भी / सभी बिड़ स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 तथा 9 के तहत सूचना भी मानी जाएगी।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18–02–2020

हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

Arcil Premier ARC

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, सीआईएन : U65999MH2002PLC134884,
पंजीकृत कार्यालय : दि लॉबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई–400028. फोन : + 91 22 66581300
शाखा पता : द्वितीय तल, रोही सेन्टर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्डरी स्कूल, एमजीआर लैण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060. फोन : 011–45370444 www.arcil.co.in

---

आन्द्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
लाजपत नगर शाखा
आई–93, सेन्ट्रल मार्केट, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली–110002
टेली नं. 011–29820422/2982042

कब्जा सूचना

{प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1)}
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 05.11.2020 जारी कर ऋणधारक मै. एस एस मैन्युफैक्चरिंग को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 3,06,32,481.15(रुपये तीन करोड़ छः लाख बत्तीस हजार चार सौ इक्यासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 15 फरवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित्त प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारकों पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपति का विवरण

डुप्लेक्स फ्लैट 6517 भू तल तथा प्रथम तल कैटगरी एसएफएस कैटगरी III, पॉकेट 6 तथा 7, सेक्टर सी, बसंत कुंज, नई दिल्ली में स्थित भूमि एवं भवन–आवासीय माप लगभग 1150 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दी: पूर्वः रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 6516, उत्तरः रोड, दक्षिणः फ्लैट नं. 6520

तिथिः 15.02.2020
स्थानः नई दिल्ली

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
आन्ध्रा बैंक

Karur Vysya Bank Smart way to bank

मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल,
सामने मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड,
करोलबाग, नई दिल्ली–110005
फोनः 011–28758374/ 2875375/ 76/ 77,
ई–मेलः delhido@kvbmail.com,
bhaskaranps@kvbmail.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर द करूर वैस्य बैंक लि. के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका द करूर वैस्य बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की 1) मै. सेवॉय कंसेप्ट्स, श्रीमती संजीवा गुगलानी, श्रीमती श्रुति गुगलानी तथा श्री सुशांत गुगलानी का एक भागीदारी फर्म जिसके व्यवसाय का स्थान 576 आर, मॉडल टाउन, पानीपत–132102 में है, 2) श्रीमती संजीवा गुगलानी, पत्नी श्री सतीश गुगलानी, 3) श्रीमती श्रुति गुगलानी ऊर्फ श्रुति भाटिया, पत्नी श्री साहिल गुगलानी; 4) श्री सुशांत गुगलानी, पुत्र श्री सतीश गुगलानी; 5) श्री साहिल गुगलानी, पुत्र श्री सतीश कुमार गुगलानी; 6) श्री सतीश कुमार गुगलानी, पुत्र श्री भगवान दास (नं. 2 से 6: निवासीः मकान सं. 576 (आर), मॉडल टाउन, पानीपत–132103; 7) श्री अशोक भाटिया, पुत्र श्री के.एल. भाटिया; 8) श्रीमती रमा भाटिया, पत्नी श्री अशोक भाटिया (दोनों 7 एवं 8 निवासीः एच. नं. 399 आर, मॉडल टाउन, पानीपत–132103); 9) श्री रमेश कुमार बजाज, पुत्र श्री देव राज बजाज, निवासीः एच. नं. 624, राम शरणम आश्रम, मॉडल टाउन पानीपत से करूर वैस्य बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 3,01,13,008.22 (रुपये तीन करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ तथा पैसे बाईस मात्र) की वसूली के लिये 13.3.2020 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। मद सं. 1 के लिये आरक्षित मूल्य रु. 15700000.00 (रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख मात्र) तथा क्रम सं. 2 के लिये रु. 34,00,000/– (रुपये चौंतीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान क्रम सं. 1 के लिये रु. 15,70,000/– (रुपये पन्द्रह लाख सत्तर हजार मात्र) तथा क्रम सं. 2 के लिये रु. 3,40,000/– (रुपये तीन लाख चालिस हजार मात्र) है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मद सं. 1: पट्टी राजपूतन, आबादी शास्त्री कॉलोनी, पानीपत में स्थित खेवत नं. 3393 में शामिल इंडस्ट्रियल भूमि तथा भवन, माप लगभग 1000 वर्ग यार्ड्स तथा चौहद्दी:
उत्तरः रोड, दक्षिणः कुमार रेडियो, पूर्वः गुरुनानक हैंडलूम की सम्पत्ति, पश्चिमः श्मशान भूमि।
मद सं. 2: टीडीआई सिटी, पानीपत, हरियाणा में स्थित आवासीय प्लॉट नं. 83, ब्लॉक–सी, माप लगभग 260.22 वर्ग यार्ड्स तथा चौहद्दी:
पूर्वः प्लॉट नं. 84 पश्चिमः प्लॉट नं. 82
उत्तरः रोड, दक्षिणः अन्य भूमि।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हमारे बैंक/ प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात www.kvb.co.in/ Property Under Auction में दी गई लिंक तथा साथ ही सेवा प्रदाता, मै. श्रीराम ऑटोमाल इंडिया लि. का वेब पोर्टल https://eauctions.samil.in देखें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि ई–नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/ बिक्री की जायेगी तथा शेष देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी।

तिथिः 17.2.2020
स्थानः पानीपत

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड

प्रपत्र – 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	रियोम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	22.02.2007
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, एनसीटी ऑफ दिल्ली एण्ड हरियाणा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45200DL2007PLC159842
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	डी – 19 / 1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस – II, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली – 110020 भारत
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	19.07.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	18.02.2020 माननीय एनसीएलटी, दिल्ली ने क्रम में विलंब के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता के आवेदन की अनुमति दी है।
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता	समाधान आवेदक की पात्रता मानदंडों के अनुसार कड़ाई से अनुरूप होना चाहिए, जैसा कि लेनदारों की समिति द्वारा स्वीकृत विस्तृत अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण में वर्णित है। यह उपलब्ध है: **808, इरोज अपार्टमेंट, 56 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली –110019, भारत** या इसकी सॉफ्ट कॉपी **ip.reominc@gmail.com** पर औपचारिक अनुरोध भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29क के अधीन लागू अयोग्यता के मानदंड	धारा संकल्प आवेदक इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 29 ए के अनुसार अयोग्य नहीं होना चाहिए।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	04.03.2020
11.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	07.03.2020
12.	अंतिम सूची के पूर्व में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	12.03.2020
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	21.03.2020
14.	समाधान समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	12.03.2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की तिथि	संहिता की धारा 29 (2) के अनुसार आवश्यक पात्रता प्राप्त होने पर, माननीय दिवाला और ऋणशोध बोर्ड के विनियमन 36 ए (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया 2016) के एस–विनियमन 7(सी) के साथ पढ़ें। समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन, डाटा रूम तक पहुंच या दस्तावेज / जानकारी साझा करने के लिए औपचारिक तौर पर अनुरोध **ip.reominc@gmail.com** पर भेजा जा सकता है।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	11.04.2020
17.	समाधान प्रोफेशनल की समाधान योजना सौंपने की तिथि	सभी सहायक सूचनाओं दस्तावेजों और विभिन्न प्रपत्र / शपथ पत्रों / प्राधिकरणों के साथ सफल योजना निम्नलिखित पते पर रिजोल्यूशन प्रोफेश

NIIT TECHNOLOGIES LIMITED

NIIT technologies
Engage With The Emerging

CIN: L65993DL1992PLC048753
Registered Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi, Delhi, 110019
Phone: +91 11 41029297; **Fax:** +91 11 2 6414900; **Website:** www.niit-tech.com; **E-mail:** investors@niit-tech.com
Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Lalit Kumar Sharma

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF NIIT TECHNOLOGIES LIMITED FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED

This public announcement ("Public Announcement") is being made pursuant to the provisions of Regulation 7(i) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations"), and contains the disclosures as specified in Schedule II of the Buyback Regulations.

OFFER TO BUY BACK UP TO 19,56,290 (NINETEEN LAKHS FIFTY SIX THOUSAND TWO HUNDRED NINETY ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF NIIT TECHNOLOGIES LIMITED OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") AT A PRICE OF RS. 1,725/- (RUPEES ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY FIVE ONLY) PER EQUITY SHARE PAYABLE IN CASH ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE TENDER OFFER METHOD.

Certain figures contained in this Public Announcement, including financial information, have been subject to rounding-off adjustments. All decimals have been rounded off to two decimal points. In certain instances, (i) the sum or percentage change of such numbers may not conform exactly to the total figure given; and (ii) the sum of the numbers in a column or row in certain tables may not conform exactly to the total figure given for that column or row.

1. Details of the Buyback Offer and Offer Price

1.1 The board of directors of NIIT Technologies Limited (**"Company"**) (the board of directors of the Company hereinafter referred to as the **"Board"** or **"Board of Directors"** which expression shall include any committee constituted and authorised by the Board to exercise its powers), at its meeting held on December 23, 2019 (**"Board Meeting"**) has, subject to the approval of the shareholders by way of a special resolution through a postal ballot, pursuant to the provisions of Article 126 of the Articles of Association of the Company, Sections 68, 69 and 70 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended (**"Companies Act"**), the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 to the extent applicable, and in compliance with the Buyback Regulations and approvals of statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws, approved the buyback of up to 19,56,290 (Nineteen Lakh Fifty Six Thousand Two Hundred and Ninety) Equity Shares representing up to 3.13% of total issued and paid-up Equity Share capital of the Company at a price of Rs. 1,725/- (Rupees One Thousand Seven Hundred and Twenty Five only) per Equity Share (**"Buyback Offer Price"**), payable in cash, aggregating to INR 3,37,46,00,250/- (Rupees Three Hundred Thirty Seven Crores Forty Six Lakhs and Two Hundred Fifty only) (**"Buyback Offer Size"**), which represents 20.23% and 15.66% of the aggregate paid-up share capital and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company respectively, for the financial year ended March 31, 2019, excluding the transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc. from the existing shareholders / beneficial owners of Equity Shares of the Company, on a proportionate basis, through the "tender offer" route as prescribed under the Buyback Regulations, from all of the shareholders of the Company who hold Equity Shares as of the Record Date *(as defined below)* (**"Buyback"**)

1.2 The shareholders of the Company have approved the Buyback by way of a special resolution, through postal ballot pursuant to the postal ballot notice, results of which were declared on February 15, 2020.

1.3 The Buyback is further subject to approvals as may be necessary, from time to time from statutory, regulatory or governmental authorities as required under applicable laws including but not limited to Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) and the stock exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. the BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) (collectively, **"Stock Exchanges"**).

1.4 In addition to the regulations/statutes referred to in paragraph 1.1 above, the Buyback is also in accordance with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to the extent applicable and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, to the extent applicable. The Buyback shall be undertaken on a proportionate basis from the equity shareholders of the Company as on March 12, 2020 (**"Record Date"** and such shareholders, the **"Eligible Shareholders"**) through the tender offer process prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buyback Regulations. Additionally, the Buyback shall be subject to applicable laws, implemented by tendering of Equity Shares by Eligible Shareholders and settlement of the same through the stock exchange mechanism as specified by SEBI in its circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circular bearing reference number CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as amended from time to time (**"SEBI Circulars"**). In this regard, the Company will request BSE to provide the acquisition window for facilitating tendering of Equity Shares under the Buyback. For the purposes of this Buyback, BSE will be the designated stock exchange.

1.5 Participation in the Buyback by the Eligible Shareholders may trigger capital gains taxation in India and their country of residence. The transaction of Buyback would also be chargeable to securities transaction tax in India. In due course, Eligible Shareholders will receive a Letter of Offer *(as defined below)*, which will contain a more detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, the Eligible Shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors prior to participating in the Buyback.

1.6 A copy of this Public Announcement is available on the website of the Company at www.niit-tech.com and is expected to be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in during the period of Buyback and on the website of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

2. Objective/ Necessity of the Buyback

2.1. The Company has accumulated free reserves and satisfactory liquidity as represented by its bank balances and marketable securities. The future generation of cash along with borrowings, if any, will support the resources required for investments and other operational requirements of the Company in the coming years. The Buyback provides an opportunity to the Company to return excess cash to the Eligible Shareholders and to enhance overall shareholders' value. The Board at its meeting held on December 23, 2019, considered the accumulated free reserves as well as the cash liquidity reflected in the audited financial statements for the financial year ending March 31, 2019 and as such, the Board decided to allocate a sum of INR 3,37,46,00,250/- (Rupees Three Hundred Thirty Seven Crores Forty Six Lakhs and Two Hundred Fifty only) for distribution to the Eligible Shareholders through the Buyback.

2.2. After considering several factors and benefits to the Eligible Shareholders, the Board decided to recommend the Buyback of up to 19,56,290 (Nineteen Lakhs Fifty Six Thousand Two Hundred Ninety Only) Equity Shares (representing 3.13% of the total number of Equity Shares) at a price of Rs. 1,725/- (Rupees One Thousand Seven Hundred and Twenty Five only) per Equity Share for an aggregate consideration not exceeding INR 3,37,46,00,250/- (Rupees Three Hundred Thirty Seven Crores Forty Six Lakhs and Two Hundred Fifty only). Through the Buyback, the Company intends to return surplus funds to the Eligible Shareholders, which are over and above its ordinary capital requirements and in excess of any current investment plans, in an expedient, efficient and cost effective manner. Additionally, the Company's management strives to increase shareholders' value and the Buyback would inter-alia result in:

2.2.1. Improving the return on equity, by reduction in the equity base, thereby leading to long term increase in shareholders' value;

2.2.2. Helping the Company to distribute surplus cash to its Eligible Shareholders, broadly in proportion to their shareholding, thereby, enhancing the overall return to the Eligible Shareholders;

2.2.3. Provides an option to the Eligible Shareholders to either (i) participate and receive cash payments in lieu of Equity Shares to be accepted under the Buyback, or (ii) not participate and enjoy a resultant increase in their percentage shareholding in the Company, after the Buyback, without any additional investment.

2.2.4. The Buyback, which is being implemented through the tender offer method as prescribed under the Buyback Regulations and SEBI Circulars, would involve an allocation of 15% of the Equity Shares that the Company proposes to Buyback to Small Shareholders *(as defined below)*.

3. Maximum amount required for Buyback and its percentage of the total paid-up capital and free reserves and sources of funds from which the Buyback would be financed.

3.1. The maximum amount required for Buyback will not exceed INR 3,37,46,00,250/- (Rupees Three Hundred Thirty Seven Crores Forty Six Lakhs and Two Hundred Fifty only) excluding the transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc. which represents 20.23% and 15.66% of the aggregate paid-up share capital and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company respectively, for the financial year ended March 31, 2019, which is within the prescribed limit of 25%.

3.2. The funds for the implementation of Buyback will be sourced out of the free reserves and/or such other sources as may be permitted by the Buyback Regulations or the Act. The funds used will not exceed 25% of the paid-up share capital and free reserves of the Company on a standalone and consolidated basis as on March 31, 2019. The Company shall transfer from its free reserves, a sum equal to the nominal value of the Equity Shares so bought back to the capital redemption reserve account, and details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statements. The funds borrowed, if any, from banks and financial institutions will not be used for the Buyback.

4. Maximum price and the maximum number of securities that the Company proposes to Buyback and basis of arriving at the Buyback Offer Price

4.1. The Company proposes to buyback up to 19,56,290 (Nineteen Lakhs Fifty Six Thousand Two Hundred Ninety Only) Equity Shares representing up to 3.13% of the total issued and paid-up Equity Share capital of the Company.

4.2. The Equity Shares of the Company are proposed to be bought back at the Buyback Offer Price of Rs. 1,725/- (Rupees One Thousand Seven Hundred and Twenty Five only) per Equity Share. The Buyback Offer Price has been arrived at after considering various factors including, but not limited to the trends in the volume weighted average prices of the Equity Shares on the Stock Exchanges, the net worth of the Company, price earnings ratio and impact on other financial parameters and the possible impact of Buyback on the earnings per share.

4.3. The Buyback Offer Price represents;

(i) premium of 17.11% and 17.08% over the closing price of the Equity Shares on the BSE and NSE, respectively, as on December 16, 2019 (**"Intimation Date"**), being the date on which Company intimated the Stock Exchanges of its intention to consider the proposal for buyback of shares at the Board Meeting held on December 23, 2019; and

(ii) premium of 18.13% and 18.39% over the volume weighted average market price of the Equity Shares on BSE and on NSE, respectively, during the three months preceding the Intimation Date.

5. Method adopted for Buyback

The Equity Shares will be bought back on a proportionate basis from all the Eligible Shareholders through the "tender offer" method, as prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buyback Regulations, and, subject to applicable laws, facilitated through the stock exchange mechanism as specified under the "Mechanism for acquisition of share through Stock Exchanges" prescribed under the SEBI Circulars. Please refer to Paragraph 10 below for details regarding the Record Date and shareholders entitlement for tender in the Buyback.

6. Details of the Shareholding and Intention of the Promoter to Participate in the Buyback

6.1. The aggregate shareholding of the promoter of the Company, the directors of the promoter of the Company and directors and key managerial personnel of the Company as on the date of the Postal Ballot Notice (i.e. December 23, 2019) was as follows:

	Particulars	Aggregate Shareholding (No. of shares)	Percentage of the paid-up share capital
1	**Promoter**		
	Hulst B.V. (**"Promoter"**)	4,38,07,297	70.12%
2.	Directors of the Promoter	Nil	Nil
3.	Directors & Key Managerial Personnel of the Company		
	Director		
a.	Mr. Basab Pradhan – Chairman and Independent Director	3,000	0.00%
b.	Mr. Hari Gopalakrishnan – Non-Executive Director	Nil	Nil
c.	Mr. Patrick John Cordes - Non-Executive Director	Nil	Nil
d.	Mr. Kenneth Tuck Keun Cheong - Non-Executive Director	Nil	Nil
e.	Mr. Kirti Ram Hariharan - Non-Executive Director	Nil	Nil
f.	Mr. Ashwani Kumar Puri – Independent Director	Nil	Nil
g.	Ms. Holly Jane Morris – Independent Director	Nil	Nil
h.	Mr. Sudhir Singh – Chief Executive Officer / Executive Director[1]	63,651	0.10%
	Key Managerial Personnel		
a.	Mr. Ajay Kalra – Chief Financial Officer	Nil	Nil
b.	Mr. Lalit Kumar Sharma (Company Secretary and Legal Counsel)	Nil	Nil

(1) Note: Mr. Sudhir Singh, Chief Executive Officer of the Company has also been appointed as Executive Director of the Company w.e.f. January 29, 2020 subject to approval of the Shareholders and other necessary approvals

6.2. The aggregate number of Equity Shares purchased or sold by person mentioned in Paragraph 6.1 above for a period of 6 months preceding the date of the meeting of the Board of Directors at which the Buyback was approved till the date of the postal ballot notice and the maximum and minimum price for such purchases and sales is as below:

Promoters:

Nature of Transaction	Aggregate Number of Equity Shares	Maximum Price per share (in INR)	Date of Maximum Price	Minimum Price per share (in INR)	Date of Minimum Price	Face Value (in INR)
Hulst B.V.						
Purchase	2,30,81,221	1,394.00	August 9, 2019	1,251.34	August 8, 2019	10

Further, the Promoter has acquired 4,38,07,297 Equity Shares from May 10, 2019 till the date of the Postal ballot Notice. Please refer Paragraph 6.3 below for the transaction details, including price.

Directors of Promoter:

Nil

Directors and Key Managerial Personnel of the Company:

Nature of Transaction	Aggregate Number of Equity Shares	Maximum Price per share (in INR)	Date of Maximum Price	Minimum Price per share (in INR)	Date of Minimum Price	Face Value (in INR)
Mr. Basab Pradhan (Chairman)						
Open market purchase	3,000	1,297.07	August 16, 2019	1,297.07	August 16, 2019	10
Mr. Sudhir Singh (Chief Executive Officer / Executive Director)						
Sale in the open offer	72,349	1,394.00	August 9, 2019	1,394.00	August 9, 2019	10
Acquisition of shares pursuant to exercise of ESOP	58,000	10.00	December 17, 2019	10.00	December 17, 2019	10

6.3. In terms of the Buyback Regulations, under the tender offer route, the promoter has the option to participate in the Buyback. In this regard, the Promoter has expressed its intention vide its letter dated December 24, 2019 to participate in the Buyback and offer up to an aggregate of 19,56,290 (Nineteen Lakhs Fifty Six Thousand Two Hundred and Ninety) Equity Shares or such lower number of Equity Shares in accordance with the Buyback Regulations.

Details of the date and price of acquisition of the Equity Shares that Promoter intends to tender are set out below:

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Price per share	Face Value (Amt. in INR)
May 10, 2019	On Market Purchase	4,63,219	1,239.91	10
May 13, 2019	On Market Purchase	1,28,000	1,250.11	10
May 14, 2019	On Market Purchase	50,000	1,251.81	10
May 15, 2019	On Market Purchase	63,000	1,260.82	10
May 17, 2019	Off – Market Purchase from erstwhile promoters	1,88,48,118	1,394.00	10
May 20, 2019	On Market Purchase	23,879	1,272.00	10
May 21, 2019	On Market Purchase	1,23,113	1,285.25	10
May 22, 2019	On Market Purchase	98,100	1,279.84	10
May 23, 2019	On Market Purchase	46,000	1,286.60	10
May 24, 2019	On Market Purchase	1,60,000	1,267.23	10
May 27, 2019	On Market Purchase	65,000	1,275.29	10
May 28, 2019	On Market Purchase	1,70,168	1,270.31	10
May 29, 2019	On Market Purchase	1,85,000	1,286.89	10
May 30, 2019	On Market Purchase	27,490	1,294.95	10
June 6, 2019	On Market Purchase	6,559	1,298.92	10
June 19, 2019	On Market Purchase	20,808	1301.16	10
June 20, 2019	On Market Purchase	33,190	1,303.94	10
June 21, 2019	On Market Purchase	2,14,432	1,307.44	10
June 24, 2019	On Market Purchase	1,35,729	1,316.60	10
June 25, 2019	On Market Purchase	75,949	1,320.63	10
June 26, 2019	On Market Purchase	34,924	1,330.20	10
June 27, 2019	On Market Purchase	2,80,834	1,332.76	10
June 28, 2019	On Market Purchase	3,32,591	1,341.31	10
August 8, 2019	On Market Purchase	1,28,319	1,251.34	10
August 9, 2019	On Market Purchase	1,59,000	1,291.21	10
August 9, 2019	Acquisition under Open Offer	2,18,46,963	1,394.00	10
September 27, 2019	On Market Purchase	41,749	1,391.28	10
September 30, 2019	On Market Purchase	45,163	1,392.51	10
Total no. of shares as on the date hereof		**4,38,07,297**	**-**	**10**

6.4. The Buyback will not result in any benefit to the Promoter or any directors of the Company except to the extent of the cash consideration received by them from the Company, pursuant to the respective participation in the Buyback in their capacity as Equity Shareholders of the Company, and the change in their shareholding as per the response received in the Buyback, as a result of the extinguishment of Equity Shares which will lead to reduction in the Equity Share capital of the Company post the Buyback.

7. Confirmations from the Company as per the provisions of the Buyback Regulations and the Companies Act

7.1. All the Equity Shares for Buyback are fully paid-up;

7.2. The Company, as per provisions of Section 68(8) of the Companies Act, shall not make further issue of the same kind of Equity Shares within a period of 6 (six) months after the completion of the Buyback except by way of bonus shares or Equity Shares issued to discharge subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into Equity Shares;

7.3. The Company shall not raise further capital for a period of 1 (one) year from the closure of the Buyback, except in discharge of subsisting obligations;

7.4. The Company shall not issue and allot any Equity Shares or other specified securities including by way of bonus till the date of expiry of Buyback period;

7.5. The Company shall not buy back locked-in Equity Shares and non-transferable Equity Shares till the pendency of the lock-in or till the Equity Shares become transferable;

7.6. The Company shall not buy back its Equity Shares from any person through negotiated deal whether on or off the Stock Exchanges or through spot transactions or through any private arrangement in the implementation of the Buyback;

7.7. There are no defaults subsisting in the repayment of deposits, redemption of debentures or preference shares or repayment of any term loans to any financial institution or banks;

7.8. That the Company has been in compliance with Sections 92, 123, 127 and 129 of the Companies Act;

7.9. That funds borrowed from banks and financial institutions will not be used for the Buyback;

7.10. The aggregate amount of the Buyback i.e. INR 337,46,00,250/- does not exceed 25% of the total paid-up share capital and free reserves of the Company as on March 31, 2019 on a standalone and consolidated basis;

7.11. The maximum number of Equity Shares proposed to be purchased under the Buyback (up to 19,56,290 Equity Shares), does not exceed 25% of the paid-up Equity Share capital as per the audited standalone balance sheet as on March 31, 2019;

7.12. The Company shall not make any offer of buyback within a period of 1 (one) year reckoned from the date of closure of the Buyback period and the Company has not undertaken a buyback of any of its securities during the period of 1 (one) year immediately preceding the date of the Board Meeting;

7.13. There is no pendency of any scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to the provisions of the Companies Act, as on date;

7.14. The ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid-up share capital and free reserves after the Buyback;

7.15. The Company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Companies Act, interest payment thereon, redemption of debentures or preference shares or payment of dividend to any Shareholder, or repayment of any term loan or interest payable thereon to any financial institution or banking company;

7.16. The Buyback shall be completed within a period of 1 (one) year from the date of passing of special resolution by way of postal ballot; the Company shall not withdraw the Buyback offer after the draft letter of offer is filed with the SEBI, except where any event or restriction may render Company unable to effect the Buyback;

7.17. The Company is not undertaking the Buyback to delist its Equity Shares or any other specified securities from the Stock Exchanges; and

7.18. Consideration for the Equity Shares bought back by the Company will be paid only by way of cash.

8. Confirmation from the Board of Directors

The Board has confirmed that it has made a full enquiry into the affairs and prospects of the Company and that it has formed the opinion:

(a) that immediately following the date of the board meeting, being December 23, 2019, and the date on which the results of the postal ballot approving the proposed Buyback will be declared (**"Postal Ballot Resolution"**), there will be no grounds on which the Company could be found to be unable to pay its debts;

(b) as regards to the Company's prospects for the year immediately following the date mentioned in (a) above, that having regards to the Board of Directors' intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board of Directors' view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from that date or the Postal Ballot Resolution; and

(c) that in forming the opinion for the above purposes, the directors have taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities) as if the Company was being wound up under the provisions of the Companies Act, 2013 or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

9. Report addressed to the Board of Directors by the Company's Statutory Auditor on permissible capital payment and opinion formed by directors regarding insolvency.

The text of the Report from the Company's Auditors dated December 23, 2019 addressed to the Board is reproduced below:

Quote

Independent Auditor's Report on buy back of shares pursuant to the requirement of Schedule I to the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 as amended

The Board of Directors
NIIT Technologies Limited
8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 110019

1. This Report is issued in accordance with the terms of our service scope letter engagement letter dated December 19, 2019 and master engagement agreement October 04, 2017 with NIIT Technologies Limited (hereinafter the "Company").

2. In connection with the proposal of NIIT Technologies Limited ("the Company") to buy back its equity shares in pursuance of the provisions of Section 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("the Regulations"), and in terms of the resolution passed by the directors of the Company in their meeting held on December 23, 2019, which is subject to the approval of the shareholders of the Company, we have been engaged by the Company to perform a reasonable assurance engagement on the Statement of determination of the amount permissible capital payment (the "Statement"), which we have initialed for identification purposes only.

Board of Directors Responsibility for the Statement

3. The preparation of the Statement of determination of the amount permissible capital payment for the buyback is the responsibility of the Board of Directors of the Company, including the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

4. The Board of Directors are responsible to make a full inquiry into the affairs and offer document of the Company and to form an opinion that the Company will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of meeting.

Auditor's Responsibility

5. Pursuant to the requirements of the Regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance on the following "Reporting Criteria":

(i) Whether the amount of permissible capital payment for the buy-back is within the permissible limit and computed in accordance with the provisions of Section 68(2)(c) of the Act;

(ii) Whether the Board of Directors has formed the opinion, as specified in Clause (X) of Schedule I to the Regulations, on a reasonable ground that the Company having regard to its state of affairs will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of passing the Board meeting resolution, and from date on which the results of the shareholders' resolution with regard to the proposed buy-back are declared;

(iii) Whether we are aware of anything to indicate that the opinion expressed by the Directors in the declaration as to any of the matters mentioned in the declaration is unreasonable in circumstances as at the date of declaration.

6. The audited standalone and consolidated financial statements referred to in paragraph 9 below, have been audited by us, on which we issued an unmodified audit opinion vide our report dated May 04, 2019. Our audit of these financial statements was conducted in accordance with the Standards on Auditing, as specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013 and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

7. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

8. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

9. A reasonable assurance engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the Reporting criteria mention in paragraph 5 above. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks associated with the Reporting Criteria. We have performed the following procedures in relation to the Statement:

i) We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its audited standalone and consolidated financial statements as at and for the year ended March 31, 2019;

ii) Examined authorization for buyback from the Articles of Association of the Company;

iii) Examined that the amount of permissible capital payment for the buy-back as detailed in Annexure A is within permissible limit computed in accordance with section 68(2)(c) of the Act based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company;

iv) Examined that the ratio of debt owned by the Company, if any, is not more than twice the capital and its free reserve after such buy-back;

v) Examined that all shares for buy-back are fully paid-up;

vi) Read the resolutions passed in the meetings of the Board of Directors. We have done no procedures as regard the projections as approved by the Board of Directors and accordingly do not certify the same;

vii) Read the Director's declarations for the purpose of buy back and solvency of the Company as detailed in Annexure B;

viii) Obtained necessary representations form the management of the Company.

Opinion

10. Based on our examination as above, and the information and explanations given to us, in our opinion: -

(i) the Statement of permissible capital payment towards buyback of equity shares, as stated in Annexure A, is in our view properly determined in accordance with Section 68(2)(c) of the Act; and

(ii) the Board of Directors, in their meeting held on December 23, 2019, have formed the opinion, as specified in clause (x) of Schedule I of the Regulations, as stated in Annexure B, on reasonable grounds, that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the passing of board resolution dated December 23, 2019, and from date on which the results of the shareholder's resolution with regard to the proposed buy-back are declared and we are not aware of anything to indicate that the opinion expressed by the Directors in the declaration as to any of the matters mentioned in the declaration is unreasonable in circumstances as at the date of declaration.

Restriction on Use

11. The certificate is addressed to and provided to the Board of Directors of the Company pursuant to the requirements of the Regulations solely to enable them to include it (a) in the explanatory statement to be included in the postal ballot notice to be circulated to the shareholders, (b) in the public announcement to be made to the Shareholders of the Company, (c) in the draft letter of offer and letter of offer to be filed with the Securities and Exchange Board of India, the stock exchanges, the Registrar of Companies as required by the Regulations, the National Securities Depository Limited and the Central Depository Securities (India) Limited, and should not be used by any other person or for any other purpose.

12. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report.

For S.R. Batliboi & Associates LLP
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration Number: 101049W/E300004
Sd/-
per Yogender Seth
Partner
Membership Number: 094524
UDIN: 19094524AAAAFH7077
Place of Signature: Gurugram
Date: December 23, 2019

Statement of permissible capital payment (Annexure A)

Computation of amount of permissible capital payment towards buyback of equity shares in accordance with section 68(2)(c) of the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended (**"the Regulations"**), based on audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at and for the year ended March 31, 2019.

Particulars	Standalone (Rs. in Mn.)	Consolidated (Rs. in Mn)
Paid-up Equity Share Capital (A) (61,783,874 Equity Shares of Rs. 10 each)	618	618
Free Reserves*		
Retained earnings	13,575	18,018
Securities Premium	614	614
General reserve	1,873	2,306
Total Free Reserves (B)	16,062	20,938
Total (A + B)	16,680	21,556
Maximum amount permissible for the buyback i.e. 25% of total paid-up equity share capital and free reserves	4,170	5,389
Amount approved by Board of director dated December 23, 2019 subject to approval of shareholders by means of a special resolution through postal ballot	3,375	3,375

As per the provisions of Section 68(2)(c) of the Companies Act, 2013, the maximum amount permissible for the buyback of equity shares of the Company is twenty five percent or less of the aggregate of paid capital and free reserves of the Company.

*As per Companies Act, 2013 Section 2(43) definition of "free reserves" means such reserves which, as per the latest audited balance sheet of a company, are available for distribution as dividend, provided that—

(i) any amount representing unrealised gains, notional gains or revaluation of assets, whether shown as a reserve or otherwise, or

(ii) any change in carrying amount of an asset or of a liability recognised in equity, including surplus in profit and loss account on measurement of the asset or the liability at fair value, shall not be treated as free reserves.

Signature	**Sd/-**	**Sd/-**	**Sd/-**
Name	**Hari Gopalakrishnan**	**Kirti Ram Hariharan**	**Ajay Kalra**
Designation	**Non-Executive Director**	**Non-Executive Director**	**Chief Financial Officer**
DIN/PAN	**03289463**	**01785506**	**AASPK6529J**

Date: December 23, 2019
Place: Gurugram

Declaration of the Board of Directors (Annexure B)

It is hereby declared that the Board of Directors has made full enquiry into the affairs and offer document of the Company and after taking into account the financial position of the Company including the projections and also considering all contingent liabilities, the Board has formed an opinion:

1. That there are no defaults subsisting in the repayment of deposits, interest payment thereon or payment of dividend due to any shareholder, or repayment of any term loans or interest payable thereon to any financial institution or banking company.

2. That immediately following the date of the board meeting as well as the date on which the results of the postal ballot approving the proposed Buyback will be announced, there will be no grounds on which the Company could be found to be unable to pay its debts.

3. As regards to the Company's prospects for the year immediately following the date of the Board meeting as well as the date on which the results of the postal ballot approving the proposed Buyback will be announced, that having regards to the Board of Directors' intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board of Directors' view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of Board and shareholders' approval.

4. That in forming the opinions for the above purposes, the directors have taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities) as if the Company was being wound up under the provisions of the Companies Act, 2013 or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as amended.

5. That the debt equity ratio of the Company (standalone and consolidated financial statements) after the Buy-back will be within the limit of 2:1 as prescribed under the Act.

The declaration is made and issued under the authority of the Board in terms of the resolution passed at its meeting held on December 23, 2019.

Signature	**Sd/-**	**Sd/-**
Name	**Hari Gopalakrishnan**	**Kirti Ram Hariharan**
Designation	**Non-Executive Director**	**Non-Executive Director**
DIN	**03289463**	**01785506**

Date : December 23, 2019
Place: Gurugram

Unquote

10. Record Date and Shareholder Entitlement

10.1. As required under the Buyback Regulations, the Company has fixed the Record Date (i.e., March 12, 2020) for the purpose of determining the entitlement and the names of the Eligible Shareholders who will be eligible to participate in the Buyback.

10.2. The Equity Shares proposed to be bought back by the Company shall be divided into two categories: (i) reserved category for Small Shareholders and (ii) the general category for all other Eligible Shareholders.

10.3 As defined under the Buyback Regulations, a "Small Shareholder" is an Eligible Shareholder who holds Equity Shares having market value, on the basis of closing price on BSE or NSE, on which the highest trading volume in respect of the Equity Shares on the Record Date was recorded, of not more than Rs. 2,00,000 (Rupees Two Lakh only).

10.4. In accordance with proviso to Regulation 6 of the Buyback Regulations, fifteen percent of the number of Equity Shares which the Company proposes to buy back or the number of Equity Shares entitled as per the shareholding of Small Shareholders, whichever is higher, shall be reserved for the Small Shareholders as part of this Buyback.

10.5. On the basis of the shareholding as on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each Eligible Shareholder, including Small Shareholders, to tender their Equity Shares in the Buyback. This entitlement for each Eligible Shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective Eligible Shareholder as on the Record Date and the ratio of Buyback applicable in the category to which such Eligible Shareholder belongs. The final number of Equity Shares the Company will purchase from each Eligible Shareholder will be based on the total number of Equity Shares tendered. Accordingly, the Company may not purchase all of the Equity Shares tendered by the Eligible Shareholders in the Buyback.

Cont...2

www.readwhere.com

10.6. In accordance with Regulation 9(ix) of the Buyback Regulations, in order to ensure that the same Eligible Shareholder with multiple demat accounts/folios do not receive a higher entitlement under the Small Shareholder category, the Equity Shares held by such Eligible Shareholder with a common Permanent Account Number (**"PAN"**) shall be clubbed together for determining the category (small shareholder or general) and entitlement under the Buyback. In case of joint shareholding, the Equity Shares held in cases where the sequence of the PANs of the joint shareholders is identical shall be clubbed together. In case of Eligible Shareholders' holding physical shares, where the sequence of PAN is identical and where the PANs of all joint shareholders are not available, the registrar to the Buyback (**"Registrar to the Buyback"**) will check the sequence of the names of the joint holders and club together the Equity Shares held in such cases where the sequence of the name of joint shareholders are identical. The shareholding of institutional investors like mutual funds, insurance companies, pension funds/trusts, etc. with common PAN will not be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are held for different schemes and have a different demat account nomenclature based on information prepared by the registrar and transfer agent as per the shareholder records received from the depositories.

10.7. After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the offer by Eligible Shareholders in that category, and thereafter from Eligible Shareholders who have tendered over and above their entitlement in the other category.

10.8. The participation of the Eligible Shareholders in the Buyback is voluntary. Eligible Shareholders may opt to participate, in part or in full, and receive cash in lieu of the Equity Shares accepted under the Buyback, or they may opt not to participate and enjoy a resultant increase in their percentage shareholding, after the completion of the Buyback, without any additional investment. Eligible Shareholders also have the option of tendering additional Equity Shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other Eligible Shareholders, if any. If the Buyback entitlement for any shareholder is not a round number, then the fractional entitlement shall be ignored for computation of entitlement to tender Equity Shares in the Buyback.

10.9. The maximum tender under the Buyback by any Eligible Shareholder should not exceed the number of Equity Shares held by the Eligible Shareholder as on the Record Date. In case the Eligible Shareholder holds Equity Shares through multiple demat accounts, the tender through a demat account cannot exceed the number of Equity Shares held in that demat account.

10.10. The Equity Shares tendered as per the entitlement by Eligible Shareholders as well as additional Equity Shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in Buyback Regulations.

10.11. Detailed instructions for participation in the Buyback (tender of Equity Shares in the Buyback) as well as the relevant timetable will be included in the Letter of Offer which will be sent in due course to the Eligible Shareholders as on Record Date.

11. Process and Methodology to be Adopted for the Buyback

11.1. The Buyback is open to all Eligible Shareholders / beneficial owners of the Company holding Equity Shares in dematerialized form as on the Record Date.

11.2. The Buyback shall be implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified vide the SEBI Circulars and following the procedure prescribed in the Companies Act and the Buyback Regulations and as may be determined by the Board (including the committee authorized to complete the formalities of the Buyback) and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.

11.3. The Company has appointed JM Financial Services Limited as the registered broker to the Company (**"Company Broker"**) to facilitate the process of tendering of Equity Shares through the stock exchange mechanism for the Buyback through whom the purchases and settlements on account of the Buyback would be made by the Company. The contact details of the Company Broker are as follows:

JM Financial Services Limited
5th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025.
Tel: +91 22 6704 3000; **Fax:** +91 22 6761 7222
Contact Person: Mr. Kinnar Darji; **Tel.:** +91 22 6704 3503
Email: kinnar.darji@jmfl.com; **Website:** www.jmfinancialservices.in
SEBI Registration Number: INB-INF011054631 (BSE); INB/INE/INF231054835 (NSE)
Corporate Identification Number: U67120MH1998LC115415

11.4. The Company will request BSE, being the designated stock exchange, to provide a separate acquisition window (**"Acquisition Window"**) to facilitate placing of sell orders by Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback. The details of the Acquisition Window will be specified by BSE from time to time. In the event the Stock Broker of any Eligible Shareholder is not registered with BSE as a trading member / stock broker, then that Eligible Shareholder can approach the Company Broker or any other BSE registered stock broker and can register himself by using quick unique client code (UCC) facility through that BSE registered stock broker (after submitting all details as may be required by such BSE registered stock broker in compliance with applicable law).

11.5. During the tendering period, the order for selling the Equity Shares shall be placed in the Acquisition Window by Eligible Shareholders through their respective stockbrokers (**"Seller Member(s)"**) during normal trading hours of the secondary market. The Seller Members can enter orders only for dematerialized Equity Shares.

11.6. Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in Dematerialised Form:

11.6.1. Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares held by them in dematerialised form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback, to their Seller Member.

11.6.2. The Seller Member would be required to place an order/bid on behalf of the Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback using the Acquisition Window of BSE. Before placing the order/bid, the Eligible Shareholder would be required to transfer the tendered Equity Shares to the special account of the Indian Clearing Corporation Limited (**"Clearing Corporation"**) by using the early pay-in mechanism as prescribed by BSE and the Clearing Corporation prior to placing the bid by the Seller Member.

11.6.3. The details of the special account of the Clearing Corporation and the settlement number shall be informed in the issue opening circular that will be issued by BSE / Clearing Corporation.

11.6.4. For custodian participant orders for dematerialized Equity Shares, early pay-in is mandatory prior to confirmation of order/ bid by custodian participant. The custodian participant shall either confirm or reject the orders no later than the closing of trading hours on the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification shall revoke the custodian confirmation and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation.

11.6.5. Upon placing the bid, the Seller Member shall provide a Transaction Registration Slip (**"TRS"**) generated by the exchange bidding system to the Eligible Shareholder. The TRS will contain the details of order submitted such as bid ID number, application number, DP ID, client ID, number of Equity Shares tendered, etc.

11.6.6. The reporting requirements for non-resident shareholders under Reserve Bank of India, Foreign Exchange Management Act, 1999, as amended and any other rules, regulations, guidelines, for remittance of funds, shall be made by the Eligible Shareholders and/ or the Seller Member.

11.7. Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in Physical Form:

11.7.1. In accordance with the proviso to regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, effective from April 1, 2019, transfers of securities of the Company shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Accordingly, the Company will not be able to accept Equity Shares tendered in physical form in the Buyback. Eligible Shareholders are advised to approach the concerned depository participant to have their Equity Shares dematerialized before tendering their Equity Shares in the Buyback. In case any person who has submitted the Equity Shares held by them in the physical form for dematerialisation should ensure that the process of getting the Equity Shares dematerialised is completed before such Eligible Shareholders tender their Equity Shares in the Buy-back, so that they can participate in the Buyback.

11.8. Modification/cancellation of orders will only be allowed during the tendering period of the Buyback. Multiple bids made by a single Eligible Shareholder for selling the Equity Shares shall be clubbed and considered as "one bid" for the purposes of acceptance.

11.9. The cumulative quantity tendered shall be made available on the BSE website (www.bseindia.com) throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

12. Method of Settlement

12.1. Upon finalization of the basis of acceptance as per Buyback Regulations:

12.1.1. The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.

12.1.2. The Company will pay the consideration to the Company Broker who will transfer the funds pertaining to the Buyback to the Clearing Corporation's bank accounts as per the prescribed schedule. For Equity shares accepted under the Buyback, the Clearing Corporation will make direct funds pay out to respective Eligible Shareholders. If the Eligible Shareholders' bank account details are not available or if the fund transfer instruction is rejected by the Reserve Bank of India or relevant Bank, due to any reason, then such funds will be transferred to the concerned Shareholder Brokers' settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.

12.1.3. The Equity Shares bought back in dematerialized form would be transferred directly to the demat account of the Company (**"Company Demat Account"**) provided it is indicated by the Company Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Company Demat Account on receipt of the Equity Shares from the cleaning and settlement mechanism of BSE.

12.1.4. Eligible Shareholder will have to ensure that they keep their depository participant (**"DP"**) account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or due to non-acceptance of shares under the Buyback.

12.1.5. Excess Equity Shares or unaccepted Equity Shares, in dematerialised form, if any, tendered by the Eligible Shareholders would be transferred by the Clearing Corporation directly to the respective Eligible Shareholder's DP account.

12.1.6. The Company Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buyback.

12.1.7. Eligible Shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective Seller Member for payment to them of any cost, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Seller Member upon the selling Eligible Shareholders for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the selling Eligible Shareholders from their respective Seller Member, in respect of accepted Equity Shares, could be net of such costs, charges and expenses (including brokerage) and the Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the selling Eligible Shareholders.

12.1.8. Further, the Company will not accept shares tendered for Buyback which are under restraint order of the court for transfer /sale and/or the title in respect of which is otherwise under dispute.

12.2. The Equity Shares lying to the credit of the Company Demat Account will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the Buyback Regulations.

13. Compliance Officer

The Company has designated the following as the Compliance Officer for the Buyback:
Name: Lalit Kumar Sharma
Designation: Company Secretary & Legal Counsel
Address: NIIT Technologies Limited, Tower D, VI Floor, TZ 2 & 2A, Sector Tech Zone, Greater Noida (Yamuna Expressway) Uttar Pradesh, India - 201308
Tel: 011-41029297 **Fax:** 011-26414900 **Email:** investors@niit-tech.com

In case of any clarifications or to address investor grievance, the Eligible Shareholders may contact the Compliance Officer, from Monday to Friday between 10 A.M. to 5 P.M. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the above mentioned address.

14. Registrar to the Buyback/ Investor Service Centre

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
Address: C-101, 1st Floor, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083
Tel: +91 22 4918 6200; **Fax:** +91 22 4918 6195
Email: niittech.buyback@linkintime.co.in; **Contact Person:** Sumeet Deshpande
Website: www.linkintime.co.in; **SEBI Registration Number:** INR000004058
Corporate Identity Number: U67190MH1999PTC118368

In case of any queries, Eligible Shareholders may also contact the Registrar to the Buyback, from Monday to Friday between 10 A.M. to 5 P.M. on all working days, at the above mentioned address.

15. Manager to the Buyback

JM FINANCIAL

JM Financial Limited
Address: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025. **Tel:** +91 22 6630 3030; **Fax:** +91 22 6630 3330;
Contact Person: Ms. Prachee Dhuri; **Email:** niittech.buyback@jmfl.com
Website: www.jmfl.com; **SEBI Registration Number:** INM000010361
Corporate Identification Number: L67120MH1986PLC038784

16. Directors' Responsibility

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts full responsibility for the information contained in this Public Announcement and confirms that this Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and behalf of the Board of Directors of
NIIT TECHNOLOGIES LIMITED

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Hari Gopalakrishnan	**Kirti Ram Hariharan**	**Lalit Kumar Sharma**
Non-Executive Director	Non-Executive Director	Company Secretary and Legal Counsel
(DIN: 03289463)	(DIN: 01785506)	(Membership Number: FCS 6218)

Date: February 17, 2020
Place: New Delhi

CONCEPT

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
शाखा : सेक्टर-12, नोएडा, दूरभाष : 0120-2547462, bo4660@pnb.co.in

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (इसके पश्चात ''कथित नियम'' कहा जायेगा) के तहत पंजाब नैशनल बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार(रों)/जमानतियों
(अ) मैसर्स सीक्विन्स, दुकान नं. 16बी, वर्ल्ड स्क्वेयर मॉल, मोहन नगर, गाजियाबाद
(ब) मैसर्स सीक्विन्स, डी-6, वेब्स सिल्वर टॉवर 10, 10वीं मंजिल, सेक्टर-18, नोएडा
(स) श्रीमती शिखा मौर्य, पी-02/03, टॉवर-2, पूर्वांचल सिल्वर सिटी, सेक्टर-93, नोएडा-201301, उ.प्र.
(द) श्री आशीष कुमार, पी-02/03, टॉवर-2, पूर्वांचल सिल्वर सिटी, सेक्टर-93, नोएडा-201301, उ.प्र. से 30.06.2019 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 55,19,525.56/- (रुपये पचपन लाख उन्नीस हजार पाँच सौ पच्चीस एवं छप्पन पैसे मात्र) तथा उस पर भावी ब्याज, लागत, व्ययों एवं अन्य प्रभारों सहित कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 26.08.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ताओं के उपर्युक्त सूचना में निर्दिष्ट तिथि के भीतर पुनर्भुगतान के दायित्व में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/जमानती/बंधककर्ताओं तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में 13 फरवरी, 2020 को नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानती/बंधककर्ताओं को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार 30.06.2019 तक राशि रु. 55,19,525.56/- (रुपये पचपन लाख उन्नीस हजार पाँच सौ पच्चीस एवं छप्पन पैसे मात्र) तथा उस पर भावी ब्याज, लागत, व्ययों एवं अन्य प्रभारों के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार का विषय होगा।

चल/अचल सम्पत्ति का विवरण

1, मकान नं. 12/491, सेक्टर-12, इन्दिरा नगर, लखनऊ पर स्थित सम्पत्ति का समस्त भाग।
माप क्षेत्रफल : 288 वर्ग मीटर

दिनांक : 13.02.2020, स्थान : नोएडा — अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

नहीं है कार्यालय की कमी
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
आरजे-3/284, ओल्ड रोशनपुरा एक्सटेंशन, सी-ब्लॉक, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
सुश्री मनजीत कौर (उधारकर्ता), श्री हरबीर सिंह (सह-उधारकर्ता) और सुश्री जसलिन कौर (सह उधारकर्ता और बंधककर्ता), श्री गुरदीप सिंह (गारंटर)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति ए-68, भूतल, फतेह नगर, गाँव तिहाड़, नई दिल्ली-110018 में स्थित, यह सम्पत्ति सुश्री जसलिन कौर के नाम पर है।	01-07-2019 / 12-02-2020	रु. 17,36,603.22 दिनांक 01.07.2019 और भविष्य का ब्याज
श्री अनुरूद्ध कुमार मिश्रा (कर्जदार) और सुश्री नीतू मिश्रा (सह-कर्जदार)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति 107, तृतीय तल, पॉकेट 16-ए, सैक्टर-22, रोहिणी, नई दिल्ली-110086 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अनुरूद्ध कुमार मिश्रा और सुश्री नीतू मिश्रा के नाम पर है।	01-07-2019 / 12-02-2020	रु. 15,95,917.00 दिनांक 01.07.2019 और भविष्य का ब्याज

दिनांक 12.02.2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

जोधपुर आंचलिक कार्यालय,
आखलिया चौराहा, जसोदा टावर,
जोधपुर-342004 फोन-0291-2659616

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1) देखें]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

चूंकि, बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 और धारा 13(2) की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित ऋणियों को निम्नलिखित दिनांक को निश्चित राशि के मांग सूचना पत्र जारी किये थे जिसमें कि मांगी गई राशि को नोटिस प्राप्ति की दिनांक के 60 दिवस के भीतर जमा कराना था।

ऋणियों द्वारा धनराशि के पुर्नभुगतान में असफल रहने पर, एतद्द्वारा ऋणियों एवं आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले उक्त 'एक्ट' व धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित संपत्तियों को कब्जे में निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

एतद्द्वारा ऋणियों को विशेषत: एवं साधारण जनता को संपत्तियों का संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है एवं संपत्ति के साथ किया गया कोई संव्यवहार निम्नवर्णित धनराशि एवं ब्याज एवं उस पर व्यय हेतु बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार के अध्यधीन होगा।

क्र. सं.	शाखा कार्यालय	ऋणी/जमानती/बंधककर्ता का नाम	संपत्ति विवरण	मांग सूचना पत्र दिनांक	बकाया राशि + (ब्याज + व्यय अतिरिक्त)	कब्जा दिनांक
1.	जोधपुर मुख्य शाखा	श्री अजय सिंह राठौड़ पुत्र श्री राजू सिंह राठौड़	श्री अजय सिंह राठौड़ के नाम जो कि मारुति एनक्लेव में प्लाट नं. 50 खसरा नं. 275/1, ग्राम बोरानाड़ा जोधपुर (राज.) में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 900.00 वर्ग फीट, चतुसीमाएं : - उत्तर : प्लाट नं. 51, दक्षिण: प्लाट नं. 49, पूर्व : प्लाट नं. 55, पश्चिम: रोड	02.12.2019	रुपये 19,78,535.70 दिनांक 02.12.2019 तक	14.02.2020
2.	जोधपुर मुख्य शाखा	श्रीमती विनोद कंवर पत्नि श्री राजू सिंह राठौड़	श्री विनोद कंवर के नाम जो कि मारुति एनक्लेव में प्लाट नं. 49 खसरा नं. 275/1, ग्राम बोरानाड़ा जोधपुर (राज.) में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 900.00 वर्ग फीट, चतुसीमाएं : - उत्तर : प्लाट नं. 50, दक्षिण: प्लाट नं. 48, पूर्व : प्लाट नं. 56, पश्चिम: रोड	02.12.2019	रुपये 19,64,811.70 दिनांक 02.12.2019 तक	14.02.2020
3.	जोधपुर मुख्य शाखा	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी के नाम	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी के नाम जो कि वार्ड नं. 1 सोढ़ों की ढाणी, जाखड़ों की ढाणी, मेन रोड सूरसागर से ग्राम बेरु काली बेरी, जोधपुर (राज.) में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 1560.00 वर्ग फीट, चतुसीमाएं : - उत्तर : नरसिंह का मकान व गली, दक्षिण: श्री प्रेमचन्द का मकान, पूर्व : अन्य भूमि, पश्चिम: रोड ज्वैलरी (गोल्डन आदि) और बुक डेट का स्टॉक	02.12.2019	रुपये 14,53,309.44 दिनांक 02.12.2019 तक (आवास ऋण 4,85,160.44 + सी.सी 9,68,149.00)	15.02.2020

दिनांक : 17.02.2020
स्थान : जोधपुर — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

BN BARBEQUE NATION

BARBEQUE-NATION HOSPITALITY LIMITED

Barbeque-Nation Hospitality Limited (our **"Company"**) was originally incorporated as Sanchi Hotels Private Limited on October 13, 2006 at Indore, Madhya Pradesh as a private limited company under the Companies Act, 1956. Subsequently, the name of our Company was changed to Barbeque-Nation Hospitality Private Limited and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, located at Gwalior on February 18, 2008. Thereafter our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to Barbeque-Nation Hospitality Limited and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name on conversion to a public limited company was issued by the Registrar of Companies, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, located at Gwalior on March 4, 2008. Subsequently the registered office of our Company was changed from Indore, Madhya Pradesh to Bengaluru, Karnataka, pursuant to certificate of registration of regional director order for change of state issued by the Registrar of Companies, Karnataka located at Bengaluru ("RoC") on January 15, 2014 with effect from December 16, 2013. For details of change in the name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 191 of the draft red herring prospectus dated February 17, 2020 (**"Draft Red Herring Prospectus" or "DRHP"**).

Registered and Corporate Office: Sy. No. 62, Site No.13, 6th Cross, N.S. Palya, BTM Layout, Bengaluru – 560 076, Karnataka, India; **Contact Person:** Nagamani CY, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: +91 80 4511 3000; **E-mail:** compliance@barbequenation.com; **Website:** www.barbequenation.com; **Corporate Identity Number:** U55101KA2006PLC073031

OUR PROMOTERS: SAYAJI HOTELS LIMITED, SAYAJI HOUSEKEEPING SERVICES LIMITED, KAYUM DHANANI, RAOOF DHANANI AND SUCHITRA DHANANI

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ("EQUITY SHARES") OF BARBEQUE-NATION HOSPITALITY LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION COMPRISING A FRESH ISSUE OF [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UPTO ₹2,750 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 560,000 EQUITY SHARES BY SAYAJI HOUSEKEEPING SERVICES LIMITED, 400,000 EQUITY SHARES BY KAYUM DHANANI, 375,000 EQUITY SHARES BY AZHAR DHANANI, 497,890 EQUITY SHARES BY SADIYA DHANANI, 497,893 EQUITY SHARES BY SANYA DHANANI, 444,631 EQUITY SHARES BY ZOYA DHANANI, 6,078,402 EQUITY SHARES BY TAMARA PRIVATE LIMITED ("TPL"), 497,841 EQUITY SHARES BY PACE PRIVATE LIMITED, 144,690 EQUITY SHARES BY AAJV INVESTMENT TRUST, 26,600 EQUITY SHARES BY MENU PRIVATE LIMITED AND 300,000 EQUITY SHARES BY ALCHEMY INDIA LONG TERM FUND LIMITED (SAYAJI HOUSEKEEPING SERVICES LIMITED, KAYUM DHANANI, AZHAR DHANANI, SADIYA DHANANI, SANYA DHANANI, ZOYA DHANANI, TAMARA PRIVATE LIMITED, PACE PRIVATE LIMITED, AAJV INVESTMENT TRUST, MENU PRIVATE LIMITED AND ALCHEMY INDIA LONG TERM FUND LIMITED SHALL BE COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "SELLING SHAREHOLDERS") AGGREGATING UP TO 9,822,947 EQUITY SHARES (THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION ("OFFER FOR SALE" AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER"). THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [•] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹20 MILLION, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (AS DEFINED HEREIN) NOT EXCEEDING [•]% OF OUR POST-OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [•]% AND [•]%, RESPECTIVELY OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. OUR COMPANY AND TPL MAY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT OF UP TO [•] EQUITY SHARES FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING ₹1,500 MILLION AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY AND TPL IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE COMPLETED PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED IN THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO THE MINIMUM OFFER OF [•]% OF THE POST-OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL BEING OFFERED TO THE PUBLIC. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹5 EACH. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND TPL IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL NEWSPAPER [•], [•] EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL NEWSPAPER [•] AND THE [•] EDITION OF THE KANNADA NEWSPAPER, [•] (KANNADA BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KARNATAKA, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days following such revision of the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may in consultation with the BRLMs and TPL, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**"), other Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable. This Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "**SEBI ICDR Regulations**"). The Offer is being made in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations and through a Book Building Process wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**", and such portion, the "**QIB Portion**"). Our Company and TPL may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("**Anchor Investor Portion**"), out of which at least one-third shall be available for allocation to domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, [•] Equity Shares will be available for allocation on a proportionate basis to Eligible Employees, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process providing details of their respective bank account (including UPI ID (as defined hereinafter) in case of Retail Individual Buyers) which will be blocked by the SCSBs, or the bank accounts linked with the UPI ID, as applicable, to participate in the Offer. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, please see the section titled "Offer Procedure" on page 467 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations, to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has filed a DRHP dated February 17, 2020 with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on February 17, 2020. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing, by hosting it on the websites of SEBI, at www.sebi.gov.in, i.e., the stock exchanges where the Equity Shares are proposed to be listed i.e. the BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the websites of the BRLMs, i.e., IIFL Securities Limited, Axis Capital Limited, Ambit Capital Private Limited and SBI Capital Markets Limited at www.iiflcap.com, www.axiscapital.co.in, www.ambit.co and www.sbicaps.com, respectively. The Company invites members of the public to give their comments on the DRHP to SEBI and/or the Company Secretary and Compliance Officer of the Company with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments sent to SEBI, to the Company and the BRLMs at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by the Company and/ or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Offer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors

भारत और पाकिस्तान के इलाकों में टिड्डियों का कहर

पाकिस्तान दे सकता है भारत से कीटनाशक मंगाने की छूट

इस्लामाबाद, 17 फरवरी (भाषा)।

टिड्डी दल के प्रकोप का सामना कर रहा पाकिस्तान कीटनाशकों के भारत से आयात पर एक बार की छूट की अनुमति दे सकता है। उसने पिछले साल अगस्त में भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद भारत से व्यापार पर पाबंदी लगाई थी।

डॉन अखबार की खबर के अनुसार पाकिस्तान के संघीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को होने वाली बैठक में भारत से कीटनाशकों के आयात पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान में इस बार टिड्डी दल का प्रकोप बड़े स्तर पर है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में टिड्डी ने फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस महीने की शुरुआत में बैठक में टिड्डी के हमले को राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित किया था।

राजस्थान में टिड्डी प्रभावित जिलों का आज से दौरा करेगा भारत का केंद्रीय दल

जयपुर, 17 फरवरी (भाषा)।

टिड्डियों के हमले से खराब हुए फसलों का जायजा लेने के लिए केंद्र का अध्ययन दल मंगलवार से राजस्थान का दौरा करेगा। यह दल 18 फरवरी से बीकानेर व जोधपुर संभाग के जिलों में हुए नुकसान का जायजा लेगा।

मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को यहां सचिवालय में केंद्रीय अध्ययन दल व राज्य सरकार के कृषि सहित अन्य विभागों के साथ बैठक हुई। इसमें राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए की शीघ्र सहायता राशि दिलाए जाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री व केंद्रीय कृषि विभाग को पत्र लिखकर टिड्डी की रोकथाम व केंद्रीय सहायता राशि दिलाने का आग्रह किया।

केंद्रीय अध्ययन दल 18 फरवरी को जोधपुर, जैसलमेर, जालौर व बाड़मेर में जिला कलक्टर व जन पब्लिक प्रतिनिधियों से चर्चा कर नुकसान प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेगा। यह दो दिन तक टिड्डी प्रभावित जिलों का जायजा लेगा व 20 फरवरी को जोधपुर में बैठक करेगा।

वुहान से भारतीयों को वापस लाएगा विमान, संपर्क के लिए फोन नंबर व ईमेल जारी

बेजिंग, 17 फरवरी (भाषा)।

भारत घातक कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने में चीन की मदद करने के लिए इस सप्ताह के अंत में राहत विमान से चिकित्सा सामग्री की खेप वुहान भेजेगा और लौटते समय विमान वहां फंसे भारतीयों और पड़ोसी देशों के नागरिकों को लेकर आएगा। सबसे बुरी तरह प्रभावित वुहान और हुबेई प्रांत के अन्य इलाकों में अब भी 80 से 100 भारतीय फंसे हुए हैं। चीन स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को यह जानकारी दी।

चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने ट्वीट किया, 'आ रहे विमान की क्षमता और स्थान की उपलब्धता पर भारत, नई दिल्ली की वापसी की यात्रा के दौरान उसमें सभी पड़ोसी देशों के नागरिकों को ले जाने का इच्छुक है। जो लोग इच्छुक हैं उनसे अनुरोध है कि बेजिंग में भारतीय दूतावास से संपर्क करें।' भारतीय दूतावास ने ट्वीट में कहा, 'फिलहाल वुहान/हुबेई प्रांत में कई भारतीय नागरिक हैं और भारत लौटने के इच्छुक हैं। वे बीते दो हफ्तों से बेजिंग में भारतीय दूतावास से संपर्क में हैं।' इसमें कहा गया, 'भारत लौटने के लिए इस उड़ान में शामिल होने के इच्छुक सभी भारतीय नागरिकों से जिन्होंने अब तक बेजिंग में भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं किया है, अनुरोध है कि वे तत्काल हमारी हॉटलाइन +8618610952903 और +8618612083629 पर फोन करें या सोमवार शाम सात बजे तक हेल्पडेस्क.बीजिंग@एमईए.जीओवी.आईएन पर ईमेल करें।'

भारतीय अधिकारियों ने कहा कि सबसे बुरी तरह प्रभावित वुहान और हुबेई प्रांत के अन्य इलाकों में अब भी 80 से 100 भारतीय फंसे हुए हैं और उनमें से कई भारत सरकार से उन्हें एयरलिफ्ट करने का अनुरोध कर रहे हैं। इनमें वे 10 भारतीय भी शामिल हैं जो तेज बुखार की वजह से पिछली दो उड़ानों से भारत नहीं लौट पाए थे। उनकी सेहत में अब सुधार है और उनके इस तीसरी उड़ान से लौटने की उम्मीद है। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश ने अपने-अपने नागरिकों को विमानों के जरिये निकाल लिया था जबकि 800 से 1000 पाकिस्तानी अब भी हुबेई में हैं। भारत ने एक और दो फरवरी को एअर इंडिया की दो विशेष उड़ानों का संचालन कर 647 भारतीय नागरिकों और मालदीव के सात नागरिकों को वहां से निकाला था। निकाले गए भारतीयों में से अधिकतर छात्र थे।

चीन में कुल 1770 लोग मरे

बीजिंग, 17 फरवरी। चीन के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि 105 लोगों की मौत के नए मामले आए हैं जिन्हें मिलाकर चीन में इस वायरस से अब तक 1,770 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से अधिकांश मामले सबसे बुरी तरह प्रभावित हुबेई प्रांत से सामने आए हैं। **(भाषा)**

टल सकता है चीनी संसद का सत्र

बीजिंग, 17 फरवरी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए चीन की संसद का मार्च में शुरू होने वाला सालाना सत्र टाला जा सकता है। कोरोना के खतरे को देखते हुए एनपीसी की स्थायी समिति इस पूर्ण सत्र को टालने पर विचार करेगी। एनपीसी का सत्र टाला जाना अभूतपूर्व फैसला होगा। (भाषा)

पाक के बलूचिस्तान में आत्मघाती हमले में आठ मरे, 23 घायल

कराची, 17 फरवरी (भाषा)।

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सोमवार को धार्मिक रैली में जबरदस्त बम विस्फोट में कुछ पुलिसकर्मियों समेत कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य लोग घायल हो गए। यह हमला ऐसे दिन हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस पाकिस्तान में हैं। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक शहराह-ए-अदालत के पास क्वेटा प्रेस क्लब में धार्मिक रैली के दौरान यह विस्फोट उस वक्त हुआ।

वहां आसपास खड़े कई वाहन भी विस्फोट के प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गए। सुरक्षाकर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और वे तलाश अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के स्वरूप के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। बलोचिस्तान के गृह मंत्री जिया उल्लाह लांगू ने कहा कि घायलों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

पाकिस्तान अब आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं : इमरान

इस्लामाबाद, 17 फरवरी (भाषा)।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कहा कि उनका देश पाकिस्तान अब आतंकवादी संगठनों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माना कि शायद पहले ऐसा नहीं था। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस भी उपस्थित थे। देश में अफगान शरणार्थियों की मेजबानी के 40 साल पूरे होने पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति चाहता है।

जापान के जहाज पर कोरोना के 99 और मामलों की पुष्टि : मीडिया

तोक्यो, 17 फरवरी (एएफपी)।

जापान के समुद्र तटीय क्षेत्र के पास क्रूज जहाज पर 99 और लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। जापानी मीडिया ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। इसके अनुसार डायमंड प्रिंसेस नामक इस जहाज पर अब कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या 454 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी इन खबरों की पुष्टि नहीं की है।यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस आंकड़े में वो 14 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं या नहीं जो कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रस्त पाए गए थे और जिन्हें मरीजों को निकाल कर ले जाने वाले विमान में जाने की इजाजत दे दी गई थी। तोक्यो के पास याकोहामा में खड़ा जहाज डायमंड प्रिंसेस चीन के बाहर कोरोना वायरस के मामलों का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। जहाज में यात्रियों को पांच फरवरी से उनके क्वार्टरों में ही बंद रहने को कहा गया है। उन्हें केवल कुछ समय के लिए मास्क लगाकर डेक पर जाने की इजाजत है।

हांगकांग में गिरोह ने टॉयलेट रोल लूटे

हांगकांग, 17 फरवरी। हांगकांग की पुलिस उन सशस्त्र लुटेरों की तलाश कर रही है जिन्होंने सैकड़ों टॉयलेट रोल लूट लिए। दरअसल कोरोना वायरस के खतरे के बीच टॉयलेट रोल की मांग बढ़ी हैं। सरकार ने आश्वासन दिया कि टॉयलेट रोल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी, इसके बावजूद लोग अधिकाधिक संख्या में इन्हें खरीद रहे हैं। सुपर मार्केट में इनका स्टॉक आते ही खत्म हो जाता है। लोग टॉयलेट रोल खरीदने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगा रहे हैं। चावल, पास्ता, हैंड सेनेटाइजर तथा साफ-सफाई के काम में आने वाली अन्य वस्तुओं की भी बहुत मांग है। पुलिस ने बताया कि तीन लोगों ने डिलिवरी ब्यॉय को चाकू दिखाकर धमकाया और 130 अमेरिकी डॉलर से अधिक कीमत के टॉयलेट पेपर लूटकर ले गए। **(एएफपी)**

पत्नी को आग से बचाने की कोशिश में गई भारतीय की जान

दुबई, 17 फरवरी (भाषा)।

संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में अपने घर में लगी आग से पत्नी को बचाने की कोशिश में झुलसे भारतीय व्यक्ति की मौत हो गई। आग लगने की घटना पिछले हफ्ते की है।

खलीज टाइम्स के मुताबिक पिछले सोमवार को केरल के रहने वाले अनिल निनान के घर में संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। सेंट थॉमस मार थोमा चर्च के अधिकारी सोजन थॉमस के हवाले से अखबार ने लिखा, 'घटना की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन निनान की पत्नी नीनू गलियारे में थी जब वह आग की चपेट में आई। उस वक्त अनिल बेडरूम में थे। वह पत्नी को बचाने के लिए भागे लेकिन खुद भी आग की चपेट में आ गए।'

इस घटना में निनान 90 फीसद झुलस गए। उनकी पत्नी भी झुलसी लेकिन उनकी हालत स्थिर है। उनका चार साल का बेटा भी है।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
क्लस्टर – आर आर एल नोएडा, एसएच–12, प्रथम तल, गामा शॉपिंग सेन्टर, सैक्टर–गामा–I, ग्रेटर नोएडा –201308, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., फोन : 0120-2322667, ई–मेल: rrl_7656@obc.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा** ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
1	श्री सुधीर कुमार मिश्रा पुत्र श्री ब्रजमोहन शर्मा	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 14, प्रथम तल, ब्लॉक–12, पॉकेट – 7, सैक्टर–82, नोएडा में स्थित, क्षेत्रफल 24.86 वर्ग मी., चौहद्दी : साईट प्लान के अनुसार	05-12-2019 / 13-02-2020	₹ 7,01,875.90 दिनांक 01-12-2019 से होने वाला ब्याज
2	मैसर्स चौधरी डेयरी (प्रोप. – रविंदर गुर्जर)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्यिक बंधक फ्लैट नं. 248ए, भूतल, ब्लॉक–वाई, सैक्टर–12, नोएडा में स्थित, क्षेत्रफल 22.78 वर्ग मी., चौहद्दी : साईट प्लान के अनुसार	05-11-2019 / 13-02-2020	₹ 12,18,480.00 दिनांक 01-10-2019 से होने वाला ब्याज
3	मैसर्स जय शिव शंकर टैंट हाउस (प्रोप. श्री ज्ञानचंद शर्मा)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 216, खसरा नं. 440, गाँव होशियारपुर, सैक्टर–51, नोएडा में स्थित, क्षेत्रफल 187.22 वर्ग मी.	04-10-2019 / 13-02-2020	₹ 11,80,890.80 दिनांक 01-10-2019 से होने वाला ब्याज

दिनांक 13.02.2020, स्थान : नोएडा, ग्रेटर नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड

4237, IIरा तल, नरेंद्र भवन, 1, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–110002
CIN: L7490DLI981PLC011425,
वेबसाइट: www.indogulfind.com, ई-मेल: rj.headoffice@gmail.com
31.12.2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों के विवरण का सार
(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त 3 महीने 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तत्स्थानीय पूर्व वर्ष में 3 महीने 31.12.2019 (अनंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	2585.49	246.95
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(187.46)	(4.06)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(187.46)	(4.06)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(187.46)	(4.06)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद शामिल)	(187.46)	(4.06)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	95.67	95.67
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	–	–
8.	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं तिमाही आँकड़ों के लिए)		
	क) मूलः	(1.96)	(0.04)
	ख) तरलः	(1.96)	(0.04)

टिप्पणी:
1) उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.indogulfind.com पर उपलब्ध है।
2. कंपनी के स्टैंडएलॉन परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 द्वारा संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) के अनुसार तैयार किया गया है। 1 अप्रैल, 2015 की संक्रमण तिथि के साथ कम्पनी ने इंड एएस अपनाई है एवं तदनुसार इन परिणामों (30 जून, 2016 को समाप्त अवधि के लिए, से शामिल) को इंड एएस 101 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। इंड एएस की अपेक्षा के अनुसार तथा 30 जून, 2017 को समाप्त चालू तिमाही के साथ उसे तुलनीय बनाने के लिए पहली बार भारतीय लेखा मानक के अंगीकरण को पुनर्प्रसारित किया गया। इन वित्तीय परिणामों को इंड एएस-34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अंतर्गत निर्दिष्ट पहचान तथा मापन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। सभी अवधियों के लिए प्रस्तुत उपरोक्त वित्तीय परिणामों की सांविधिक लेखा परीक्षकों ने "सीमित समीक्षा" की है।
3. सेबी सर्क्युलर CIR/CFD/CMD/15/ तिथि 30 नवम्बर, 2015 के माध्यम से निर्दिष्ट रूप में अनंकेक्षित तिमाही परिणामों का प्रारूप सेबी सर्क्युलर तिथि 5 जुलाई, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनियों के लिए लागू योग्य कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (प्रभाग) II के अनुसार अधिसूचित किया गया है जो इंड एएस के अनुसार अपेक्षित है।

इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
राजेश जैन
निदेशक
DIN: 01200520

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 13.2.2020

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी आवेदन सं..... 2020 का
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के (5) (ए) के मामले में
तथा
वाईएसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, शेयरों द्वारा मर्यादित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 22 डीडीए फ्लैट्स, पंचशील पार्क, शिवालिक रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 में है, के मामले में
..... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 22 डीडीए फ्लैट्स, पंचशील पार्क, शिवालिक रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली", से महाराष्ट्र भवन, सोनीपत रोड, रोहतक-124001, हरियाणा में "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार 6 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
वाईएसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
विपिन दहिया
निदेशक
DIN:02699077

तिथिः 25.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

फॉर्म सं0. आईएनसी-26
(कंपनीज (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार)
केंद्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
तथा
ऑर्चिड बिल्डप्रो प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") (CIN: U70109DL2009PTC187426) जिसका पंजीकृत कार्यालय: हाउस नं0. 35, ब्लॉक-जी, सेक्टर-13, साई अपार्टमेंट्स, रोहिणी, नई दिल्ली – 110085 में है के मामले में
.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"छत्तीसगढ़"** राज्य में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के सम्क्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए:

हाउस नं0. 35, ब्लॉक-जी, सेक्टर-13, साई अपार्टमेंट्स, रोहिणी, नई दिल्ली – 110085

कृते और आवेदक / याचिकाकर्ता की ओर से
कृते ऑर्चिड बिल्डप्रो प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
स्वप्निल संजय तेलंग
(निदेशक)
(DIN: 03641685)
आर/ओ: बी-6, सेंचुरी कॉलोनी दीन दयाल उपाध्याय नगर रायपुर-492010, छत्तीसगढ़
तिथि: 18 फरवरी, 2020
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म सं0. आईएनसी-26
(कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार)
केंद्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
तथा
एबी बिल्डप्रो प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") (CIN: U70100DL2009PTC192984) जिसका पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट नं0 58-एस, सेक्टर-7, जसोला, दिल्ली – 110025 में है के मामले में
.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"छत्तीसगढ़"** राज्य में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के सम्क्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए

फ्लैट नं0. 58-एस, सेक्टर-7, जसोला, दिल्ली – 110025

कृते और आवेदक / याचिकाकर्ता की ओर से
कृते एबी बिल्डप्रो प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
स्वप्निल संजय तेलंग
(निदेशक)
(DIN: 03641685)
आर/ओ: बी-6, सेंचुरी कॉलोनी दीन दयाल उपाध्याय नगर रायपुर-492010, छत्तीसगढ़
तिथि: 18 फरवरी, 2020
स्थान: नई दिल्ली

AVON MERCANTILE LIMITED

Regd. Office: S Global Knowledge Park, 19A & 19B, Sector-125, Noida-201301, Uttar Pradesh, Ph: 0120-4366444
CIN: L17118UP1985PLC026582

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 31ST DECEMBER, 2019

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	3 Months ended on 31.12.2019	Corresponding 3 months ended in the previous year on 31.12.2018	Preceding 3 months ended on 30.09.2019	Year ended on 31.03.2019
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
Total income from operations	194.93	157.13	151.52	607.74
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(35.15)	8.98	(27.98)	(6.48)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(35.15)	8.98	(27.98)	(6.48)
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(35.15)	5.89	(27.98)	(8.30)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(35.15)	5.89	(27.98)	(8.30)
Equity Share Capital	747.73	747.73	747.73	747.73
Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	–	–	–	506.05
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) :				
1. Basic	(0.47)	0.08	(0.37)	(0.11)
2. Diluted	(0.47)	0.08	(0.37)	(0.11)

Notes:
The above Unaudited Standalone Financial Results are reviewed by the Audit Committee, approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 14th February, 2020. Auditors Report, as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been carried out by the Statutory Auditors.
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are availaible on the Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com & www.cse-india.com and on the company's website i.e. www.avonmercantile.in.

For AVON MERCANTILE LIMITED
SD/-
(Kamalapati Kashyap)
Director
DIN: 02359002

Place : Noida
Date : 14.02.2020

केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर-8 रोहिणी, दिल्ली-110085

सत्र 2020-21 के लिए आपूर्तिकर्त्ता फर्मो के पंजीकरण हेतु विज्ञापन

कैंटीन, परिवहन (Transport), कम्प्यूटर संबंधी सामग्री एंव AMC, PA System, CCTV, Fire Extinguisher Refilling, खेल-कूद उपकरण एंव सामग्री, ऑफिस स्टेशनरी, प्रीटिंग स्टेशनरी, फर्नीचर आपूर्ति, इलैक्ट्रीकल, सैनेटरी एंव पलम्बिंग, टैंट का सामान की आपूर्ति संबंधित इच्छुक पंजीकृत फर्म GST Registration तथा किसी भी सरकारी संस्थान में 3-4 वर्षो के कार्यानुभव प्रमाणपत्र सहित विद्यालय वेबसाइट www.rohinisec8.kvs.ac.in से पंजीकरण फार्म डाउनलोड कर पंजीकरण हेतु **दिनांक 09.03.2020 के दोपहर 2:00 बजे तक** किसी भी कार्यदिवस में सभी साक्ष्य प्रमाणपत्रों सहित स्वयं या डाक से **प्रत्येक सामग्री एवं सेवा हेतु अलग-अलग भरे हुए फार्म ही** जमा करें।

नोटः- संबंधित प्रमाणपत्र संलग्न ना होने पर पंजीकृत स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्राचार्य

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
ए-11, सेक्टर-24, नोएडा-201301, जिला-गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)
फोन: 0120 2412294 एक्स: 2220 (CIN-L74899DL1974GOI007417)

संदर्भ सं.- NFL/CO/COMM/INDL.UREA/2020 दिनांक : 18.02.2020

ग्लोबल ई-निविदा आमंत्रण

भारत के पश्चिमी तट पर औद्योगिक उपयोग हेतु 10,000 MT ± 10% यूरिया (प्रिल्ड) की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें www.nationalfertilizers.com, www.eprocure.gov.in और tenderwizard.com/NFL (ई-निविदा सं. एनएफएल-1872). बोली जमा करने की अंतिम तिथि 11.03.2020 (14.30 बजे भारतीय समयानुसार). शुद्धिपत्र / परिशिष्ट, यदि कोई हो, उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

कार्यकारी निदेशक (सामग्री)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) पर्यटन मंत्रालय
उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय
छठा तल

मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान घटाकर 5.4 फीसद किया

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5.4 फीसद कर दिया है। इससे पहले इसके 6.6 फीसद रहने का अनुमान जताया गया था।

मूडीज ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले दो साल में सुस्ती आई है। हालांकि चालू तिमाही में आर्थिक गति सुधरने की उम्मीद है। रेटिंग एजंसी ने कहा, 'हमारा अनुमान है कि वृद्धि सुधरने की गति पहले के अनुमान से धीमी होगी। इसीलिए हमने 2020 की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5.4 फीसद और 2021 का 5.8 फीसद कर दिया है। यह हमारे 2020 और 2021 के बारे में पहले के क्रमशः 6.6 फीसद और 6.7 फीसद के अनुमान से कम है।'

अनुमान कैलेंडर वर्ष पर आधारित हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में पांच फीसद रही। मूडीज ने कहा है कि कमजोर अर्थव्यवस्था और कर्ज वृद्धि में नरमी का एक-दूसरे पर प्रतिकूल असर है, 'ऐसे में आर्थिक गति तेजी से सुधरने का अनुमान लगाना कठिन है...।' राजकोषीय मोर्चे पर उठाए गए कदम के बारे रिपोर्ट में कहा गया है कि मांग में नरमी से निपटने के लिए केंद्रीय बजट में ठोस प्रोत्साहन उपाए नहीं किए गए हैं, 'अन्य देशों के समान प्रकार के नीतिगत उपायों के अनुभवों से यही पता लगा है कि जब लोग जोखिम से बचने के मूड में हो जाते हैं तो करों में कटौती से उपभोग और निवेश व्यय में वृद्धि होने की संभावना कम ही रहती है।' मूडीज ने कहा कि उसे रिजर्व बैंक की तरफ से नीतिगत दर में नरम रुख की उम्मीद है। हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगर ऊंची बनी रहती है तो केंद्रीय बैंक के लिए नीतिगत दर में कटौती चुनौतीपूर्ण होगी। खुदरा मुद्रास्फीति में मौजूदा तेजी का कारण खाद्य वस्तुओं के दाम में उछाल है।

वैश्विक वृद्धि के बारे में साख निर्धारित करने वाली एजंसी ने कहा कि मूडीज कोरोना विषाणु के फैलने से इस साल वैश्विक वृद्धि में स्थिरता आने की उम्मीद धूमिल हुई है। वैश्विक वृद्धि के अनुमान को कम किया गया है और मूडीज ने जी-20 देशों की आर्थिक वृद्धि 2020 में 2.4 फीसद और 2021 में 2.8 फीसद रहने की संभावना जताई है। वहीं चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2020 में 5.2 फीसद और 2021 में 5.7 फीसद रहने का अनुमान जताया गया है।

पी-नोट के जरिए निवेश में लगातार गिरावट

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

देश के पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट (पी-नोट) के जरिए निवेश लगातार घट रहा है। दिसंबर 2019 तक घटकर यह 64,537 करोड़ रुपए पर आ गया जो 11 साल का न्यूनतम स्तर है।

पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआइ) उन विदेशी निवेशकों को पी-नोट जारी करते हैं जो सीधे तौर पर पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं। हालांकि उन्हें जांच-पड़ताल की प्रक्रिया से गुजरना होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़े के अनुसार भारतीय बाजार में पी-नोट निवेश का कुल मूल्य दिसंबर तक घटकर 64,537 करोड़ रुपए पर आ गया। इससे पहले नवंबर में यह 13 महीने के न्यूनतम स्तर 69,670 करोड़ रुपए पर आ गया था। ये निवेश शेयर, बांड और डेरिवेटिव में किए गए।

पी-नोट के जरिए पूंजी प्रवाह दिसंबर में फरवरी 2009 के बाद सबसे कम है। उस समय इसके माध्यम से निवेश 60,948 करोड़ रुपए था। नवंबर तक किए गए कुल निवेश में से 52,486 करोड़ रुपए शेयरों में, 11,415 करोड़ रुपए बांड में और 636 करोड़ रुपए डेरिवेटिव खंड में निवेश किए गए। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सेबी द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए नियमों को उदार किए जाने से पी-नोट के जरिए निवेश प्रभावित हो रहा है। इससे पहले, सेबी ने एफपीआइ के लिए केवाईसी जरूरतों और नियमन प्रक्रिया को सरल किया है।

बीज बाजार में गुणवत्ता की जरूरत : कृषि मंत्री

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि देश के बीज बाजार को निर्यात और आयात कारोबार में गुणवत्ता और पारदर्शिता रखनी होगी। तोमर ने यह भी जलवायु परिवर्तन के चालते कृषि क्षेत्र के सामने नयी चुनौतियां खड़ी हुई है। इससे निपटने के लिए अनुसंधान कार्य तेज करने की जरूरत है। तोमर यहां भारतीय बीज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आए सं. 595/2017
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम श्री गगन दीप कौर सोढी एवं अन्य
आवेदक प्रतिवादी
सेवा में,
1. मैसर्स एवीजे डेवलपर्स (इण्डिया) प्रा.लि. (प्रतिवादी सं. 03)
पंजीकृत कार्यालय : डी-237, प्रथम तल (पीछे की ओर) विवेक विहार, फेज-I, दिल्ली-110095, साथ ही: प्लॉट सं. जीएच-12/2, सेक्टर जीटा-1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
जबकि उपर्युक्त नामधारी आवेदक ने आपके विरुद्ध रु. 17,37,065/- (रुपये सत्रह लाख सैंतीस हजार पैंसठ मात्र) की वसूली हेतु एक मुकदमा दायर किया है और जबकि अधिकरण की सन्तुष्टि तक यह प्रदर्शित किया गया है कि आपके पास सामान्य ढंग से सूचना नहीं पहुँचाई जा सकती है। अतः विज्ञापन द्वारा आपको 18.03.2020 को 10.20 बजे प्रातः विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जा रहा है।
ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तिथि पर आपके उपस्थित होने में असफल रहने पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और फैसला किया जायेगा।
12 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित
इस अधिकरण के आदेशानुसार
कृते रजिस्ट्रार

सूचकांक 202 अंक गिरा

मुंबई, 17 फरवरी (भाषा)।

आर्थिक नरमी और कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर निवेशकों के सावधानी भरे रवैये एवं वित्तीय प्रभावों की चिंता के चलते सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए।

बीएसई का 30 कंपनियों के शेयरों का सूचकांक सेंसेक्स 202.05 अंक यानी 0.49 फीसद घटकर 41,055.69 अंक पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान इसमें 390 अंक का उतार-चढ़ाव देखा गया। इसी तरह एनएसई निफ्टी 67.75 अंक यानी 0.56 फीसद टूटकर 12,045.80 अंक पर बंद हुए।

सेंसेक्स में शामिल 19 कंपनियों के शेयर गिरकर बंद हुए। जबकि 11 कंपनियों के शेयर में तेजी का रुख दिखा। सेंसेक्स में शामिल ओएनजीसी का अक्तूबर-दिसंबर तिमाही का शुद्ध लाभ आधा रह जाने के चलते कंपनी का शेयर सबसे अधिक 3.20 फीसद तक गिर गया। इसके अलावा सन फार्मा, एनटीपीसी, बजाज ऑटो और एचडीएफसी के शेयर में 2.37 फीसद की गिरावट दर्ज की गई।

वहीं टाइटन, नेस्ले, टीसीएस, कोटक बैंक और टाटा स्टील के शेयर में 1.86 फीसद तक का उछाल देखा गया। क्षेत्रों के आधार पर तेल एवं गैस क्षेत्र की कंपनियों के शेयर में 2.39 फीसद तक, बिजली क्षेत्र की कंपनियों के शेयर में 1.76 फीसद तक, रियल्टी क्षेत्र की कंपनियों के शेयर में 1.53 फीसद तक और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की कंपनियों के शेयर में 1.50 फीसद तक गिरावट दर्ज की गई।

मूडीज इंवेस्टर्स सर्विसेस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.6 फीसद से घटाकर 5.4 फीसद कर दिया है। इससे भी निवेशकों की धारणा कमजोर रही। इस बीच कोरोना वायरस से दुनियाभर में मरने वालों की संख्या करीब 1,800 पहुंच गई। जबकि इससे प्रभावित लोगों की संख्या चीन में 70,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच ब्रेंट कच्चा तेल 0.07 फीसद गिरकर 57.28 डॉलर प्रति बैरल रहा।

दिसंबर में थी 100 साल की कड़ाके की सर्दी, दिल्ली में आइसक्रीम की खपत बढ़ी

नई दिल्ली, 17 फरवरी। दिल्ली-एनसीआर में जोरदार ठंड के मौसम में भी आइसक्रीम की खपत बढ़ी है। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में दिसंबर 2019 में आइसक्रीम की बिक्री में 17-18 फीसद वृद्धि दर्ज की गई। मदर डेयरी के अनुसार अनुसार दिल्ली एनसीआर में आइसक्रीम की खपत दिबंसर, 2018 की तुलना में दिसंबर, 2019 में 17-18 फीसद तक ऊंची रही। इस दौरान इस बार पूरे उत्तर भारत में 100 साल की सबसे कड़ाके की ठंड रही। अग्रणी डेयरी व आइसक्रीम ब्रांड मदर डेयरी के अनुसार इस बार दिसंबर में लोगों ने केवल 'स्पॉट ईटिंग' (विक्रेता के ठिकाने खाने की) आइसक्रीम और घर ले जा कर उपभोग के लिए बड़े पैकेटों दोनों प्रकार के पैक पर एक साल पहले से अधिक खर्च किया। (भाषा)

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
4 था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आ.ए. न. 857/2018
भारतीय स्टेट बैंक आवदेक
बनाम
श्री प्रशांत शेन्दे तथा अन्य प्रतिवादीगण
सेवा में, 1. श्री प्रशांत शेन्दे (ऋणधारक) पुत्र श्री बामन राव शेन्दे, क्वा. नं. 12, टाइप-III, आई एच बी ए एस कैम्पस, जी.टी. रोड, जी.टी.बी हॉस्पीटल के निकट, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, नई दिल्ली-110095, दूसरा पताः एस.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर, 79 ए, दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली-110095, तीसरा पताः मानव व्यवहार तथा संबंधित विज्ञान संस्थान, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार, शाहदरा, नई दिल्ली-110032
2. मै. मंजू जे होम्स इंडिया लि.(बिल्डर) पंजीकृत कार्यालयः सी-294, 1 ला तल, विवेक विहार, दिल्ली-110095, दूसरा पताः सी-10, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011
तीसरा पताः खसरा नं. 1108, 1109 तथा 1110, रेड एपल होम्ज, मोर्टा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201003, चौथा पताः 2-सी, डीडीए फ्लैट्स, निर्माण विहार, नई दिल्ली 110092, पांचवा पताः राष्ट्रीय राजमार्ग-58, डीपीएस स्कूल के निकट, मेरठ रोड, राजनगर एक्स्टेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201017
जैसा कि, ऊपर नामित आवेदक ने रु. 25,61,323.92/- (रुपये पच्चीस लाख इकसठ हजार तीन सौ तेइस तथा पैसे बानवे मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 10.07.2020 को 10.30 पूर्वा. में माननीय विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में हीं की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 6 फरवरी, 2020 को दी गई।
अधिकरण के आदेश से रजिस्ट्रार के लिये

अनुसूची II
"प्रपत्र ख"
सार्वजनिक घोषणा
[दिवाला और शोधन अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 का विनियम 12]
एप्पल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के हितधारकों के अवधानार्थ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एप्पल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	11-03-2008
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	सीआईएन : U74120DL2008PLC175180
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : इकाई सं. 701-ए, 7वीं मंजिल, डीडी-आईटीएल,, टॉवर प्लॉट सं. बी-8, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110034, भारत कॉर्पोरेट कार्यालय : बी-16, सेक्टर-2, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश कार्य का पता : डी-हिरेहल, जिला अनन्तापुर, आन्ध्र प्रदेश-515872
6.	परिसमापन प्रक्रिया की अन्तिम तिथि	5 फरवरी, 2020 (330 दिन की पूर्णता)
7.	कार्पोरेट देनदार के परिसमापन के आरंभन की तिथि	13 फरवरी, 2020
8.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	श्री राकेश कुमार सिंगला पता : 1/6, ब्लॉक-एक्स, लेन नं. 4, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-110053 Csrakeshsingala@gmail.com; Appleindustries.cirp@gmail.com मोबाइल : 09313324356 पंजीकरण सं. : Ibbi/ipa-002/ip-N00581/2017-18/11744
9.	दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	13 मार्च, 2020

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (पीठ का नाम) ने दिनांक 13 फरवरी, 2020 को एप्पल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का आदेश दिया है।
एतद्वारा एप्पल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के हितधारकों को मद सं. 8 के सम्मुख उल्लिखित परिसमापक के पते पर प्रमाण सहित अपने दावे का प्रमाण 13 मार्च, 2020 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।
ह./-
राकेश कुमार सिंगला
दिनांक : 18.02.2020 परिसमापक
स्थान : नई दिल्ली एप्पल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में (परिसमापनाधीन)

वसूली अधिकारी का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विक्रय घोषणा सूचना
आर.सी. सं. 385/2016
पंजाबन नैशनल बैंक बनाम श्री राजीव जिंदल
बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा
सीडी1: श्री राजीव जिंदल, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल, हॉउस नं. एफ -61, दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन के पास, नई दिल्ली -110095
इसके अलावाः एफ-02, फर्स्ट फ्लोर, बैक साइड, सी-223, एसएलएफ वेद विहार, लोनी, गाजियाबाद, यूपी
इसके अलावाः मैसर्स जिंदल ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, एट यू.पी. सीमा, पी.ओ. चिकम पुर, गाजियाबाद यूपी 201006
सीडी2: श्री सुनील कुमार जिंदल, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल, हॉउस नं. एफ -61, दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन के पास, नई दिल्ली -110095 गार्डन के पास, नई दिल्ली 110095

1. जैसा की सुट की संस्थापन की तिथी से रिकवरी प्रमाण पत्र के अनुसार 26000/- की लगतों तथा चार्जो की साथ प्रमाण पत्र देनदारों से 12.5 प्रतिशत वर्ष ब्याज के साथ प्रतिवादीयों के विरूद रूपये 23,54382/- की राशि की वसूली के लिए पिठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकारी द्वारा ओ5 नं. 108/2015 दिनांक 25.11.2016 में वसूली प्रमाण पत्र संख्या 385/2016 तैयार किया गया है।
2. और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र के समाशोधन में नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. और जबकि रू. 23,54,382 की राशि दिनांक 23.03.2015 की प्रभावी तिथि से 12.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित देय होगी।
4. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगनादेश नहीं होने की स्थिति में उक्त सम्पत्ति की बिक्री 19.03.2020 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक अप. 04.00 बजे के बाद 05 मिनट अवधि के विस्तार, यदि अपेक्षित होगा, के साथ ई-नीलामी द्वारा की जाएगी तथा बोलीदान वेबसाइट : www.pnbindia.biz के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बोलीदान" द्वारा किया जाएगा।
5. उपरोक्त नामक सीडी'ज की नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़े दावे और देयताएं, जहां तक अभिनिश्चित की जा सकी हैं, प्रत्येक लॉट के सामने तालिका में विनिर्दिष्ट की गई हैं।
6. सम्पत्ति की बिक्री तालिका में विनिर्दिष्ट लॉट्स में की जाएगी। यदि सम्पत्ति के एक अंश की बिक्री से वसूली राशि पूरी हो जाती है, तब शेष सम्पत्ति की बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी। बिक्री तब भी रोक दी जाएगी यदि, किसी लॉट की बिक्री से पहले, उक्त प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, लागतों (बिक्री की लागत सहित) सहित, बिक्री संचालित कर रहे अधिकारी को सौंप दी जाती है अथवा उसकी संतुष्टि हेतु प्रमाण दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि ब्याज तथा लागतों सहित अधोहस्ताक्षरी को अदा की जा चुकी है।
7. इस बिक्री के संबंध में ड्यूटी कर रहा कोई अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति, बिक्री की जा रही सम्पत्ति में, कोई हित अर्जित करने या अर्जित करने का प्रयास करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बोली नहीं लगाएगा।
8. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची मे निर्धारित शर्तों और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा उसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के तहत की जाएगी।
8.1 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्यकथन अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
8.2 सुरक्षित मूल्य, सम्पत्ति का प्रथम लॉट, जिससे कम पर, नहीं बेचा जाएगा रू. 17.82 लाख है
8.3 इच्छुक बोलीदाता को रू. 1.78 लाखकी धरोहर राशि जमा (ईएमडी) "वसूली अधिकारी-I, डीआरटी- I, दिल्ली खाता आर.सी. सं. "385/16" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर खाता नं. पंजाब नैशनल बैंक नजफगढ खाता संख्या 1519003171160 (आईएफएससी कोड पीयूएनबी0151900) के रूप में अधिकतम 17.03.2020 तक अप. 3.00 बजे से पहले जमा करनी होगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी नीलामी में भाग लेने हेतु स्वीकार्य नहीं होगी। उक्त जमा राशि सफल बोलीदाताओं के मामले में समायोजित की जाएगी। असफल बोलीदाता अपनी ईएमडी वसूली अधिकारी-I, डीआरटी- I, दिल्ली से ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया समाप्त होने के शीघ्र पश्चात प्राप्त कर सकते हैं।
8.4 इच्छुक बोलीदाता जिसने अपनी बोली, जो सुरक्षित मूल्य से कम नहीं है, पैन कार्ड, पता प्रमाण तथा पहचान प्रमाण इत्यादि की प्रति के साथ अधिकतम 17.03.2020 तक अप. 3.00 बजे से पहले वसूली अधिकारी-I, डीआरटी- I, दिल्ली के कार्यालय में जमा की है दिनांक 19.03.2020 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य होगा। नीलामी समाप्त होने के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने पर समापन अवधि स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
8.5 बोली 50,000.00 (रू. पचास हजार मात्र) के गुणजों में बढ़ाई जा सकती है। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में लॉट की नीलामी नए सिरे से की जाएगी।
8.6 किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि उसके द्वारा लगाई गई बोली सुरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
8.7 सफल/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर, ईएमडी समायोजन के बाद, ई-नीलामी समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर " वसूली अधिकारी-I, डीआरटी- I, दिल्ली खाता आर.सी. सं. 385/2016" के पक्ष में तैयार करना होगा तथा वसूली अधिकारी के कार्यालय में इस प्रकार भेजना/जमा करना होगा कि ई-नीलामी समाप्त होने के 3 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए/पहुंच जाए, जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।
8.8 सफल/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 75 प्रतिशत राशि "वसूली अधिकारी-I, डीआरटी- I, दिल्ली खाता आर.सी. सं. 385/2016" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा वसूली अधिकारी-I, डीआरटी- I, दिल्ली के पास सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से, उस तिथि को छोड़कर, 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को रू. 1,000/- तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर निरोध शुल्क रजिस्ट्रार, डीआरटी- I, दिल्ली के पक्ष में जमा करनी होगी। (यदि 75 प्रतिशत की शेष राशि डाक द्वारा जमा की जाती है तो यह उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।)
8.9 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, बिक्री के व्यय काटने के बाद, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, चूककर्ता क्रेता के सभी दावे जब्त मान्य होंगे।
9. सम्पत्ति की बिक्री "जैसी है जहां है आधार" पर की जा रही है।
10. अधोहस्ताक्षरी के पास कोई भी या सभी बोलियां स्वीकार या अस्वीकार करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती हैं, अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय बिक्री प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सम्पत्ति की अनुसूची

लॉट संख्या	बिक्री की जा रही सम्पत्ति का वर्णन,	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	सम्पत्ति के संबध में देय किसी ऋणभार का विवरण	सम्पत्ति के बाबत पेश किया गया कोई दावा तथा अन्य कोई ज्ञात विवरण जो सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य को प्रभावित करता है।
1.	फलैट नं. सी 223/एफ-2, फस्ट फलोर बिना छत के पार्ट ऑफ प्रोपर्टी सी 223 खसरा नं. 422 एसएसएफ वेद विहार विलेज सद्दूला बाद लोनी जिला गाजियाबाद यूपी। क्षेत्रफल 100 वर्ग गज। यह प्रोपर्टी फ्री होल्ड है। चौहदी उत्तर में एंट्री रोड, पूर्व में फलैट नं. एफ-1, दक्षिण में अन्यय प्रोपर्टी पश्चिम में प्लॉट नं. 224	कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई		

मेरे हस्ताक्षर और मोहर लगाकर 6 फरवरी 2020 को दिया गया।
(जितेन्द्र कुमार)
वसूली अधिकारी-I, डीआरटी- I, दिल्ली

आस्ति की बिक्री हेतु सूचना
दिवाला और ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन
पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापक का पता :
आईबीबीआई रेकार्ड्स के अनुसार : 303, चन्द्रा जीएचएस लिमिटेड, गोल्फ कोर्स रोड, प्लॉट नंबर 64, सेक्टर-55 गुरुग्राम, हरियाणा-122001
पत्रव्यवहार हेतु पता : अनिल कुमार,
मोबाइल नंबर : +91 9873121883 / 91 9999458899
ईमेल आईडी : anil2566@gmail.com, pearl.cirp@gmail.com
पता : तृतीय तल, सी-108, कॉएमएसआर कोटारी हाउस, सेक्टर-2, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
लैंडलाइन नंबर : 0120 4566433
एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित सम्पत्तियां ऑनलाइन ई-नीलामी द्वारा बेची जा रही हैं

लॉट संख्या	आस्ति का संक्षिप्त वर्णन	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
1.	19वां तल, लोटस नीलकमल बिजनेस पार्क, ओशीवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई-450053, परिमाप 667.40 वर्ग मीटर	रू 12,50,00,000	रू 1,00,00,000
2.	द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 2ए, लैंड मार्क बिल्डिंग, बान्द्रा (वेस्ट), मुंबई, परिमाप 2422 वर्ग फीट	रू 14,00,00,000	रू 1,00,00,000

सम्पत्ति निरीक्षण तिथि : 23 फरवरी 2020
ईएमडी तथा केवाईसी जमा करने की अंतिम तिथि : 28 फरवरी, 2020
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 02 मार्च, 2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक
निरीक्षण हेतु सम्पर्क करें : श्री अनिल कुमार
सम्पर्क नंबर : +919873121883/919999458899
ई-मेल आईडी : anil2566@gmail.com
ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए निविदा दस्तावेज देखें, जो निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है : http://www.eauctions.co.in
ई-नीलामी के विस्तृत विवरण के लिए श्री दीक्षित प्रजापति (एम- 7874138237) admin@eauctions.co.in पर सम्पर्क करें अथवा परिसमापक से anil2566@gmail.com पर सम्पर्क करें। इच्छुक बोलीदाताओं से इसका देखने तथा उसके लिए बोली देने का अनुरोध किया जाता है।
नियम एवं शर्तें
1. ई-नीलामी "जैसा है जहां है", जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" कोई वापसी नहीं आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता लिंकस्टार इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संचालित की जाएगी। निविदा दस्तावेज जिसमें ऑनलाइन-नीलामी बिड फार्म, घोषणा तथा वचनपत्र फार्म, ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के साधारण नियम एवं शर्तें दी गई है वेबसाइट https://eauctions.co.in पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें : श्री दीक्षित प्रजापति (एम- 7874138237)।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, ऋणधार, सम्पत्ति के स्वामित्व, सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच तथा सम्पत्ति का निरीक्षण अपने स्तर के खर्च पर कर लेना चाहिए तथा अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए।
किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, कृपया सम्पर्क करें :
क श्री अनिल कुमार, एम +91 9873121883 / 91 9999458899, ई-मेल आईडी anil2566@gmail.com
ख श्री सुशीमन दास, सम्पर्क नंबर +91 8794982807, ई-मेल आईडी : pearl.cirp@gmail.com
3. इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से निम्नलिखित बैंक खाते में जमा करनी होगी
बैंक का नाम इंडियन ओवरसीज बैंक
बैंक पता प्रीत विहार शाखा, ब्लॉक-ए, नरूला मार्केट, नई दिल्ली
खाता धारक का नाम मैसर्स पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड एस्क्रो खाता (परिसमापन में)
बैंक खाता नंबर 130502000002223
आईएफएससी कोड IOBA0001305
शाखा प्रबंधक का सम्पर्क विवरण : श्री निवेर कान्त, एम : 91 999977338
4. इच्छुक बोलीदाता को ईएमडी जमा हेतु साक्ष्य और ई-नीलामी में प्रतिभागिता हेतु अनुरोध पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रति परिसमापक के कार्यालय में 28 फरवरी, 2020 को अथवा पूर्व जमा करने चाहिए अथवा ई-मेल द्वारा भेजने चाहिए: (1) पहचान का प्रमाण (2) वर्तमान पता प्रमाण (3) पैन कार्ड (4) वैध ई-मेल आईडी (5) सम्पर्क नंबर।
5. पोर्टल (https://eauctions.co.in) पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य बोलीदाताओं को नाम परिसमापक द्वारा चिह्नित किए जाएंगे। ई-नीलामी सेवा प्रदाता लिंकस्टार ग्राह्य बोलीदाताओं को यूजर आईडी और पासवर्ड ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराएगा।
6. परिसमापन में कम्पनी की आस्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। नीलामी सुरक्षित मूल्य से एक वृद्धि अधिक पर आरंभ होगी तथा बोलीदाता बोली वृद्धि राशि से अपनी ऑफर में सुधार द्वारा परस्पर बोलीदान के लिए स्वतंत्र होंगे।
7. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिक्री राशि के भाग के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को उपरिवर्णित ईएमडी राशि परिसमापक द्वारा बोली स्वीकार किए जा

नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार

मुंबई, 17 फरवरी (भाषा)।

पुलिस ने नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में 55 वर्षीय एक गिटार टीचर को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोपी भारत पांचाल उर्फ राजू ने अंधेरी उपनगरीय में स्थित अपने घर में पीड़िता को संगीत सिखाने के दौरान वर्ष 2007-2009 के बीच तीन वर्षों तक उसका यौन उत्पीड़न किया।

उन्होंने बताया कि जिस वक्त आरोपी ने छात्रा का उत्पीड़न शुरू किया, उस समय पीड़िता नाबालिग थी। इसके तीन साल बाद पीड़िता उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई थी। अब अमेरिका के कॉलेज में पढ़ रही पीड़िता रविवार को यहां पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

एर्दोगान के बयान पर भारत ने 'डिमार्शे' जारी किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के कश्मीर वाले बयान को लेकर सोमवार को कड़े शब्दों में 'डिमार्शे' (आपत्तिपत्र) जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में जारी बयान में कहा कि एर्दोगान के बयान में ना तो इतिहास की समझ झलकती है और ना ही कूटनीतिक आचरण दिखाई देता है। इसका तुर्की के साथ भारत के संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा। सचिव (पश्चिम) विकास स्वरूप ने तुर्की के राजदूत को तलब कर डिमार्शे सौंपा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान द्वारा सीमापार आतंकवाद को अंजाम देने को जायज ठहराने के तुर्की के बार-बार किए जा रहे प्रयासों को खारिज कर दिया है।

रवीश कुमार

विदेश मंत्रालय ने **अपने आपत्तिपत्र में कहा, 'भारत ने राष्ट्रपति एर्दोगान द्वारा इस्लामाबाद की उनकी हालिया यात्रा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयानों पर कड़ा डिमार्शे जारी किया है। यह बयान ना तो इतिहास की समझ झलकाता है और ना ही कूटनीतिक आचरण।'**

पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र को शुक्रवार को दिए संबोधन में एर्दोगान ने कहा कि कश्मीरी जनता का 'संघर्ष' प्रथम विश्व युद्ध में विदेशी ताकतों के खिलाफ तुर्की की जनता की लड़ाई की तरह है। उसने कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामाबाद का समर्थन किया। इसको लेकर रवीश कुमार ने बयान में कहा, 'भारत ने राष्ट्रपति एर्दोगान द्वारा इस्लामाबाद की उनकी हालिया यात्रा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयानों पर कड़ा डिमार्शे जारी किया है।

यह बयान ना तो इतिहास की समझ झलकाता है और ना ही कूटनीतिक आचरण।' उन्होंने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति के बयान ने पहले के घटनाक्रम को बेकार कर दिया और वर्तमान को लेकर राष्ट्रपति की संकीर्ण सोच प्रदर्शित की है। कुमार के मुताबिक, 'हालिया घटनाक्रम ने अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की तुर्की की प्रवृत्ति का एक और उदाहरण पेश किया है। भारत इसे पूरी तरह अस्वीकार्य करता है।'

गांधी जी स्वयं को कट्टर सनातनी हिंदू मानते थे : भागवत

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि महात्मा गांधी को कभी स्वयं के हिंदू होने पर लज्जा नहीं हुई और उन्होंने अनेक बार अपने को कट्टर सनातनी हिंदू बताया था।

भागवत ने यहां महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि गांधी जी ने इस बात को समझा था कि भारत का भाग्य बदलने के लिए पहले भारत को समझना पड़ेगा और इसके लिए वह साल भर भारत में घूमे। भागवत ने कहा कि इसके लिए उन्होंने (महात्मा गांधी ने) स्वयं को भारत के सामान्य जनों की आशा आकांक्षाओं से उनकी पीड़ाओं से एकरूप होकर यह सारा विचार किया और इस विचार की दृष्टि का मूल हर भारतीय था इसीलिए उनको (गांधी जी) अपने हिंदू होने की कभी लज्जा नहीं हुई।

भागवत ने कहा कि गांधी जी ने कई बार कहा था कि मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूं और ये भी कहा कि कट्टर सनातनी हिंदू हूं, इसलिए पूजा पद्धति के भेद को मैं नहीं मानता हूं। इसलिए अपनी श्रद्धा पर पक्के रहो और दूसरों की श्रद्धा का सम्मान करो और मिलजुल कर रहो। शिक्षाविद जगमोहन सिंह राजपूत के जरिए लिखित पुस्तक 'गांधी को समझने का यही समय' के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि यह सही है कि गांधी के सपनों का भारत अभी नहीं बन पाया है।

उन्होंने कहा कि 20 साल पहले मैं कहता था कि गांधी जी की कल्पना का भारत अभी नहीं बन पाया है, आगे बन पाएगा या नहीं, पता नहीं। यह असंभव लगता था, लेकिन देश भर में घूमने के बाद मैं कह सकता हूं कि आज गांधी के सपनों का साकार होना प्रारंभ हो गया है और जिस नई पीढ़ी की आप चिंता कर रहे हैं वह नई पीढ़ी ही उन सपनों को पूरा करेगी।

दिल्ली में कांग्रेस के कारण हारे : भाजपा सांसद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

हरियाणा के करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने सोमवार को दावा किया कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा को कांग्रेस की वजह से पराजय का मुंह देखना पड़ा। भाटिया ने कहा कि असल में कांग्रेस सहित अन्य दल अपना पहले का वोट भी नहीं हासिल कर पाए, जिसके परिणामस्वरूप आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी जीत हासिल हो गई।

सांसद भाटिया ने हरियाणा भवन में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वे खुद करीब एक सप्ताह तक दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार का चुनाव प्रबंधन संभालते रहे और उन्होंने दिल्ली के चुनाव को बेहद करीब से देखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिलकुल औंधे मुंह गिर पड़ी और अपना वोट शेयर तक नहीं ले पाई। दिल्ली में आप की जीत को क्षेत्रीय दलों के उभार से जोड़े जाने संबंधी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान को लेकर पूछने पर भाजपा सांसद ने कहा कि यह बात सही है कि क्षेत्रीय दलों के लिए कुछ भी कहना आसान होता है क्योंकि उनको एक सीमित दायरे में काम करना होता है। हरियाणा सरकार के सौ दिन पूरे होने के बाद सरकार के कामकाज को ऐतिहासिक करार देते हुए भाटिया ने विपक्षी कांग्रेस और खास तौर पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि जिनकी खुद की सरकार लगातार आरोपों के घेरे में रही हो, वह इस सरकार को लेकर सवाल कैसे खड़े कर सकता है। भजपा व जेजेपी गठबंधन सरकार के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि बीते सौ दिनों में सरकार आपस में विचार विमर्श कर के ही फैसले ले रही है। जहां तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम का सवाल है तो वह भी वक्त रहते सामने आ जाएगा।

राजस्थान : परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा

जयपुर, 17 फरवरी (भाषा)।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने राज्य के परिवहन विभाग में वाहन मालिकों को डरा-धमका कर उनसे वसूली करने के बड़े मामले के खुलासे का दावा करते हुए एक परिवहन निरीक्षक और एक दलाल को पकड़ा है।

ब्यूरो ने रविवार देर रात इस मामले में परिवहन विभाग के सात अधिकारियों और नौ दलालों को हिरासत में ले कर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें करीब एक करोड़ बीस लाख रुपए नगद, प्रॉपर्टी के दस्तावेज तथा मध्यस्थ दलालों के पास से रिश्वत लेनदेन की सूचियों सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए। यह मामला सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में उठा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संवाददाताओं से कहा कि यह कार्रवाई विभाग में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुई है। एसीबी के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि ब्यूरो को परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा दलालों के जरिए वाहन मालिकों को डरा-धमकाकर मासिक बंधी के रूप में रिश्वत राशि प्राप्त करने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि इसकी गुपचुप तरीके से जांच की गई और शिकायत सही पाई गई। इसके बाद परिवहन निरीक्षक उदयवीर सिंह को दलाल मनीष मिश्रा द्वारा चालीस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके अलावा मनीष मिश्रा के पास कथित रूप से अन्य अधिकारियों को मासिक बंधी देने के लिए रखे एक लाख बीस हजार रुपए भी जब्त किए गए।

वुहान अभियान : एअर इंडिया के चालक दल और चिकित्साकर्मी किए गए सम्मानित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 फरवरी।

कोरोना वायरस से प्रभावित चीनी शहर वुहान से 647 भारतीयों के साथ ही मालदीव के सात नागरिकों को सफलतापूर्वक बाहर निकालने के अभियान में शामिल एअर इंडिया की दो उड़ानों के चालक दल के 68 सदस्यों, छह डॉक्टरों और चार नर्सिंग स्टाफ के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्ताक्षर किया हुआ प्रशस्तिपत्र मिला है।

नागर उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अलग-अलग कार्यक्रमों में चालक दल और डॉक्टरों के दल के सदस्यों को प्रशस्तिपत्र सौंपा। एअर इंडिया ने 31 जनवरी को बी747 विमान की मदद से पहली खेप में 324 भारतीयों को वुहान से निकाला था। दूसरी खेप में एक फरवरी को वुहान से 323 भारतीयों और मालदीव के सात नागरिकों को वापस लाया गया।

***सम्मान*, अभियान में शामिल एअर इंडिया की दो उड़ानों के चालक दल के 68 सदस्यों, छह डॉक्टरों और चार नर्सिंग स्टाफ के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्ताक्षर किया हुआ प्रशस्तिपत्र मिला।**

पुरी ने कहा कि यह आयोजन कई मामलों में अनोखा है। यह पेशेवराना रवैये की नई ऊंचाई को दर्शाता है। यह उनके लिए अच्छा उदाहरण पेश करता है जिनकी प्रकृति भले ही व्यावसायिक है लेकिन वे देश के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि एअर इंडिया हमेशा से पहले दर्जे की संपत्ति रहा है। आज इस कंपनी के विमान 42 अंतरराष्ट्रीय और 82 घरेलू जगहों से उड़ान भरते हैं... लेकिन उससे भी महत्त्वपूर्ण है कि एअर इंडिया गुणवत्ता और उत्कृष्टता को दर्शाता है।

वहीं, हर्षवर्धन ने मेडिकल स्टॉफ की टीम में शामिल सभी सदस्यों को बधाई दी और कहा कि मेडिकल पेशा सिर्फ कर्तव्य ही नहीं बल्कि अपने देशवासियों की मदद की जिम्मेदारी भी है। इस टीम में राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल के स्टाफ के सदस्य शामिल थे। सभी को प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर किया गया एक-एक प्रशस्तिपत्र दिया गया।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः 66, जनपथ, नई दिल्ली-110001
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **04/12/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री उपेन्द्र कुमार सिंह एवं श्रीमती चंचल पटेल,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.19,38,850/- (उन्नीस लाख अड़तीस हजार आठ सौ पचास रूपये मात्र) अर्जित ब्याज के साथ** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 14 फरवरी, 2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.19,38,850/- (उन्नीस लाख अड़तीस हजार आठ सौ पचास रूपये मात्र) और उस पर 04.12.2019 से ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा। **ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।**

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पूर्ण पहली मंजिल (बिना छत अधिकार के) आवासीय फ्लैट असर सं. डब्ल्यूजेड-400, प्लॉट नं.सीई-1, गाँव तिहाड़ कालोनी के क्षेत्र में स्थित 4 मंजिला ईमारत में खसरा सं.2055 से 2058 तक का हिस्सा, ब्लॉक-सी, हरि नगर, क्लॉक टॉवर, नई दिल्ली-110064 के नाम से जाना जाता है। जो घिरा हैः-

उत्तरः उक्त सम्पत्ति का भाग
दक्षिणः 20 फीट चौड़ी गली
पूर्वः श्री गुप्ता की सम्पत्ति
पश्चिमः श्री अरोड़ा की सम्पत्ति

तिथिः 14.02.2020
स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
सर्वेश्वर क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	सर्वेश्वर क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	22/02/2008
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U18109DL2008PTC174410
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** सीआर-274 ललिता पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली -110092 **प्रधान कार्यालयः** बी -152, सैक्टर 63, नोएडा यूपी
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	13/02/2020 (NCLT आदेश 17/02/2020 को प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	15/08/2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**नामः मनोहरलाल विज** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	204, सीए अपार्टमेंट, ए -3, पश्चिम विहार, नई दिल्ली -110063 **ईमेल:** mlv1956@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	एवीएम रेजोलूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी (IPE) **कॉर्पोरेट कार्यालयः** 8/28, तीसरी मंजिल, WEA, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005 **ईमेल:** cirp.sarveshwar@avmresolution.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	02/03/2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (ठक) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	कुछ नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत पंजिकाओं का विवरण जहां उपलब्ध है	(क) वेबलिंक https://ibbi.gov.in/home/downloads एवीएम रेजोलूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी (IPE) 8/28, तीसरी मंजिल, WEA, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 (ख) भौतिक पता : लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **13 फरवरी 2020** को **सर्वेश्वर क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (आदेश की प्रति 17/02/2020 को प्राप्त हुई)

सर्वेश्वर क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **02 मार्च 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष फॉर्म 10 के समक्ष वर्णित रूप पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के कर्जों अथवा प्रमाक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
मनोहरलाल विज
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269

दिनांक-17 फरवरी 2020
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र-'जी'
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन
प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	वाई एम फूड्वेज़ प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03/11/2006
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15203DL2006PTC184621
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	बी -14 कार्यालय नं. 302ए तीसरी मंजिल, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरम्भ की तिथि	21/11/2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	18/02/2020
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता	विवरण "cirp.ymf@gmail.com" पर ईमेल करके मांगा जा सकता है।
9.	धारा 29क के अधीन तत्गु अनाहता के मानदंड	दिवाला और शोध-अक्षमता कोड, 2016 की धारा 29 ए और अन्य प्रावधानों के अनुसार, विवरण "cirp.ymf@gmail.com" पर ईमेल द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	04/03/2020
11.	समावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	14/03/2020
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	19/03/2020
13.	समावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	29/03/2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	19/03/2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की तिथि	विवरण "cirp.ymf@gmail.com" पर ईमेल करके मांगा जा सकता है।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	17/04/2020
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की तिथि	cirp.ymf@gmail.com पर ईमेल करके और स्पीड पोस्ट द्वारा ए -62 बेसमेंट, डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली - 110024
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	01/05/2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**अमित कौशल** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-002/IP-N00041/2016-17/10080
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**अमित कौशल** ए-62, बेसमेंट, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 **ईमेल:** aka_pcs@yahoo.com
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**पत्राचार पताः** ए-62 बेसमेंट, डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली - 110024 **ईमेल:** cirp.ymf@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण यदि अथवा के पास उपलब्ध है	"cirp.ymf@gmail.com" पर ईमेल करके जानकारी मांगी जा सकती है
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	18/02/2020

हस्ता/-
अमित कौशल
वाई एम फूड्वेज़ प्राइवेट लिमिटेड के लिए समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00041/2016-17/10080

तिथि : 17.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र - 'जी'
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क(1)के अधीन]
प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मस्ताना फूड प्राईवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	3 मार्च 1998
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज- दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान/संख्या सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15313DL1999PTC098638
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** 2846, प्रथम तल, गली रघु नंदन, नया बाजार, दिल्ली-110006
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	18 सितम्बर 2019
7.	अभिरुची की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	18 फरवरी 2020 (संशोधित)
8.	संहिता की धारा 25(2)(जी) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता	अभिरुची की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण का विस्तृत विवरण मास्टर मानदण्ड के साथ श्री अशोक कुमार जुनेजा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, 1203, 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, के पास उपलब्ध है। वही ईमेल ip.mastanafoods@gmail.com के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29क के अधीन अयोग्यता के मानदण्ड यहां पर उपलब्ध है	अयोग्यता के मानदण्ड IBC 2016 की धारा 29 क के अनुसार, IBBI की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ip.mastanafoods@gmail.com पर ईमेल करके भी प्राप्त कर सकते हैं
10.	अभिरुची की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	4 मार्च 2020
11.	समावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	9 मार्च 2020
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	14 मार्च 2020
13.	समावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	19 मार्च 2020*
14.	संभावित समाधान आवेदकों को, सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	14 मार्च 2020
15.	समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि	अतिरिक्त/अंतिम सूची में शामिल समावित रिजोल्यूशन आवेदक(ओं) को मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन रिजोल्यूशन प्लान ईमेल ip.mastanafoods@gmail.com पर अनुरोध करने पर प्रदान किया जायेगा। वही सभी आवेदक(ओं) द्वारा एक गोपनीयता अण्डरटेकिंग दाखिल करने के बाद प्रदान किया जायेगा।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	12 अप्रैल 2020*
17.	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को समाधान योजना दाखिल करने की विधि	मस्ताना फूड प्राईवेट लिमिटेड के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल श्री अशोक कुमार जुनेजा के नाम 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या हाथ से डिलीवरी के माध्यम से
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	12 मई 2020*
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	नाम : श्री अशोक कुमार जुनेजा **रजिस्ट्रेशन नंबर:** IBBI/IPA-002/IP-N00117/2017-18/10286
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	श्री अशोक कुमार जुनेजा 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल: ashokjuneja@gmail.com
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस नई दिल्ली-110001 ईमेल: ip.mastanafoods@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण यदि अथवा के पास उपलब्ध है	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल श्री अशोक कुमार जुनेजा 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल: ip.mastanafoods@gmail.com
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि (संशोधित)	18 फरवरी 2020

* माननीय न्यायिक प्राधिकरण द्वारा समय के विस्तार का विषय

हस्ता.
अशोक कुमार जुनेजा
रजिस्ट्रेशन नंबर.: :IBBI/IPA-002/IP-N00117/2017-18/10286
पंजी. पताः 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल
मस्ताना फूड प्राइवेट लिमिटेड के लिये

दिनांकः 17.02.2020, स्थानः नई दिल्ली

एसपीए कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : 25, सी-ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
वेबसाइट : http://www.spacapital.com/CapitalServices/
सीआईएन : L65910DL1984PLC018749, फोन : 011-45586600, 45675500, ई-मेल : listing@spacapital.com
31-12-2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण
(राशि करोड़ में सिवाय शेयर्स तथा ईपीएस)

क्र. सं.	विवरण	3 माह समाप्त 31 दिसम्बर, 2019	3 माह समाप्त 31 दिसम्बर, 2018	9 माह समाप्त 31 दिसम्बर, 2019
1	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	7.451	9.796	21.743
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	0.101	0.160	0.116
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.101	0.120	0.108
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.068	0.092	0.058
5	अवधि हेतु कुल समावेशी आय (जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है)	-0.871	0.092	-0.880
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	3074225	3074225	3074225
7	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)			
	मूल	-2.832	0.299	-2.864
	तनुकृत	-2.832	0.299	-2.864

नोट :
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए गए 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक ए

तेजस ट्रेनों की कमाई के खुलासे से आइआरसीटीसी का इनकार

कहा, सूचना कंपनी के वाणिज्यिक ब्योरे और व्यापार गोपनीयता से जुड़ी है

इंदौर, 17 फरवरी (भाषा)।

भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आइआरसीटीसी) ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत यह बताने से साफ इनकार कर दिया है कि तेजस ट्रेनें चलाने से उसे कितनी कमाई हो रही है।

इस सिलसिले में मांगी गई जानकारी साझा नहीं किए जाने के पीछे आइआरसीटीसी की दलील है कि यह सूचना कंपनी के वाणिज्यिक ब्योरे और व्यापार गोपनीयता (ट्रेड सीक्रेट) से जुड़ी होने के चलते खुलासे के दायरे से कानूनन बाहर है। हालांकि, देश के एक पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त ने मामले में प्रावधानों संबंधी सवाल उठाते हुए आइआरसीटीसी के रुख को अनुचित ठहराया है।

मध्य प्रदेश के नीमच निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सोमवार को बताया कि उन्होंने 13 दिसंबर, 2019 को आइआरसीटीसी को सूचना के अधिकार के तहत अर्जी भेजकर जानना चाहा था कि रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम को तेजस ट्रेनें चलाने से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है और इस परिचालन से उसे कितना शुद्ध मुनाफा या घाटा हुआ है?

गौड़ ने बताया कि आइआरसीटीसी के एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) ने 27 दिसंबर, 2019 को यह कहते हुए उक्त जानकारी देने से इनकार कर दिया कि वर्ष 2005 के आरटीआइ अधिनियम के तहत कमाई, मुनाफे और घाटे से जुड़ा ब्योरा उन बिंदुओं की सूची में रखा गया है, जिनके खुलासे से कानूनी छूट प्राप्त है। आरटीआइ कार्यकर्ता ने इसके खिलाफ अपील दायर की थी। लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी।

प्रथम अपील अधिकारी ने कहा, 'यह सूचित किया जाता है कि आपके (गौड़) द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, क्योंकि यह कंपनी (आइआरसीटीसी) के आंतरिक दस्तावेजों से जुड़ी है जिनमें वाणिज्यिक ब्योरे और व्यापार गोपनीयता (ट्रेड सीक्रेट) शामिल हैं। वर्ष 2005 के आरटीआइ अधिनियम के तहत इस सूचना के खुलासे से छूट प्राप्त है।' इस बीच, देश के पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा, 'अव्वल तो आइआरसीटीसी को स्पष्ट करना चाहिए था कि तेजस ट्रेनों के परिचालन से मिलने वाले राजस्व की जानकारी आरटीआइ अधिनियम के किन प्रावधानों के तहत नहीं दी जा सकती। लेकिन उसने यह जानकारी देने से लगातार दो बार इनकार करते वक्त इन प्रावधानों का जिक्र ही नहीं किया।' गांधी ने कहा, 'चूंकि आइआरसीटीसी देश में रेलवे क्षेत्र का अपने किस्म का अकेला सार्वजनिक उपक्रम है। इसलिर यह भी नहीं माना जा सकता कि तेजस ट्रेनों के परिचालन से मिलने वाले राजस्व की जानकारी देने से उसके प्रतिस्पर्धात्मक हितों को कोई नुकसान पहुंच सकता है।'

पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त ने यह भी कहा की सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम केवल यह कहते हुए आरटीआइ आवेदक को जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता कि मांगी गई सूचना उसके किसी आंतरिक मामले से जुड़ी है। सभी सरकारी उपक्रमों को आरटीआइ के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की परियोजनाओं की जानकारी भी साझा करनी चाहिए, क्योंकि इनमें करदाताओं का भी पैसा लगा होता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कदम उठा रही सरकार : कोविंद

कहा, देशभर में कृषि क्षेत्र पर 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है

दमन, 17 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि राजग सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है और उसने देशभर में कृषि क्षेत्र पर 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है।

कोविंद ने यहां केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की कुछ विकास परियोजनाओं का रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन करने और कई कार्यों का शिलान्यास करने के बाद जनता को संबोधित किया। कोविंद ने पिछले महीने दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के विलय पर यहां की जनता को बधाई दी।

संसद ने पिछले साल दिसंबर में दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के विलय के लिए एक विधेयक पारित किया था। कोविंद ने कहा, 'केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। सरकार ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में करीब 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है।' उन्होंने कहा, 'मुझे बताया गया कि 'प्रधानमंत्री किसान निधि', 'गिर आदर्श आजीविका योजना' और बीजों तथा मशीनों की खरीद पर किसानों को 50 फीसद सब्सिडी जैसी कई परियोजनाओं को यहां किसान की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।' राष्ट्रपति ने सात नए स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया और विलय के बाद नए केंद्रशासित प्रदेश में 15 और ऐसी सुविधाओं के लिए आधारशिला रखी।

> ● मुझे बताया गया कि 'प्रधानमंत्री किसान निधि', 'गिर आदर्श आजीविका योजना' और बीजों तथा मशीनों की खरीद पर किसानों को 50 फीसद सब्सिडी जैसी कई परियोजनाओं को यहां किसान की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।'

एक दिन के दौरे पर आए कोविंद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल प्रदान करना अब भी चुनौती है और इस तरह की समस्याएं महिलाओं के जीवन को कठिन बनाती हैं। उन्होंने एक नए गार्डन और खेल परिसर का उद्घाटन करने के बाद कहा कि इस तरह की सुविधाओं से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी तथा यह केंद्रशासित प्रदेश भविष्य में महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के तौर पर उभरेगा।

राष्ट्रपति ने बताया कि सिलवासा में विनोबा भावे अस्पताल को 650 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया है और दमन में भी जल्द 300 बिस्तरों का एक अस्पताल बनाया जाएगा। कोविंद ने दमन की प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चियों के शत प्रतिशत पंजीकरण की भी प्रशंसा की।

राष्ट्रपति शाम को मोदी दमन जेटी से जांपोर बीच तक जांपोर सी फ्रंट रोड का उद्घाटन करेंगे और इसी क्षेत्र में आयुष्मान भारत केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। बाद में वह दादरा नगर हवेली के सिलवासा जाएंगे और एक सांस्कृति समारोह का हिस्सा बनेंगे। सिलवासा में रात्रि विश्राम के बाद राष्ट्रपति मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

नौकरी मांगने अर्धनग्न हो सड़कों पर उतरे कृषि उपाधिधारक

इंदौर, 17 फरवरी (भाषा)।

मध्य प्रदेश में खेती-किसानी से जुड़े सरकारी विभागों में पर्याप्त भर्ती नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को यहां करीब 500 कृषि उपाधिधारकों ने अर्धनग्न हालत में रैली निकालकर राज्य सरकार के प्रति विरोध जताया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कृषि पाठ्यक्रमों में उपाधि प्राप्त करने के बावजूद अब तक बेरोजगार युवा 11 फरवरी से शहर के कृषि महाविद्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के किसी भी जिम्मेदार नुमाइंदे ने उनसे मुलाकात की जहमत भी नहीं उठाई है। इसके विरोध में उन्होंने कृषि महाविद्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली।

> आठ किमी लंबी रैली में 500 छात्रों ने तख्तियां लहराईं और जमकर की नारेबाजी

चश्मदीदों ने बताया कि लगभग आठ किलोमीटर के फासले में निकाली गई रैली में करीब 500 छात्र अर्धनग्न हालत में शामिल हुए और बेरोजगारी को लेकर तख्तियां लहराते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने एक प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री कमलनाथ को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा।

ट्रंप की यात्रा से रुपए और झोपड़ीवासियों की हालत नहीं सुधरेगी : शिवसेना

मुंबई, 17 फरवरी (भाषा)।

शिवसेना ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा के लिए हो रही तैयारियों से न रुपए की हालत सुधरेगी न ही दीवार के पीछे रहने वाले झुग्गीवासियों की। पार्टी ने कहा कि यह तैयारी भारतीयों की गुलाम मानसिकता को प्रदर्शित करती है।

पार्टी के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में कहा गया कि ट्रंप की भारत यात्रा किसी 'बादशाह' की यात्रा की तरह है। अमदाबाद में एक भूखंड पर कथित तौर पर दीवार बनाए जाने की आलोचना करते हुए शिवसेना ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा से न तो विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपए के गिरते मूल्य में सुधार होगा और न ही दीवार के पीछे झुग्गियों में रहने वालों की हालत सुधरेगी।

कहा जा रहा है कि ट्रंप की यात्रा से पहले, अमदाबाद में उस भूखंड पर दीवार बनाई जा रही है जिसमें कई झुग्गियां हैं। 'सामना' में कहा गया, 'स्वतंत्रता से पहले, ब्रिटेन के राजा और रानी अपने गुलाम देश में जाते थे। ट्रंप की यात्रा के लिए करदाताओं के पैसे से इसी प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। यह भारतीयों की गुलाम मानसिकता का परिचायक है।' अमदाबाद में झुग्गी झोपड़ियों वाले भूखंड पर 'झुग्गियां छिपाने के लिए' अमदाबाद नगर निगम द्वारा दीवार बनाने के निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए शिवसेना ने कहा कि ट्रंप के काफिले की नजर से झुग्गियों को छुपाने के लिए दीवार बनाई जा रही है।

मराठी प्रकाशन ने अपने संपादकीय में कहा है 'कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था जिसका लंबे समय तक मजाक उड़ाया गया था। ऐसा लगता है कि अब मोदी की योजना 'गरीब छुपाओ' की है।' संपादकीय में सवाल किए गए हैं कि क्या अमदाबाद में इस तरह की दीवार बनाने के लिए कोई वित्तीय आबंटन किया गया है। क्या देश भर में ऐसी दीवार बनाने के लिए अमेरिका भारत को कर्ज की कोई पेशकश करने जा रहा है।

ओड़ीशा लोकायुक्त ने 2020 में अब तक दर्ज किए 272 मामले : अध्यक्ष

केंद्रपाड़ा (ओड़ीशा), 17 फरवरी (भाषा)

ओड़ीशा लोकायुक्त ने इस साल अभी तक 272 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 56 का निपटारा किया जा चुका है।

लोकायुक्त प्रमुख न्यायमूर्ति अजित सिंह ने बताया कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में वे सीधे लोकायुक्त से मिलें। लोकायुक्त अध्यक्ष ने यहां कहा, '2020 में 272 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अभी तक 56 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।' उन्होंने शनिवार को बताया कि लोकायुक्त को 2019 में भ्रष्टाचार संबंधी 1,418 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 166 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

सिंह ने लोगों से भ्रष्टाचार और शक्तिशाली तथा प्रभावशाली लोगों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में किए जा रहे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सामने आने की अपील की है। उन्होंने कहा, '... नौकरशाह, अधिकारी, मंत्री या सांसदों के खिलाफ बिना किसी डर के लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्हें कानून के तहत उचित संरक्षण दिया जाएगा।' लोकायुक्त प्रमुख ने कहा, 'हम लोगों को भ्रष्ट लोकसेवकों और एनजीओ के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सभी लोक सेवक तथा अन्य जन प्रतिनिधि लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। उनके खिलाफ दर्ज शिकायत का लोकायुक्त कानून के तहत विधिवत निपटारा किया जाएगा।' ओड़ीशा लोकायुक्त कानून सात जुलाई, 2018 से प्रभावी हुआ और 28 फरवरी 2019 को लोकायुक्त गठित हुआ।

घर में आग लगी, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

रीवा (मध्य प्रदेश), 17 फरवरी (भाषा)।

रीवा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तरहटी मोहल्ले में एक घर में अचानक आग लगने से वहां सो रहे एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई।

सिटी कोतवाली थाना के उप निरीक्षक नीरज द्विवेदी ने बताया कि मृतकों की पहचान रहीश खटीक (45), उसकी पत्नी गुड़िया खटीक (40), उनकी बेटी सेजल (13) और बेटा साहिल (11) के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि घर में रखे घरेलू गैस सिलेंडर में रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि करीब ढाई बजे विस्फोट हुआ और आग लग गई। धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे। द्विवेदी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया।

उन्होंने कहा कि दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़ा गया। लेकिन तब तक चारों व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। द्विवेदी ने बताया कि आग कैसे लगी, इसकी अब तक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित"

शाखा कार्यालयः लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024 दिनांक : 12.02.2020

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, सिक्युरिटी इंटरेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित खंड 13 (12), सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (2002 का 54) का प्रवर्तन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 17.09.2019 को डिमांड सूचना जारी की थी, जिसके माध्यम से कर्जदार श्री देवेश शर्मा एवं श्रीमती ईशाबाला शर्मा तथा जमानती श्री विनोद कुमार शर्मा को दिनांक 17.09.2019 तक रु. 4757882.93 (रुपये सैंतालिस लाख सत्तावन हजार आठ सौ बयासी एवं तिरानवे पैसे केवल) की राशि को इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर दिनांक 17.09.2019 से भविष्य के ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ चुकाने के लिए कहा गया था।

कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सिक्युरिटी इंटरेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 12 फरवरी, 2020 को ले लिया है।

कर्जदार/जमानती को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु. 4757882.93 (रुपये सैंतालिस लाख सत्तावन हजार आठ सौ बयासी एवं तिरानवे पैसे केवल) और उस पर भविष्य के ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डिफेन्स कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे, दिविप्रा शापिंग कॉम्प्लैक्स, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024 को भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

गांव पल्ला, तहसील-फरीदाबाद में स्थित प्लॉट सं 289-290, माप 772 वर्ग फुट, भू तल, अशोका एन्कलेव मेन, सेक्टर-35, फरीदाबाद, हरियाणा में आवासीय सम्पत्ति।

सीमाबद्धः-

पूर्वः	प्लॉट सं. 279-280
पश्चिमः	मेन रोड
उत्तरः	प्लॉट सं. 292-291
दक्षिणः	प्लॉट सं. 288

स्थान : लाजपत नगर, नई दिल्ली
दिनांक : 12.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

परिशिष्ट – IV A
[नियम 8(6) / 9(1) को देखें]

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6)/ 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित हैं, का भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 05.03.2020 (गुरूवार) को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और जमा धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	सुरक्षित लेनदार का नाम और पता प्राधिकृत अधिकारी का विवरण	कर्जदारों / गारंटर्स का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण / सुरक्षित लेनदार को ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो	कर्जदार / गारंटर से वसूल की जाने वाली राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1	पंजाबी बाग ईस्ट, विरनगाना राज, फोन : 8448447155	श्रीमती सुधा पत्नी राज कुमार और श्री राज कुमार पुत्र श्री गणेशी लाल गारंटर्स श्री पंकज कुमार पुत्र श्री सुरेश चंद	437, तृतीय तल, पॉकेट-1, जनता फ्लैट्स, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली-110063, क्षेत्रफल 35.28 वर्ग मी., मादीपुर में स्थित / ज्ञात नहीं	रु 23,44,215.95 (रु. तेईस लाख चौवालीस हजार दो सौ पंद्रह और पैसे पिचान्वे मात्र)	रु. 23.20 लाख / रु. 2.32 लाख / रु. 0.10 लाख	25.02.2020 पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक
2	रजौरी गार्डन विरनगना राज, फोन : 8874142828 संजय भार्गव, फोन : 9971802732	श्री विकास त्यागी पुत्र श्री प्रवीण त्यागी प्रोप. मैसर्स वर्टेक्स इंडिया और श्रीमती ज्योति त्यागी पत्नी श्री विकास त्यागी, फ्लैट नं. 103, टॉवर नं. 10, प्रथम तल, वेल्ली व्यू ईस्टेट, गुरुग्राम, फरीदाबाद रोड, गुरुग्राम, हरियाणा –122001	फ्लैट नं. 103, टॉवर नं. 10, प्रथम तल, वैली व्यू ईस्टेट, गुरुग्राम, फरीदाबाद रोड, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001 में स्थित, क्षेत्रफल 2273.87 वर्ग फीट (211.25 वर्ग मी.) (सुपर निर्मित / कारपेट एरिया) / ज्ञात नहीं	रु 3,02,34,658.86 दिनांक 17.09.2018 तक भविष्य का ब्याज और लागत	रु. 130.00 लाख / रु. 13.00 लाख / रु. 0.50 लाख	25.02.2020 अपरा. 02.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे तक

सम्पत्ति क्र.सं. 1 और 2 हेतु : ई-नीलामी सेवा प्रदाता : मैसर्स 4 क्लोजर, वेब: www.bankauctions.in हेल्पलाईन नं. 08142000062/66 (मो.) फोन: 040-23836405)
सम्पर्क हेतु: श्री विकास 8142000809 ईमेल : vikas@bankauctions.in और info@bankauctions.in

3	गुड़गाँव सैक्टर 27, शाखा फोन नं. 0124-2577984, sec27gurgaon@unionbankofindia.com श्री मनीष प्रताप, 8750966499	श्रीमती सुमन देवी श्री अजय कुमार श्री राजीव कुमार सेन	फ्लैट नं. 1200 एफएफ (कवर्ड क्षेत्रफल 150 वर्ग फीट) और 1201 एफएफ (कवर्ड क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट) टाईप एलआईजी, ब्लॉक नं. एफ, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सैक्टर-31-32ए, गुड़गाँव-122001 में स्थित / ज्ञात नहीं	रु. 33,66,971.00 और भविष्य का ब्याज और लागत	रु. 30.50 लाख / रु. 3.50 लाख / रु. 0.10 लाख	27.02.2020 पूर्वा. 11.30 बजे से अपरा. 01.30 बजे तक
4	मायापुरी शाखा, फोन नं. 011-28114153 mayapuridelnrth@unionbankofindia.com श्री अशोक कुमार, 8569816777	राजीव रंजन और रंजीता रंजन	मकान नं. 7 प्रथम तल, बिना छत के अधिकार, ए ब्लॉक, नंद राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज लगभग / ज्ञात नहीं	रु. 14,91,243.80 और भविष्य का ब्याज और लागत	रु. 34.00 लाख / रु. 3.40 लाख / रु. 0.10 लाख	27.02.2020 पूर्वा. 11.30 बजे से अपरा. 01.30 बजे तक
5	रोहिणी सैक्ट. 22 शाखा फोन नं. 011-27581113 rohinisector22@unionbankofindia.com श्री अशोक कुमार, 8569816777	श्री प्रणवीर सिंह और श्रीमती प्रवीण सिंह	डीडीए निर्मित एलआईजी फ्लैट नं. 132, तृतीय तल, पाकेट 2, ग्रुप 2, सैक्टर ए-10, नरेला रिहायशी स्कीम, नरेला दिल्ली-110040 में स्थित, क्षेत्रफल 430.56 वर्ग फीट (40.00 वर्ग मी.) / ज्ञात नहीं	रु. 23,92,133.80 और भविष्य का ब्याज और लागत	रु. 17.00 लाख / रु. 1.70 लाख / रु. 0.10 लाख	27.02.2020 पूर्वा. 11.30 बजे से अपरा. 01.30 बजे तक
6	एसएसआई वजीरपुर शाखा फोन नं. 011-2737637 ssiwazirpur@unionbankofindia.com श्री अशोक कुमार, 8569816777	मैसर्स जेएमके ज्वेल्स प्रा. लि. और मंजू सिंगला	व्यवसायिक सम्पत्ति सम्पूर्ण तृतीय तल, XVI/2645 शामिल खसरा नं. 239, खतौनी नं. 602 ब्लॉक-एल, बैंक स्ट्रीट, प्यारे लाल रोड, नरेला, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित, क्षेत्रफल 3053 वर्ग फीट लगभग / ज्ञात नहीं	रु. 7,06,65,484.84 और भविष्य का ब्याज और लागत	रु. 470.00 लाख / रु. 47.00 लाख / रु. 0.25 लाख	27.02.2020 पूर्वा. 11.30 बजे से अपरा. 01.30 बजे तक
7	मुखमलपुर शाखा फोन नं. 011-27202232 mukhmelpur@unionbankofindia.com श्री अशोक कुमार, 8569816777	श्री तरुण कुमार बंसल श्री राहुल कौशिक श्री राज कुमार	रिहायशी बिल्डिंग, डीडीए जनता फ्लैट नं. 567, प्रथम तल, पॉकेट 11, सैक्टर-ए6, नरेला, दिल्ली-110040 में स्थित, क्षेत्रफल 174.31 वर्ग फीट / ज्ञात नहीं	रु 6,97,289.14 और भविष्य का ब्याज और लागत	रु. 6.50 लाख / रु. 0.65 लाख / रु. 0.10 लाख	27.02.2020 पूर्वा. 11.30 बजे से अपरा. 01.30 बजे तक
8	भोरगढ़ शाखा फोन नं. 011-27785115 bhorgarh@unionbankofindia.com श्री अशोक कुमार, 8569816777	संदीप कुमार और गुड़िया	रिहायशी डीडीए फ्लैट (जनता फ्लैट) जिसका नं. 231, भूतल, पॉकेट 9, सैक्टर-बी-4, रिहायशी स्कीम नरेला, दिल्ली-110040 में स्थित, क्षेत्रफल 18 वर्ग मी. लगभग / ज्ञात नहीं	रु. 5,92,082.00 और भविष्य का ब्याज और लागत	रु. 6.00 लाख / रु. 0.60 लाख / रु. 0.10 लाख	27.02.2020 पूर्वा. 11.30 बजे से अपरा. 01.30 बजे तक

सम्पत्ति क्र.सं. 3 से 8 हेतु : ऑनलाईन ई-नीलामी बेवसाईट : www.bankeauctions.com पर आयोजित की जाएगी।
सम्पर्क हेतु: श्री विनोद, मो. +91-9813887931 हैल्पलाईन सम्पर्क नं. +91-1244302020-24; ईमेल: support@bankeauctions.com

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 05.03.2020 (गुरूवार) को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक
धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 04.03.2020 (बुधवार) को सायं 05.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिभूति लेनदार की वेबसाईट अर्थात www.unionbankofindia.co.in में दिए गए लिंक को देखें।
इसे उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि को ई-नीलामी के बिक्री के आयोजन के बारे में निम्न कथित ऋण के कर्जदारों तथा गारंटरों हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8(6) एवं नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना के रूप में समझा जाएगा।

दिनांक 17.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

खबर कोना

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर लॉरेस विश्व खेल सम्मान समारोह के लिए सोमवार को बर्लिन पहुंचे।

नाडा ने अमित दाहिया पर चार साल का प्रतिबंध लगाया

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी (नाडा) के अनुशासनात्मक पैनल ने एतिहासिक फैसला सुनाते हुए पिछले साल राष्ट्रीय भाला फेंक ओपन चैंपियनशिप के दौरान डोप नमूने के लिए अपनी जगह किसी और को भेजने पर हरियाणा के अमित दाहिया को चार साल के लिए प्रतिबंधित किया है। हरियाणा के सोनीपत में 16 अप्रैल 2019 को हुई इस प्रतियोगिता में दाहिया 68.21 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। नाडा के अधिकारियों ने इसके बाद 21 साल के दाहिया को डोप नमूने देने को कहा था लेकिन अपनी जगह उन्होंने नूमना देने के लिए किसी और को भेज दिया। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान नाडा के डोप नमून एकत्रित करने वाले अधिकारियों को पता चला कि मूत्र के नमूने देने के लिए आया व्यक्ति कांस्य पदक विजेता नहीं है। इस योजना की विफलता के बारे में जानकार वह व्यक्ति उस कमरे से भाग गया जहां नमूने एकत्रित किए जा रहे थे। दाहिया को पिछले साल 16 जुलाई को अस्थाई तौर पर निलंबित किया गया और नाडा ने उनके मामले को नौ जनवरी को एडीडीपी (अनुशासनात्मक पैनल) के पास भेजा।

भारतीय ग्रैंडमास्टर विदित की प्राग शतरंज टूर्नामेंट में बढ़त जारी

प्राग, 17 फरवरी (भाषा)।

भारतीय ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती ने पांचवें दौर में दुनिया के शीर्ष जूनियर खिलाड़ी अलीरेजा फिरौजा को हारकर प्राग शतरंज महोत्सव के मास्टर्स वर्ग की तालिका में एक अंक के अंतर से एकल बढ़त कायम रखी। पच्चीस साल के इस खिलाड़ी ने सफेद मोहरों से खेलते हुए ईरान के फिरौजा को 24 चालों में शिकस्त दी, जिससे उनके चार अंक हो गए। इसमें खेल रहे 10 खिलाड़ियों में एक अन्य भारतीय पी हरिकृष्णा ने पांचवें दौर में रूस के निकिता वितियुगोव से 59 चालों के बाद ड्रा खेला। इस ड्रा के बाद उनके दो अंक हो गए। छठे दौर में गुजराती का सामना वितियुगोव से होगा जबकि हरिकृष्णा डेविड एंटोन से भिड़ेंगे।

चोट से उबरी सानिया, दुबई ओपन में करेंगी वापसी

दुबई, 17 फरवरी (भाषा)।

भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा पिंडली की चोट से उबरने के बाद बुधवार को दुबई ओपन के साथ वापसी करेंगी। पिंडली के चोट के कारण सानिया को जनवरी में आस्ट्रेलिया ओपन के मुकाबले के बीच से हटना पड़ा था। तैंतीस साल की सानिया ने इस टूर्नामेंट के लिए फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया के साथ जोड़ी बनाई है। यह जोड़ी महिला युगल के पहले दौर में बुधवार को रूस के एला कुद्रियावत्सेवा और स्लोवेनिया की कैटरीना सरेबोटनिक की जोड़ी से भिड़ेगी। सानिया ने कहा, चोट के कारण ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के बीच से हटना दुखद अनुभव था। विशेषकर तब जब आप लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हों। इस टूर्नामेंट के लिए मुझे फिट करने के लिए मैं अपने फिजियो डा. फैजल हयात खान की आभारी हूं। मैंने अभ्यास शुरू कर दिया है और टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शनक करने के लिए उत्सुक हूं। मां बनने के कारण दो साल के ब्रेक के बाद सिर्कट पर वापसी कर रही सानिया दांई पिंडली की चोट कारण अपने पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के महिला युगल के पहले दौर के मुकाबले के बीच से हट गई थीं।

महिला टी-20 विश्व कप : भारतीय कप्तान को है भरोसा

युवा टीम में है चैंपियन बनने का माद्दा

21 फरवरी को एडिलेड में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच मैच के साथ होगा टूर्नामेंट का आगाज

22.8 साल है आस्ट्रेलिया गई भारतीय टीम की औसत आयु

सिडनी, 17 फरवरी (भाषा)।

मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के हटने से खाली हुई जगह को भरना आसान नहीं लेकिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सोमवार को कहा कि उनकी युवा टीम इससे आगे बढ़ गई है और इस सप्ताह शुरू हो रहे आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप में वे मजबूत दावेदार होंगे।

मिताली ने पिछले साल टी-20 प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी जबकि झूलन ने 2018 सत्र के बाद इस प्रारूप में नहीं खेला है। आस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप के लिए गई भारतीय टीम की औसत उम्र 22.8 साल है। हरमनप्रीत ने यहां तारोंगा चिड़ियाघर में कप्तानों के लिए रखे गए मीडिया कार्यक्रम में कहा, हमें उनके अनुभव की कमी खलती है, लेकिन इन युवा खिलाड़ियों ने अपना कौशल और क्षमता दिखाई है। आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप का आगाज भारत और गत चैंपियन एवं मेजबान आस्ट्रेलिया के बीच 21 फरवरी को एडिलेड में होने वाले मैच के साथ होगा।

हम हैं तैयार टी-20 विश्व कप ट्रॉफी के साथ आस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान मेग लैनिंग (बाएं) और भारत की हरमनप्रीत कौर।

भारतीय कप्तान ने कहा, दो साल पहले मैं टीम में सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक थी लेकिन अब सबसे अनुभवी खिलाड़ी हूं। उन्होंने कहा, मेरी टीम के खिलाड़ी कभी यह जाहिर नहीं होने देते कि वे युवा है। वे वैसा प्रदर्शन कर रहे जैसा हमें उम्मीद है। टीम लय में है और हम यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी जिम्मेदारी से क्या कर सकते हैं। एकदिवसीय विश्व कप खिताब जीतने से मामूली अंतर से चूकने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान ने कहा कि वह टी-20 विश्व कप को जीत कर एकदिवसीय विश्व कप की कमी को पूरा करना चाहती है।

भारतीय महिला टीम 2017 में एकदिवसीय विश्व कप खिताब के काफी करीब पहुंच कर फाइनल में मेजबान इंग्लैंड से नौ रन से हार गई थी। हरमनप्रीत ने कहा कि भारतीय टीम पिछले तीन वर्षों के अनुभव का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा, हमारी टीम दिन-प्रतिदिन मजबूत हो रही है, हर कोई सकारात्मक है। भारतीय कप्तान ने कहा, अगर हम जीतते हैं तो यह बड़ी उपलब्धि होगी, 2017 में हमें जो प्रतिक्रिया मिली उससे मैं आश्चर्यचकित थी। मेरे अभिभावकों ने इस बारे में मुझे नहीं बताया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हम पर किसी तरह का दबाव आए। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, अगर हम विश्व कप जीतते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि चीजें बदलेंगी। इस टूर्नामेंट से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा। हरमनप्रीत ने कहा, अगर हमें महिला आइपीएल मिलता है तो हमारे लिए यह काफी अच्छा होगा। हम विश्व कप जीतते हैं तो टीम के तौर पर यह बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे।

कोनेरू हम्पी बनीं केर्न्स कप चैंपियन

सेंट लुइस (अमेरिका), 17 फरवरी (भाषा)।

विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी ने एक अन्य भारतीय खिलाड़ी द्रोणावल्ली हरिका को केर्न्स कप शतरंज के नौवें और आखिरी दौर में ड्रा पर रोक कर पिछले दो महीने में अपना दूसरा खिताब हासिल किया।

पिछले साल दिसंबर में विश्व रैपिड चैंपियन बनी हम्पी इस टूर्नामेंट में छह अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर रही। इस कामयाबी में उन्हें पांच ईएलओ रेटिंग अंक मिलेंगे जिससे वह विश्व रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच जाएंगी।

भारतीय ग्रैंडमास्टर हम्पी ने कहा, मैं इतना चुनौतीपूर्ण टूर्नामेंट जीतकर बहुत खुश हूं। इससे मुझे यह भी एहसास होता है कि विश्व रैपिड खिताब जीतना मेरे लिए कोई तुक्का नहीं था। बत्तीस साल की इस भारतीय खिलाड़ी को चैंपियन बनने के लिए आखिरी दौर में सिर्फ ड्रा की जरूरत थी। उन्हें रविवार रात को खेले गए मुकाबले में हरिका के खिलाफ ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

इस जीत से हम्पी को पुरस्कार राशि के तौर पर 45,000 डॉलर मिले। विश्व चैंपियन वेंजुन जू 5.5 अंक के साथ दूसरे पायदान पर रही। हरिका 4.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहीं।

कोहली टी-20 रैंकिंग में 10वें स्थान पर खिसके

दुबई, 17 फरवरी (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली आइसीसी की सोमवार को जारी नवीनतम टी-20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में 10वें स्थान पर खिसक गए लेकिन लोकेश राहुल और रोहित शर्मा क्रम से दूसरे और 11वें स्थान पर बकरार हैं।

कोहली (673 अंक) को एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड की 2-1 की जीत के दौरान दो अर्धशतक की मदद से 136 रन बनाने वाले कप्तान इयोन मोर्गन कुल 687 अंक के साथ नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। पिंडली की चोट से उबर रहे रोहित बल्लेबाजी रैंकिंग में 662 अंक के साथ 11वें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम इस सूची में शीर्ष पर चल रहे हैं। आजम के 879 अंक हैं। राहुल 823 अंक के साथ दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। गेंदबाजी सूची में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन जैकसन के साथ संयुक्त 12वें स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के बायें हाथ के स्पिनर तबरेज शम्सी नौ स्थान की छलांग के साथ शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। वह आठवें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद दक्षिण अफ्रीका के एंडिले फेहलुकवायो को पछाड़कर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। टाम कुरेन 28 स्थान की छलांग के साथ शीर्ष 30 में शामिल हो गए हैं। बल्लेबाजों में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकाक 10 स्थान के फायदे से 16वें जबकि उनके सलामी जोड़ीदार तेम्बा बावुमा 127 स्थान की लंबी छलांग के साथ 52वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

नुकसान भारतीय कप्तान को एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा

दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे चीन के पहलवान

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

कोरोना वायरस भारत सरकार ने 40 सदस्यीय दल को वीजा देने से किया इनकार

रिजिजू ने कहा असाधारण स्वास्थ्य संकट को देखते हुए वीजा देने से इनकार किया गया

चीन के पहलवान मंगलवार से यहां शुरू हो रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनके देश में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के कारण भारत सरकार ने उन्हें वीजा जारी नहीं किए हैं। राष्ट्रीय महासंघ के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्लूएफआइ) के सहायक सचिव विनोद तोमर ने एजंसी से कहा कि सरकार ने चीन के 40 सदस्यीय दल को वीजा देने से इनकार कर दिया है। तोमर ने कहा, हमें पता चला है कि सरकार ने चीन के दल को वीजा जारी नहीं किया है और इसलिए वे चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले रहे। उन्होंने कहा, दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही है और इसलिए अब खिलाड़ियों का स्वास्थ्य मुख्य चिंता है। यह समझा जा सकता है कि सरकार ने उन्हें क्योंकि वीजा जारी नहीं किया। तोमर ने हालांकि कहा कि डब्लूएफआइ को अभी सरकार की ओर से औपचारिक सूचना नहीं मिली है। चीन में होने वाली कई अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को भी स्थगित और स्थानांतरित किया गया है जबकि कुछ को इस संक्रमण के कारण रद्द कर दिया गया है। इसमें महिला ओलंपिक फुटबॉल क्वालीफायर, विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप, एफवन ग्रां प्री और एशिया/ओसियाना ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर शामिल हैं।

चीन के पहलवानों को वीजा नहीं देने पर यूनाइटेड विश्व रेस्लिंग की प्रतिक्रिया के बारे में पूछने पर तोमर ने कहा, हमें यहां कोई समस्या नजर नहीं आती, यह ऐसी चीज नहीं है जो सामान्य तौर पर होती है। हमें बेहद गंभीर स्वास्थ्य मुद्दे का सामना कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ इस चैंपियनशिप में नहीं हो रहा, अन्य देशों ने भी अन्य खेल प्रतियोगिताओं में चीन के खिलाड़ियों के साथ ऐसा ही किया है। यूडब्लूडब्लू ने भी पिछले लगभग एक हफ्ते में हमें कुछ नहीं कहा है और ना ही चीन के खिलाड़ियों को लेकर कोई निर्देश जारी किया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि असाधारण स्वास्थ्य संकट को देखते हुए वीजा देने से इनकार किया गया।

रिजिजू ने यहां संवाददाताओं से कहा, हम किसी भी देश के नागरिक को वीजा देने से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि यह ओलंपिक चार्टर का हिस्सा है। हम खेलों को राजनीति से दूर रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां स्वास्थ्य चिंता या कोई तकनीकी मुद्दा होता है तो हमारे पास इसके लिए अलग प्रावधान है। उन्होंने कहा, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते लेकिन गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए खेल मंत्रालय की ओर से जिस भी स्वीकृति की जरूरत होती है हम तुरंत देते हैं।

साइ के ट्रायल में हिस्सा लेने से कम्बाला धावक गौड़ा ने किया इनकार

नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

भैंसों की परंपरागत दौड़ (कम्बाला) में शानदार प्रदर्शन करके सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले धावक श्रीनिवास गौड़ा ने बंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) में ट्रायल देने से मना कर दिया है।

कर्नाटक के गौड़ा ने इस प्रतियोगिता के दौरान सिर्फ 13.62 सेकेंड में 145 मीटर की दौड़ लगाई जिसके बाद ये दावा किया गया कि उन्होंने सिर्फ 9.55 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय की। उसेन बोल्ट का 100 मीटर दौड़ को 9.58 सेकेंड में पूरा करने का विश्व रेकार्ड है। सोशल मीडिया में इसके वायरल होने के बाद खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने साइ के शीर्ष कोचों की देखरेख में ट्रायल कराने का निर्देश दिया था। साइ के मुताबिक गौड़ा ने ट्रायल देने से मना कर दिया। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने एजंसी से बताया, गौड़ा सोमवार मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए बंगलुरु पहुंच गया है। उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि वह इसके लिए इच्छुक नहीं है। हमें यह भी पता चला है कि वह चोटिल है।

13.62 सेकेंड में 145 मीटर की दौड़ लगाई। दावा किया गया कि गौड़ा ने सिर्फ 9.55 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय की।

कांग्रेस नेता शशि थरूर और व्यवसायी आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट कर खेल मंत्रालय और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ से गौड़ा की मदद करने की मांग की। गौड़ा को ट्रायल के लिए बुलाने की सलाह देने के दो दिन बाद रिजिजू ने कहा कि पारंपरिक खेल की तुलना ओलंपिक खेल से करना गलत है। उन्होंने यहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों के आधिकारिक गान के लॉन्च के मौके पर अपने निवास स्थान पर कहा, लोग सोशल मीडिया पर जो भी लिख रहे हैं उस पर मीडिया का नियंत्रण नहीं हो सकता है। अगर हमारे सामने कोई प्रतिभा आती है तो हम उसे मंच और मौका देंगे।

कबड्डी विवाद : पाकिस्तान गई भारतीय टीम की बढ़ी मुश्किलें, जांच के आदेश

अमृतसर/नई दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा)।

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ (एकेएफआइ) को 'अनधिकृत' भारतीय टीम के पाकिस्तान में सर्कल शैली के विश्व कप में हिस्सा लेने की जांच करने के आदेश दिए।

इस बीच हालांकि टीम के प्रमोटर ने कहा है कि 'अनौपचारिक' टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए स्वीकृति की जरूरत नहीं थी।

फाइनल में हार के बाद टीम रविवार को लाहौर से लौट आई। टीम ने हालांकि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को लेकर काफी विवाद हुआ जिससे अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ ने 'अवैध' करार दिया। अटारी-वाघा बार्डर के जरिए जमीनी रास्ते से वापस लौटने पर टीम प्रमोटर देविंदर सिंह बाजवा ने कहा, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हमें किसी प्राधिकरण से स्वीकृति की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम सभी व्यक्तिगत तौर पर वहां गए थे। उन्होंने कहा, हमारे अपने पांच स्वतंत्र महासंघ हैं जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए निजी तौर पर पाकिस्तान गए थे। इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

नई दिल्ली में खेल मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ को जांच के आदेश दिए हैं। रिजिजू ने कहा, हमारी आधिकारिक कबड्डी टीम पाकिस्तान नहीं गई थी। हमें नहीं पता कि वहां कौन गया था। यह सही नहीं है कि कोई भी अनधिकृत टीम कहीं भी जाए और भारत के नाम से खेले। हमने कोई आधिकारिक टीम नहीं भेजी। उन्होंने कहा, हम कबड्डी महासंघ ने जांच करने को कहेंगे और उन लोगों की पहचान करेंगे जो वहां गए और बिना स्वीकृति के भारत के नाम का इस्तेमाल किया।

भारत के खिलाफ टैस्ट श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान | **कीर्तिमान** | 13 सदस्यीय टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज बोल्ट की वापसी

तीनों प्रारूप में 100 मैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे टेलर

वेलिंगटन, 17 फरवरी (भाषा)।

चोट से उबर चुके अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को भारत के खिलाफ 21 फरवरी से शुरू हो रही दो मैचों की टैस्ट श्रृंखला के पहले मुकाबले के लिए चुनी गई 13 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। उधर अनुभवी रास टेलर के लिए यह 100वां टैस्ट होगा। इस मैच के लिए मैदान में उतरने के साथ ही वह ब्रेंडन मैकुलम, डेनियल विटोरी और स्टीफन फ्लेमिंग जैसे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो जाएंगे। टेलर तीनों प्रारूप में 100 मैच पूरा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनेंगे।

न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा जारी मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार भारत के खिलाफ हाल ही में एकदिवसीय श्रृंखला में पदार्पण करने वाले छह फीट आठ इंच कद के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को भी टीम में जगह दी गई है जबकि वामहस्त एजाज पटेल इसमें इकलौते स्पिनर है। बोल्ट की वापसी से न्यूजीलैंड का तेज आक्रमण धारदार होगा। आस्ट्रेलिया के खिलाफ बाक्सिंग डे टैस्ट में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था जिसके बाद वह भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में टीम का हिस्सा नहीं थे।

मुख्य कोच और चयनकर्ता गैरी स्टीड ने कहा, ट्रेट (बोल्ट) की टीम में वापसी हमारे लिए शानदार है। हम टीम में उनकी ऊर्जा और अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है वह अच्छे गेंदबाज है। जैमीसन को पहली बार टैस्ट टीम में मौका मिला है। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आस्ट्रेलिया में चोटिल होने वाले लॉकी फर्ग्यूसन की जगह ली है। स्टीड ने कहा, काइल (जैमीसन) के पास उछाल प्राप्त करने की क्षमता है जिससे हमें विविधता मिलेगी। वेलिंटन की अच्छी पिच पर आम तौर पर उछाल होती है। मुंबई में जन्में पटेल को लेग स्पिनर ईश सोढ़ी की जगह तरजीह दी गई है। कोच ने कहा, हम टीम में एजाज (पटेल) की वापसी से उत्साहित हैं जिन्होंने विदेशों में हमारे लिए शानदार गेंदबाजी की है और न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में उनका घरेलू रिकार्ड भी अच्छा है। केन विलियमसन की अगुआई वाली इस टीम में डेरिल मिशेल को बल्लेबाज हरफनमौला के रूप में टीम में जगह दी गई है। टाम ब्लंडेल और टाम लैथम पारी का आगाज करेंगे।

रास टेलर

रास टेलर अनुभवी इस बल्लेबाज के लिए यह 100वां टैस्ट होगा। इस मैच के लिए मैदान में उतरने के साथ ही वह ब्रेंडन मैकुलम, डेनियल विटोरी और स्टीफन फ्लेमिंग जैसे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो जाएंगे।

ट्रेंट बोल्ट

न्यूजीलैंड : केन विलियमसन (कप्तान), टाम ब्लंडेल, ट्रेंट बोल्ट, कालिन डी ग्रैंडहोमे, काइल जैमीसन, टाम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, एजाज पटेल, टिम साउथी, रास टेलर, नील वैगनर, बीजे वाटलिंग।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 93, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com